लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 18-9-9?
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 4, गुरुवार, 17 नवम्बर, 1977/26 कार्तिक, 1899 (शक)

No. 4, Thursday, November 17, 1977/Kartika 26, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 61, 62 और 64 से 66	Starred Questions No. 61, 62 and 64 to 66	1-10
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 63 और 67 से 80	Starred Questions No. 63 and 67 to 80	10-20
अतारांकित प्रश्न संख्या 601 से 613, 615 से 621, 624 से 676, 678 से 685, 687 से 724, 726 से 733, 735 से 767, 769, 771, 772 और 774 से 800	Unstarred Questions No. 601 to 613, 615 to 621, 624 to 676, 678 to 685, 687 to 724, 726 to 733, 735 to 767, 769, 771, 772 and 774 to 800	20-119
श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege Against Shrimati Indira Gandhi and others .	120-126
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	126-128
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . .	128-132
गांधी स्मृति के एक गाइड श्री दामोदरन पर राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित हमला	Reported assault by R.S.S. workers on Shri Damodaran Nair, a Guide of Gandhi Smriti . .	131-132
सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति	Committee on Papers Laid on the Table	133
कार्यवाही सारांश	Minutes	133
पहला प्रतिवेदन	First Report	133
लो: लेखा समिति	Public Accounts Committee	133
16वां प्रतिवेदन	Sixteenth Report	133
रेल अभिसमय समिति	Railway Convention Committee	133
पहला प्रतिवेदन	First Report	133

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGE
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House .	134
तीसरा प्रतिवेदन	Third Report . . .	134
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee .	134
छठा प्रतिवेदन	Sixth Report	134
नियम 377 के अधीन मामले	Matter under Rule 377	134-142
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में दो केन्द्रीय मंत्रियों के द्वारा दिये गये वक्तव्य	Statements made by two Central Ministers about Chief Minister of Tamil Nadu . . .	134
ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड का कार्यकरण	Working of Grindlay's Bank, Ltd.	135
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के बीसवें, इक्कीसवें और बाइसवें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	135
तथा	and	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये सेवाओं में आरक्षित किये गये पदों पर उनकी नियुक्ति के बारे में चर्चा	Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services against Reserved Quota.	135
श्री कचरूलाल हेमराज जैन	Shri Kachrulal Hemraj Jain	135-136
श्री राम लाल राही	Shri Ram Lal Rahi	136-137
श्री एडुआर्डो फैलीरो	Shri Eduardo Faleiro	137
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavlankar	137-139
श्री एल० एल० कपूर	Shri L. L. Kapoor	139
श्री मह्रीलाल	Shri Mahi Lal	140-141
श्री के० प्रधानी	Shri K. Pradhani	141
फादर एंथनी मुरमू	Father Anthony Murmu	141-142
श्री सी० एन० विश्वनाथन	Shri C. N. Visvanathan	142

लोक सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 17 नवम्बर, 1977/26 कार्तिक, 1899 (शक)
Thursday, November 17, 1977/Kartika 26, 1899 (Saka)

[लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में मलेरिया महामारी

*61. श्री गंगाधर अप्पा बुरांडे
श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में मलेरिया महामारी के रूप में फैल गया है ;

(ख) गैर सरकारी डाक्टरों द्वारा हमें मामलों सहित अब तक कुल कितने मामले दर्ज कराए गए हैं; और

(ग) देश में मलेरिया के उन्मूलन के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) The incidence of malaria in Delhi during 1977 has been high. The incidence of Malaria is however on the decline since the last week of September, 1977.

(b) 1,68,729 cases were registered upto the end of October, 1977. Government have no intimation about the number of cases treated by the private doctors.

(c) A statement showing the steps taken by the Government to eradicate/contain the disease is laid on the table of the Sabha.

STATEMENT

The following steps have been taken by Government of India for controlling Malaria :—

1. A modified plan of operation is being implemented by the Governments of States and Union Territories from the 1st April, 1977. While the ultimate objectives of NMEP continues to be eradication of Malaria for the present it is proposed to contain it.

2. The existing N.M.E.P. units have been re-organised to conform to the geographical boundaries of the districts. The Chief Medical Officer of the District has been made primarily responsible for the programme in the district.

3. Increased quantity of the required type of insecticides have been/are being provided within the available resources.

4. Insecticidal spray operations have been undertaken in all rural areas, which have been incidence of two or more cases per thousand population.

5. Adequate quantity of anti-malaria drugs have been supplied to the States/Union Territory Governments. Drug Depots/Drug Distribution Centres/Fever Treatment Centres have been opened from where anti-malarial drugs are available conveniently to the public free of cost. In a few areas where resistance to chloroquine by parasites has been noticed, alternative anti-malarials like quinine have been supplied.

6. Anti-larval operations under Urban Malaria Areas Programme have been intensified. The Scheme has been extended to 38 towns during 1977-78 besides continuing it in the already existing 28 towns.

7. For early examination of blood smears and providing quick medical treatment, to positive cases, laboratory services have been de-centralised to the P.H.C. level.

8. Supervision of the field staff has been toned up.

9. Steps have been taken for undertaking both fundamental and operational research in Malaria.

10. Intensive campaign has been started in North Eastern region with World Health Organisation assistance for containing the spread of *P. Falciparum* infection.

11. Steps have been taken for imparting health education regarding the disease and for seeking cooperation of public organisation *e.g.* Panchayats School teachers, students, Youth Organisations, Medical Practitioners etc. in controlling the disease.

SHRI SHYAMPRASANNA BHATTACHARYA : The statement placed on the Table of the House by the Minister contains 11 items. Would he please explain as to what items 4, 7, 9, 10 and 11 contain and whether its implementation takes place or not. Malaria is spreading in spite of all those steps.

SHRI RAJ NARAIN : The information given under items 1 to 11 is investigated and every body takes appropriate action at his level.

SHRE SHYAMPRASANNA BHATTACHARYA : The hon. Minister has stated under item 10 that intensive campaign has been started with the help of W.H.O. May I know when it was started and for how long would it continue ?

SHRI RAJ NARAIN : I shall briefly reply to the hon. Member. When Sri Rama asked Hanuman about Sita's grief, he replied that it was better not to know that. Similarly it is better if you don't ask about Malaria. Now that the member has asked for it, it becomes my duty to furnish the details which I have laid on the Table for the guidance of the members.

अध्यक्ष महोदय : आपका पहला उत्तर तो संक्षेप में था। मैंने सोचा इस बार भी उत्तर संक्षेप में देंगे।

SHRI RAJ NARAIN : I shall try to be brief. Malaria has been a grave problem of public health in India. Prior to initiation of National Malaria Central Programme it had been approximately affecting 7 crore 50 lakh peoples every year. During the

time of epidemic the number of sufferers doubles. It used to take a toll of about 8 lakhs lives every year. Taking in view the seriousness of the situation Health survey and Development Committee of the Government recommended in 1946 for the formation of an anti malaria organisation on national level. In April 1953 the Government of India on bipartite basis and with the cooperation of International Agencies started a large scale spray programme. Taking in view the encouragement and in view of that the mosquito might become drug proof the Government of India changed its programme to National Malaria Eradication Programme. India had been poineer in this programme and has definitely taken a lead in the world.

The hon. Members may please listen patiently. From 1958 to 1965 the National Malaria Eradication Programme worked satisfactorily. It did not cause any death during 1965 and the epidemic was eradicated completely.

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या वह उत्तर दे रहे हैं अथवा भाषण दे रहे हैं।

श्री राज नारायण : मैं सभा को जानकारी दे रहा हूं। क्या आप उसे सुनना नहीं चाहते ?

From 1958 to 1965 the National Malaria Eradication Programme worked satisfactorily and the results were unusual.

अध्यक्ष महोदय : सारांश दें।

श्री राज नारायण : मैं सार दे रहा हूं :

Former Prime Minister Shrimati Indira Gandhi took over the Administration of the country in 1966. Since 1966 Malaria is in the increase I shall give the figures from 1974, 1975 and 1976, the years of emergency. During 1974, 31, 67, 658 people suffered Malaria and three persons died of it. During 1975, the number was 51 lakh 66 thousand and 142 persons suffered and 99 persons died of it. During 1976 6 lakh 5 thousand persons were affected and 481 died of Malaria.

During the last 7 months 3 lakh 21 thsousand 864 persons were involved. The epidemic is new declining. Truly speeking the spray programme totally stopped during 1973, 1974, 1975 and 1976. Entire effort was diverted to compulsory sterilisation. I called a meeting of State Health Directors to know the causes for this increase in the cases of malaria. It was stated that the spraying of D.D.T. was totally stopped. Spray of anti malaria drugs was also stopped and as a result the Malaria epidemic took a serious turn.

श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य : डी० डी० टी० के छिड़काव के समाप्त किए जाने के कारण मलेरिया महामारी का पुनः आगमन हुआ है। महामारी न केवल दिल्ली में अपितु देश भर में फैल रही है। भारत के पूर्वी भागों एवं जन-जातीय क्षेत्रों में भी इसका प्रकोप है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके व्यापक अभियान से इस महामारी के प्रकोप को देश में रोका जा सकेगा। क्या उन्हें पता है कि न्यूयार्क और वाशिंगटन में बचाव के लिय टीकों का विकास किया गया है और यदि हां तो, क्या हम मलेरिया की रोकथाम के लियें टीकों के विकास का यत्न कर रहे हैं ?

SHRI RAJ NARAIN : Where the D.D.T. does not work we spary B.H.C. This medicine kills the germs of Malaria.

SHRI VASANT SATHE : Is it Ayurvedic ?

SHRI RAJ NARAIN : Does he want to develop the country by ridiculing Ayurvedic ?

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवधानों का उत्तर न दें। प्रश्न का ही उत्तर दें।

SHRI RAJ NARAIN : We are trying to manufacture the medicines that are in short supply.

My friend has just asked what assistance the W.H.O. has given. It has contributed 2.92 lakh dollars.

श्री बेदव्रत बरुआ : मुझे उम्मीद है कि आप मंत्री महोदय से प्रश्न के संगत भाग का उत्तर देने को कहेंगे। समस्या के राष्ट्रीय स्तर के बारे में उन्होंने उत्तर नहीं दिया। मुख्य प्रश्न दिल्ली में मच्छरों के प्रकोप के बारे में है। जनता सरकार के आते ही मच्छर भी क्रियाशील हो गए हैं। अब उनका सर्वत्र व्यापक

प्रसार हो चुका है। मलेरिया नाशी तेल भी उपलब्ध नहीं है और इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई मंत्री महोदय श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम न लेते हुए मुख्य विषय की बात करें। अब हम खुली नालियों में मलेरिया उन्मूलक तेल का छिड़काव नहीं कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप जनता सरकार का नाम न लें और वह इन्दिरा गांधी का उल्लेख न करें।

SHRI RAJ NARAIN : Sometimes some human beings also play the part of germs. Indiraji is playing the game for Shri Chavan.

Mr. Speaker, it is true that this year Delhi, Haryana, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh have suffered heavy floods. There has been grave cyclone in Tamil Nadu. That state has not as yet asked for supply of medicines.

श्री आर० मोहचरंगम: तमिलनाडु की वर्तमान स्थिति के बारे में हमारे मुख्य मंत्री ने दो पत्र भेजे हैं। (**व्यवधान**) वह कहते हैं कि उन्हें राज्य सरकार से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हमारे राज्य में भी तूफान आया। हम पूरी क्षति का मूल्यांकन करके भारत सरकार को भेज रहे हैं। उन्हें उस राज्य के साथ व्यक्तिगत शत्रुता है, प्रश्न काल एक घंटे का होता है और वह पर्याप्त समय ले चुके हैं। तमिलनाड भारत का हिस्सा है (**व्यवधान**)।

श्री सी० एन० विहवालन : तमिलनाडु की वर्तमान स्थिति के बारे में दो पत्र भेजे गये हैं। हमारे राज्य की क्षति के बारे में भी विवरण आने वाला है। तब भी वह कहते हैं तमिलनाडु के बारे में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। (**व्यवधान**)।

SHRI RAJ NARAIN : The Health Secretary of the State has stated that he would send the complete details. Whatever medicines Tamil Nadu State would ask from we shall supply that.

During 1976-77 the following materials were supplied to Delhi Municipal Corporation and N.D.M.C. M.L.O. 698 kilograms, Paris green 1700 kilogram, Kerosene oil 28, Paraseen Abset 10,000 litre, Preshen 900 litre, Betax 1000 litres.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : 20 मिनट बीत गये हैं और अभी पहला प्रश्न ही चल रहा है। क्या हम अधिक प्रश्नों को नहीं लेना चाहिए। बैल्लट में हमारे नाम आये हैं तब भी हमारे प्रश्न लिए नहीं जा पाते।

SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : The D.D.T. sprayed previously was more effective. Will he investigate as to why the present D.D.T. is not that much effective.

SHRI RAJ NARAIN : The information was asked for in respect of Delhi which is yet to be given by me. Malaria germs are killed immediately on their growth, it can be checked otherwise the resistence power of the germs is increased. That is why D.D.T. does not work.

ATTACK ON INDIANS ABROAD BY ANAND MARGIS

*†62. SHRI SUKHENDRA SINGH :
SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT : } : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether many of our Embassies abroad have not only received letters of threats, but incidents of attack on the officers of the Embassies by foreign Anand Margis have also taken place;

(b) if so, the number of such incidents that have taken place so far; and

(c) the action taken by Government of India in the matter ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) Yes, Sir.

(b) (i) Letters of threats have been received by 11 Missions in all;

(ii) incidents of attack have taken place only in our Missions in Canberra and London and Air India, Melbourne.

(c) the Missions concerned have taken up with the respective host Governments the question of providing adequate security to personnel and property. All the Indian Missions/Posts/Officers abroad have been advised to observe departmental security instructions and keep in close liaison with the local Foreign Officers as well as Security Agencies.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I shall also like to mention the incident which has taken place in Air India's Office, Kuala Lampur. Air India's Office is situated in a 14 storeyed building where a time bomb was found in labatory. The police was informed immediately but the bomb exploded before the arrival of the police injuring one member of the staff. Those who planted the bomb could not be identified. There was no letter with the bomb but today morning the Indian High Commission in Kualalampur has received a letter from universal Proutist Revolutionary Federation saying that the life of our Prime Minister Shri Morarji Desai will be in danger in case Sarkar is not released. But it contains no mentoin of explosion although there is a clear connection between the two.

SHRI SUKHENDRA SINGH : The situation is very serious. Our 12 missions have received letters of threats. Similar incidents have taken place elsewhere also. It is clear that Anand Margis of India are behind all these incidents. The Government should take strict action in this regard.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : All these incidents in foreign countries involving threats and attacks on our staff are of serious concern to the House as well as to the whole country. We have also contracted interpol in this regard. A special cell has been set up under the Ministry of Home Affairs which is keeping strict watch over the whole affair and is taking security steps. We are considering to take steps in India in the light of these incidents.

SHRI SUKHENDRA SINGH : Our officers posted in embassies are overawed and afraid. So it will not be sufficient to take up the matter with other Governments alone. Some definite action should be taken in this regard to relieve them of fear complex.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Sir, it is not correct to say that there is fear among the Indian staff in foreign missions. In fact there morale is very high and they are discharging their duties boldly. We have arranged steps for their security but the countries where our embassies are located have the primary duty to take steps for the security of our employees working there. We are taking every possible step to further strengthen the security arrangements.

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : क्या इस तथ्य को देखते हुए कि 12 विदेशी मिशनों को हमलों की धमकियां मिली हैं, इस संबंध में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं ? मंत्री जी ने अभी कहा कि हम सुरक्षात्मक उपाय कर रहे हैं और विदेशों से सम्पर्क रखे हुए हैं। इस संबंध में विदेशों की प्रतिक्रिया क्या है ? अपराधियों का पता लगाने और ऐसी घटनाओं को रोकने में वे क्या सहयोग कर रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमें संबंधित विदेशी सरकारों से पूरा सहयोग मिल रहा है। एक गम्भीर मामले में अपने घर में सोये हुए कर्नल इकबाल सिंह की छाती पर छुरे से वार किया गया और उनके अपहरण का भी प्रयत्न किया गया। अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। वह 26 वर्षीय आस्ट्रेलिया का निवासी है जिसने अपराध स्वीकार किया है और श्री पी० आर० सरकार को रिहा न किए जाने के विरोध में यह कार्य किया था।

SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI : Are the persons responsible for these incidents foreigners or Indians and whether it is the result of some international conspiracy ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : All these incidents have foreigners behind them but which Indian is behind these foreigners is a matter of investigation.

SHRI SOMJI BHAI DAMOR : May I know whether our Foreign Minister has also received any letter of threat who generally remains outside the country?

अध्यक्ष महोदय : यह सम्बद्ध प्रश्न नहीं है।

SHRI YADVENDRA DUTT : May I know whether the Foreign Minister is aware of the fact that Anand Marga, under whose auspices this Proutist Block is spreading terrorism, has established links with the International Terrorists who want to spread terror from Philipines to other countries? If so, the steps being taken by the Government to check them?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : At this moment the Government is not in a position to say that these attacks are the designs of some organisation other than the Proutist Block. We are investigating the matter and will inform the House as soon as we receive information in this regard?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : इन सभी धमकियों में शर्त है कि यदि श्री पी० आर० सरकार को न छोड़ा गया तो उन्हें कार्यान्वित कर दिया जायगा। सारे देश को पता है कि यह प्राउट संगठन का कार्य है जो आनन्द मार्ग का ही अंग है। पहले तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री तथा सीमा शुल्क के मुख्य अधिकारी आनन्द मार्ग से सम्बद्ध रहे हैं। हिंसा पर उतारू इस संगठन पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया जाता? इस संगठन से सम्बद्ध कुछ प्रभावशाली व्यक्ति सरकार पर प्रभाव डाल रहे हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सरकार पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा। सदस्य महोदय ने कार्यवाही का सुझाव दिया है जिस पर विचार किया जाएगा।

SHRI NATHU SINGH : May I know whether Government have tried to open a dialogue with the organisations which have given these threats and if so the details thereof? Further whether these letters of threats have been given by these very organisation or some other individuals in their name?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : These are anonymous letters so we cannot open any dialogue with any body. But we try to convince those Anandmargis who come to demonstrate before embassies that the case of Shri Sarkar is pending in the Court and Government cannot interfere in the matter we have also told them that the Government of India will not bow before these violent activities.

डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद : अब तक उपलब्ध समाचारों से पता चलता है कि ये घटनाएं केवल राष्ट्रमंडलीय देशों में ही हो रही हैं क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछ कोई गहरा राज है। क्या मंत्री जी इसकी पूरी जांच करायेंगे?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जैसा सदस्य ने सुझाव दिया है, मैं इस विषय में पूरी जांच कराने का आश्वासन देता हूं।

श्री राम जेठमलानी : क्या मंत्री जी श्रीमती इन्दिरा गांधी के पदचिह्नों पर न चलने का आश्वासन देंगे। जब तक किसी संगठन के अपराधी होने का पूरा प्रमाण न मिल जाए तब तक किसी संगठन पर प्रतिबन्ध न लगाया जाए चाहे वह आनन्द मार्ग हो अथवा कोई और संगठन हो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सामान्यतया हम किसी भी संगठन पर प्रतिबन्ध लगाने के हक में नहीं क्योंकि सरकार का विश्वास है कि संगठनों का राजनीतिक स्तर पर जनता के सहयोग से मुकाबला किया जाए।

आनन्द मार्ग संबंधी प्रश्न गृहमंत्री जी से किया जाना चाहिए क्योंकि विदेश मंत्री के रूप में मैं उसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं।

UPGRADING OF POST OFFICE IN BIHAR

†*64. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a scheme to upgrade those Post Offices to sub-Post Offices which have been successfully working for years together; and

(b) if so, whether the Post Offices in Chausa, Puraini and Gwalpar in Saharsa District in Bihar would be upgraded to Sub-Post Offices and the facility of telegraph and telephone provided there ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) Branch Post Offices are upgraded to Sub-Post Offices according to departmental norms and allocation of funds. It is planned to upgrade 200 Branch Post Offices to Sub-Post Offices during 1977-78 throughout the country.

(b) The Post Office at Chausa is already a Sub-Post Office and has telegraph facility. Proposal to provide telephone facility at the Post Office has been approved.

The case for upgradation of Puraini Branch Post Office which is in account with Chausa Sub-Post Office of Saharsa District will be examined. Telegraph facility at Puraini is already available and provision of telephone facility there has been approved.

The case for upgradation of Gwalpur Branch Post Office was also examined in the past and found not justified. The case will be re-examined. The proposal to provide telegraph and telephone facilities at this office is also under examination.

SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV : He has stated that about 200 branch post offices will be provided with telephone and telegraph facilities and it is planned to convert them into sub-post offices. Whether he has fixed any population limit to open new post offices or to convert the existing post offices into sub-post offices in remote villages and to provide telephone and telegraph facilities ?

SHRI BRIJ LAL VERMA : Yes Sir, while opening a post office eight points are considered and population is one of them. We have to take into account the revenue and expenditure and if any post office is functioning and if so what is the distance. It is our effort to open a post office where the population reaches upto 2000 and at the same time we ensure whether any school or any institution run by local board is existing nearby.

SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV : The Hon. Minister has said that Telegraph facility at Puraini is already available but I am afraid his information is not correct. Puraini, Chausa and Gwalpar come under Saharsa district. Chausa has to depend on Naugachia for postal facilities. It is on the other side of the river. Why it is not linked with Saharsa ? Puraini, Chausa and Gwalpar should be directly linked with Saharsa and Saharsa Branch Office may be converted into Sub-Post Office with telegraph and telephone facilities because at present the people have to go to Bihariganj.

SHRI BRIJ LAL VERMA : In Chausa, there is already a Sub-post office and at Puraini and Puraini Bazar, there are branch post offices. In fact we have suffered huge losses. This has come to light when enquiries were made during 1971 and again in 1971, we are again trying to find out the way by which the facility desired by the Member may be provided.

SHRI CHHABIRAM ARGAL : May I know the number of villages with a population of 2000 where Panchayat Offices and police stations are functioning but telephone and telegraph facilities are not available ? Will these be provided there ?

SHRI BRIJ LAL VERMA : According to our plan we want to open a post office in each and every Gram Panchayat within 10 years. At present not only Gram Panchayats but many big places are without a post office.

SHRI RAM DHARI SHASTRI : Will the hon. Minister give us assurance that all the existing post offices will have telegraph facilities within two years ?

SHRI BRIJ LAL VERMA : We have prepared a separate scheme to set up telegraph and telephone connections in every village having population from 2500 to 5000 within two years.

श्री विजयकुमार एन० पाटिल : क्या मंत्री जी ग्रामीण क्षेत्रों में उन टेलीफोन कनेक्शनों की दरों में कमी करेंगे जो नगरीय टेलीफोन केन्द्रों से जुड़े हुए हैं? दूसरे अगले वर्ष खोले जाने वाले पी० बी०-एक्स० केन्द्रों की संख्या क्या है?

SHRI BRIJ LAL VERMA : We propose to open 40,000 PBX Centres within two years.

महाराष्ट्र में नए डाकघर खोला जाना

*65. **श्री आर० के० महालगी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र के अनेक जिलों म विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों का पिछड़ी बस्तियों में डाकघरों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो, क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में, विशेषकर एक वर्ष के भीतर राज्य में नये डाकघर खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) Government is aware of the shortage of postal facilities; however, with greater emphasis now on development of postal services in rural areas, deficiencies are being removed in a planned manner.

(b) & (c) : Post offices are opened on continuing basis subject to certain norms and availability of funds. It is proposed to open 236 Post Offices in the rural areas and 20 in the urban areas. Besides, postal facilities will be provided in an additional 3,000 villages by Mobile Post Offices and 5,000 letter boxes will be installed in villages during the current financial year in Maharashtra State.

श्री आर० के० महालगी : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि गत 30 वर्ष में महाराष्ट्र राज्य में कितने गांवों में ऐसे डाकघर खोले गए हैं ?

श्री बृजलाल वर्मा : इस समय मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं। परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि आप के राज्य में सभी ग्राम पंचायतों में 10 वर्ष के भीतर डाकघर स्थापित हो जाएंगे।

श्री आर० के० महालगी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या साइकिलों पर चलते-फिरते डाकघर टेम्पो और टैक्सी डाकघरों के अलावा होंगे?

श्री बृजलाल वर्मा : हम महाराष्ट्र में इस वर्ष 3,000 गांवों में डाक-तार सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

SHRI MANI RAM BAGRI : Postal facilities have been provided in cities only and for big people only. I want to know whether Government propose to instal letter boxes in each village, though it consists of only one family, and make arrangements for daily delivery there ?

The hon. Minister has mentioned about installation of 5000 letter boxes, but will he give an assurance that every village will have a letter box and the Postman will take out mail from it daily ?

SHRI BRIJ LAL VERMA : We propose to instal letter boxes in one lakh villages during the current financial year and also propose to provide all postal facilities in 50 thousand villages during the current year which was not done during the last 10 years. We are making all out efforts to provide more and more facilities to rural people.

SHRI PHIRANGI PRASAD : May I know the rules and criteria framed by Government for opening new post offices ? Will the Janata Government simplify them so that common people get their mail regularly ?

SHRI BRIJ LAL VERMA : We are making efforts to ensure daily delivery of mail in 96 percent villages during this year in accordance with present arrangements. In addition we are trying to provide these facilities in more and more villages. We are also trying to open more and more post offices.

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था का पुनर्गठन

*66. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** :क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था का पुनर्गठन करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

समिति का गठन इस प्रकार है:

1. डा० ए० के० घोष, अपर सचिव, खान विभाग, इस्पात और खान मंत्रालय।	अध्यक्ष
2. डा० ए० बी० दासगुप्ता, रिटायर्ड प्रबन्ध निदेशक, आयल इण्डिया लिमिटेड।	उपाध्यक्ष
3. डा० जी० आर० उदास, निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग, परमाणु ऊर्जा आयोग।	सदस्य
4. श्री के० आर० परमेश्वर, प्रमुख, आयोजन व विकास, भारत हैवी इलेट्रिक्कल्स लिमिटेड।	सदस्य
5. श्री एन० टी० श्रीनिवासन, प्रमुख, प्रबंध सेवाएं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०।	सदस्य
6. डा० एम० वी० एन० मूर्ति, उप महानिदेशक, भारतीय भूसर्वेक्षण।	सदस्य
7. डा० हरिनारायण, निदेशक, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान	सदस्य
8. श्री जी० घोष, उप सचिव, खान विभाग, इस्पात और खान मंत्रालय।	सदस्य-सचिव

SHRI R. L. P. VERMA : The statement enclosed with the reply reveals that there is no representative of Bihar in this Committee. I had already written to him that Shri R. C. Sinha of Patna University, who is a Geologist of international repute, should be

included in this committee. No survey has been made in respect of 56 percent minerals wealth in Bihar so far and this office is located in Calcutta for the last 125 years and it has no representative from Bihar. A regional office was proposed to be set up in 1968 but nothing has been done in this regard. Although Bihar is on the top throughout the country in respect of minerals wealth, yet these have not been exploited so far for this very reason. Will the hon. Minister is willing to set up a regional office in Ranchi ?

श्री बीजू पटनायक : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि यह मामला रांची या पटना में क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने से कहीं अधिक व्यापक है। भारतीय भू-सर्वेक्षण, जो 25 वर्ष पुरानी संस्था है, के समूचे मामले की पूर्ण समीक्षा की जा रही है और सरकार उच्च शक्ति प्राप्त समिति का प्रतिवेदन मिलने के बाद ही भारतीय भू-सर्वेक्षण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में निर्णय लेगी।

SHRI R. L. P. VERMA : By what time this decision is likely to be taken ?

श्री बीजू पटनायक : आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक सरकार को यह प्रतिवेदन मिल जाएगा। इसके बाद सरकार आवश्यक निर्णय लेगी।

श्री समर गुह : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण की यनियन ने उन्हें कोई ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने जांच के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं ? केन्द्रीय सरकार की बहुत सी संस्थाएं भारत के विभिन्न भागों में केन्द्रित हैं जैसे कि सभी वित्तीय संस्थाएं बम्बई में स्थित हैं। क्या यह सच है कि कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि चूंकि भारतीय भू-सर्वेक्षण का मुख्यालय पिछले 120 वर्षों से कलकत्ता में है, अतः अब इस वहां से हटाया जाना चाहिए ? क्या मंत्री महोदय इस सिद्धान्त को लागू करने से पूर्व उन बातों को भी ध्यान में रखेंगे जिनके कारण ये संस्थाएं वहां पर हैं ? क्या वित्तीय संस्थाओं के मामले में भी, जो भारत के अन्य भागों में स्थित हैं, यही रवैया अपनाया जायेगा ?

श्री बीजू पटनायक : मैं माननीय सदस्य के विचार अपने ध्यान में रखूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS

पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका के देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक सम्बन्ध

63. **श्री भगत राम** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका के देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक सम्बन्धों का विस्तार करने के लिए कोई प्रयत्न किये गये थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार पश्चिम एशियाई तथा उत्तर अफ्रीकी देशों के साथ भारत के राजनीतिक तथा आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, विस्तृत करने तथा उन्हें विविध रूप देने को सर्वाधिक महत्व देती है। निर्माण कार्य तथा आवास मन्त्री और उद्योग मन्त्री ने प्रधान मन्त्री के विशेष दूत के रूप में विगत दो महीनों में इस क्षेत्र के विभिन्न देशों की यात्रा की। इन यात्राओं से इन देशों के साथ हमारे राजनीतिक एवं आर्थिक संबंधों में एक नयी गति आयी है।

इसके अतिरिक्त भारत ईरान संयुक्त आयोग की बैठक सितम्बर, 1977 में नई दिल्ली में हुई, तथा भारत-ईराक संयुक्त आयोग का तीसरा तथा चौथा अधिवेशन जून तथा नवम्बर,

1977 में हुआ। ये बैठकें अत्यन्त लाभदायक रहीं। अन्त में, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि इस महीने श्री आरिफ बेग, वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता राज्य मन्त्री के नेतृत्व में वार्षिक हज़ प्रतिनिधिमण्डल सऊदी अरब गया है।

बंगला देश द्वारा भारत के विरुद्ध प्रचार

*67. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि उस देश में हाल में हुए विद्रोह में भारत का हाथ था;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) (क) 11 अक्तूबर, 1977 को ढाका में बंगला देश के राष्ट्रपति द्वारा दिये गए वक्तव्य के आधिकारिक पाठ में ऐसे उल्लेख थे जिनसे अभिप्रेत यह था कि 30 सितम्बर और 2 अक्तूबर, 1977 को बंगला देश में बोयरा और ढाका में हुई घटनाओं में भारत का हाथ है।

(ख) और (ग) : यह मामला तत्काल ही बंगलादेश की सरकार के साथ उठाया गया जिन्होंने भारत सरकार को विश्वास दिलाया कि बंगलादेश सरकार की मंशा यह नहीं थी कि इन वारदातों में भारत का हाथ होने का अर्थ लगाया जाय।

HINDI SPEECH BY EXTERNAL AFFAIRS MINISTER

68. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he had delivered his speech in Hindi, in the United Nations Organisation;

(b) if so, what was the reaction of other nations; and

(c) if so, whether Government are in a position to order their officers, to make use of Hindi always who are connected with this organisation at present ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) Yes, Sir.

(b) The fact that for the first time the speech in the General Assembly session was made in Hindi was widely noted.

(c) All Government officers are expected to have a working knowledge of both English and Hindi and can use whichever language they find convenient.

समेकित कुष्ठ निवारण कार्यक्रम

*69. **श्री आर० ई० गट्टानी**
श्री उग्रसेन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के बहु-उद्देश्यीय कर्मचारी योजना से सम्बद्ध सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ समेकन का राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण संगठन, वर्धा ने विरोध किया है;

(ख) क्या यह नीति सम्बन्धी निर्णय किये जाने से पूर्व राष्ट्रीय कुष्ठ सलाहकार समिति से सलाह ली गई थी ; और

(ग) क्या कुष्ठ कार्यक्रम मलेरिया, परिवार कल्याण अथवा चेचक कार्यक्रम की भांति नहीं है जिसे समेकित किया जा सके और क्या देश को अभी एक ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) कुष्ठ निवारण कार्यक्रम की आवश्यकता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जिनमें कुष्ठ रोग, हैजा, क्षयरोग, मलेरिया आदि भी शामिल हैं, को एकीकृत करने का प्रश्न था इसलिए नीति सम्बन्धी निर्णय लेने से पहले केवल राष्ट्रीय कुष्ठ रोग समिति से परामर्श करना जरूरी नहीं समझा गया था।

(ग) फिलहाल कुष्ठ रोग नियन्त्रण कार्य को सम्पूर्ण देश की सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत नहीं किया जाएगा। हमारा अभिप्राय यह है कि सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को उन जिलों की बहुधन्धी कार्यकर्ता योजनाओं के साथ एकीकृत किया जाएगा जिन जिलों को इस योजना को चलाने के लिए चुना गया है। परन्तु यह योजना केवल उन्हीं जिलों में लागू की जाएगी जिनमें कुष्ठरोग तथा अन्य जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं अति-स्थानिकभारी स्थिति में नहीं है। अन्य जिलों में कुष्ठ रोग अर्ध्वाधर (वर्टिकल) रूप में जारी रहेगा।

LEGISLATION TO REPEAL THE PROVISION OF PENSION TO FORMER M.Ps.

*70. SHRI P. G. MAVALANKAR : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) Whether Government have now considered the question of pensions to former Members of Parliament being eliminated or increased;

(b) if so, the facts thereof, including the manner in which Government propose to implement their decision and when;

(c) if not, reasons therefor; and

(d) whether Government propose to bring forward during the Winter Session 1977 the legislation for repeal of the provision of pensions to former M.Ps. and if so, broad indications thereof ?

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) to (d) : Representations have been received both for repealing the provisions regarding the granting of pension to ex-Members of Parliament and also for liberalising them. The whole matter is still under consideration of the Government. A decision will be taken after Government has had discussion with the Leaders of opposition parties/groups in the two houses.

राज्यों में कालाजार ज्वर

*71. **श्री राजकेशर सिंह**
श्री अहमद हुसैन } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिल नाडु, महाराष्ट्र तथा आसाम में कालाजार ज्वर से कितने लोग पीड़ित हुए;

(ख) उपरोक्त राज्यों में से प्रत्येक से कितने लोगों के मरने के समाचार मिले हैं; और

(ग) इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर हल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) इस समस्या को हल करने के लिये जो कदम उठाए गए हैं उनका एक और विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर कालाजार की समस्या को हल करने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदम

(1) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमों की संशोधित कार्य योजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों में छिड़काव कार्य करने के लिये उपयुक्त किस्म की कीटनाशी दवाई सप्लाई की जाती है जिनमें प्रति हजार जनसंख्या के पीछे दो या इससे अधिक व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित हुए हों। यह कालाजार की रोकथाम के लिये भी स्वयमेव एक उपाय हो जाता है।

(2) देश में कालाजार की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये एक केन्द्रीय कालाजार सर्वेक्षण दल मंजूर कर दिया गया है।

(3) सामान्यतया कालाजार के इलाज के लिये अपेक्षित औषधि एण्टीमोनी कम्पाउण्ड का उत्पादन बढ़ा दिया गया है।

(4) जिन रोगियों पर एण्टीमोनी कम्पाउण्डस का कोई असर नहीं होता है, उनके इलाज के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता के रूप में पेन्टेमिडाइन की शीशियां प्राप्त की गई हैं। ये शीशियां पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिल नाडु और असम के रोगग्रस्त क्षेत्रों के लिये भेजी जा रही हैं।

सूचित कालाजार रोगियों और मौतों की संख्या

राज्य का नाम	रोगियों की संख्या				मौतें
	1974	1975	1976	1977	
असम	–	4	4	–	–
तमिल नाडु	14	11	14	–	–
गुजरात	1	1	3	–	1976 में दो रोगियों की मृत्यु की सूचना मिली।
पश्चिम बंगाल	–	75	53	62	–
बिहार	40	822	1587	12667	153

महाराष्ट्र से सूचना मिली है कि उस राज्य में कोई भी व्यक्ति कालाजार से पीड़ित नहीं हुआ है।

2—875LSS/77

श्रमिकों का प्रबन्ध में भाग लेना

*72. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने के लिये कोई नीति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो समूचे देश में कितने सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों ने इस प्रकार भाग लिया है; और

(ग) कितने सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों ने भाग नहीं लिया है और इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) विनिर्माण तथा खनन यूनिटों के उद्योग में श्रमिक सहभागिता के लिये एक स्कीम सरकार ने अक्टूबर, 1975 में और जनवरी, 1977 में एक और स्कीम सरकारी क्षेत्र वाणिज्य तथा सेवा संगठनों में प्रारम्भ की। श्रमिक सहभागिता की संपूर्ण नीति को अब समिति पुनरीक्षा कर रही है।

(ख) और (ग) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पात्रता वाले लगभग सभी यूनिटों जिनकी संख्या 545 है, ने अक्टूबर, 1975 की स्कीम लागू कर दी है या ऐसा करने के लिये कार्यवाही आरंभ कर दी है या वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है।

MICA MINES IN BIHAR

*73. SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the total number of mica mines in Bihar in which work was in progress in 1961 and the number of mines in which work is going on now;

(b) the reasons for decline, if any;

(c) the measures being taken to revive this industry; and

(d) the action proposed to be taken by Government in regard to 25 hundred thousand workers rendered unemployed as a result of decline in the mica industry ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) Total number of mica working mines in Bihar during 1961 was 432. The present number of working mines of mica in Bihar is 163.

(b) There has been a decline in the number of working mines because of reduction in the demand for mica which is mainly exported due to :

(i) replacement of mica blocks by reconstituted mica and synthetic products like plastics and polystyrene;

(ii) use of transistorised devices which do not require mica.

(iii) Release of mica from U.S.A. stockpiles;

(iv) Recessionary conditions prevailing in the world markets generally.

Many mines in Bihar have also closed down because of internal problems faced by some business houses controlling large interests in mica mines in that State.

(c) Attempts are being made by the Mica Trading Corporation to promote export of processed and fabricated mica. The Corporation is also contemplating the establishment of factories with foreign collaboration to produce;

(i) Wet ground and micronised mica powder;

(ii) mica paper and micanite;

(iii) mica capacitors, etc.

It is also proposed to promote research and development facilities to find new uses for mica.

All these steps are intended to improve the market ability of mica in small pieces and mica scrap which are the most adversely affected varieties in the decline in demand for mica generally.

A Mica Advisory Committee has also been constituted under the Ministry of Commerce in 1976 to advise on:

(i) improving production and export of mica;

(ii) Development of processed and fabricated mica, promotion of mica-based industries and export of mica products.

(d) The average employment in the mica mines in the country during years of peak production was about 16,000 workers per day, which has now fallen to less than 10.000 workers. With the steps already listed above, exports are expected to improve and as a consequence, the situation might improve.

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तदर्थ डाक्टर

***74. श्री वसन्त साठे**
श्री के० ए० राजन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के 650 'तदर्थ' डाक्टरों को नौकरी से निकाले जाने का खतरा है हालांकि ये डाक्टर दस वर्षों से भी अधिक समय से नौकरी कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इन योग्यता प्राप्त डाक्टरों को उक्त योजना के अन्तर्गत नियमित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) :

(क) (ख) और (ग) 1977 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा से चुने गये (335) उम्मीदवारों को तदर्थ चिकित्सा अधिकारियों के स्थान पर लगाने से यदि तदर्थ चिकित्सा अधिकारियों के लिये उनकी संबंधित संस्थाओं में स्पष्टतया रिक्त पद न हुए तो उनकी सेवाएं "बाद में आए, पहले जाए" के आधार पर समाप्त किए जाने की संभावना है। तदर्थ नियुक्तियां इस शर्त पर की जाती हैं कि तदर्थ डाक्टरों की सेवाएं नियमित डाक्टरों के उपलब्ध होने पर समाप्त की जा सकती हैं।

तदर्थ चिकित्सा अधिकारी 1978 में होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। दुर्गम क्षेत्रों में 175 रिक्त पदों के लिये साक्षात्कार के आधार पर एक विशेष भरती की जाने की और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में लगभग 375 रिक्त पदों के लिये लिखित परीक्षा ली जाने की संभावना है। इन भर्तियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की भी संभावना है।

दिल्ली में मार्च, 1977 से सितम्बर 1977 तक दिए गए नए टलीफोन कनेक्शन

***75. श्री मोहम्मद शफी कुरेशी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मार्च, 1977 से सितम्बर, 1977 के अंत तक कुल कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए; और

(ख) सितम्बर, 1977 तक कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में थे ?

संचार मंत्री (बृजलाल वर्मा (क) 59220

(ख) 45,522

PARTICIPATION OF LABOUR IN INDUSTRY

*76. SHRI YADVENDRA DUTT
SHRI K. RAMAMURTHY } : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state when and what changes are proposed to be made by Government in the labour laws and rules with a view to ensure proper place for labour in the management of industries ?

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : Arising out of the recommendations of the Tripartite Labour Conference held in May, 1977, the Government have set up a Committee on Workers' Participation in Management and Equity consisting of members representing the Central Organisations of Employers and Trade Unions, some of the States and professional institutions of management under the chairmanship of Union Labour Minister. A copy of the Government's Resolution dated the 23rd September, 1977 is laid on the Table of the House. The Committee has been asked to submit its report within a period of two months.

[Placed in Library. *See* LT. No. 1071/77.]

चीन-भारत सम्बन्ध

*77. डा० मुरली मनोहर जोशी
श्री दीनेन भट्टाचार्य } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय के कोई संकेत हैं कि चीनी गणराज्य चीन-भारत सीमा समस्याओं के बारे में भारत से विचार-विमर्श करने और भारत से संबंध और सामान्य बनाने का इच्छुक है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई पहल की है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) सरकार ने चीनी नेताओं के उन वक्तव्यों से सम्बद्ध समाचार देखे हैं जो उन्होंने पत्रकारों के समक्ष और अन्य देशों के नेताओं की पीकिंग यात्रा के समय दिए हैं और जिनमें इस बात के संकेत हैं कि चीन-भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है। जब इन वक्तव्यों के बारे में हमारी प्रतिक्रिया पूछी गई तो हमने स्पष्ट किया कि चीनी नेताओं के बताए जाने वाले इन वक्तव्यों का सरकार स्वागत करती है, किन्तु भारत तथा चीन के बीच के विवादास्पद प्रश्नों के बारे में भारत के साथ बातचीत करने के लिये भारत सरकार से चीन ने अब तक कोई विशिष्ट प्रस्ताव सीधे नहीं किया है।

(ख) हमने पारस्परिक आपसी लाभ के आधार पर भारत और चीन के बीच परस्पर लाभदायक संबंध विकसित करने की दिशा में पहले ही कई प्रयत्न किए हैं। हम यह नहीं मानते कि हमारे परस्पर लाभदायक संबंधों को सुधारने की दिशा में, जोकि एशिया के चीन तथा भारत जैसे दो विशाल देशों के लिये उचित है, सीमा का विवादास्पद प्रश्न बाधक होना चाहिए।

पंजीकृत भर्त्ती एजेंसियों के माध्यम से विदेशों में भेजे गए भारतीय

*78. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 और 1977 (अक्टूबर तक) के दौरान पंजीकृत भरती एजेंसियों के माध्यम से विदेशों म नौकरियों के लिये कितने भारतीय गये;

(ख) सरकार ने विदेशों में नौकरियां ढूंढने के लिये कितनी भर्ती एजेंसियों को अधिकृत किया हुआ है; और

(ग) विदेशों में भारतीयों के लिये नौकरियां बुक करने के बारे में पंजीकृत एजेंसियों के नियम और शर्तें क्या हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) श्रम मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 1976 से अक्टूबर, 1977 की अवधि के दौरान विदेशों में 15,902 भारतीय कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल कामगारों की नियुक्ति की अनुमति को स्वीकृति दी गई थी। यथार्थ में नियुक्त हुए लोगों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) सरकार द्वारा (31 अक्टूबर, 1977 तक) 254 भर्ती अभिकरण पंजीकृत किए गए हैं।

(ग) वर्तमान प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार, भर्ती एजेंट के रूप में किसी भारतीय फर्म/वैयक्तिक द्वारा पजीकरण के लिये आवेदन करते समय केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में उचित साधनों के माध्यम से उनके/उसके पूर्ववृत्त की जांच किए जाने तथा बैंक के संचालकों द्वारा प्रमाणित की गई उनकी/उसकी वित्तीय अखंडता के पश्चात्, बशर्ते कि अभिकरण के विरुद्ध हमारे विदेशी मिशनों या किसी अन्य साधन से कोई शिकायत नहीं है, अस्थाई पंजीकरण स्वीकृत किया जाता है। एक विवरण जिसमें विदेशी नियोजकों की ओर से कुशल, अर्द्धकुशल तथा अकुशल कामगारों की भर्ती के कार्य को करने के लिये श्रम मंत्रालय द्वारा भर्ती एजेंट को अस्थाई पंजीकरण स्वीकृत किया जाता है, की शर्तें दी गई हैं, सभा की मेज पर रखा जाता है।

वे शर्तें जिन पर विदेशी नियोजको की ओर से कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कामगरों की भर्ती के लिये कारबार चलाने के लिये श्रम मंत्रालय (डी० जी० ई० एण्ड टी०) द्वारा अनंतिम पंजीकरण प्रदान किया जाता है।

1. पंजीकरण जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये या अगले आदेश जारी होने तक वैद्ध होगा।

2. यथातथ्यत पंजीकरण से पंजीकृत भर्ती अभिकरण को विदेशी नियोजक को कोई भारतीय कामगर भेजने का हक नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे मामले में श्रम मंत्रालय से विशेष अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते हैं जहां अभिकरण किसी आदमी को बाहर भेजने के लिये प्रयोजन या सहायता की इच्छुक है। इस उद्देश्य हेतु अभिकरण कम से कम 45 दिन पहले, जब कि कामगारों को वास्तव में काम पर भेजने का प्रस्ताव हो, श्रम मंत्रालय को फार्म-III में आवेदन करेगा। यह अभिकरण फार्म की पांच प्रतियों के साथ-साथ निम्नलिखित दस्तावेज की पांच-पांच प्रतियां भेजेगा।

   (क) विदेशी नियोजक से विधिवत् प्राधिकृत मुख्तारनामा जिसमें उसकी ओर से कामगारों की भर्ती के लिये अभिकरण को प्राधिकृत किया गया हो;

   (ख) विशिष्ट वर्गों को भर्ती करने और उनके रोजगार के लिये भर्ती किए जाने वाले वांछित कामगरों की संख्या के लिये विदेशी नियोजकों से अनुरोध, यह अवधि सूचित करते हुए कि कामगरों को कब रोजगार पर लगाना है।

(ग) रोजगार करार फार्म जो विदेशी नियोजक भर्ती किए गए कामगारों के साथ निष्पादित करने का विचार रखता है जिसमें प्रत्येक प्रकार के कामगारों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते पृथक रूप से दिखाए गए हों;

(घ) उपर्युक्त भर्ती के लिये चुने गए उम्मीदवारों के संबंध में फार्म-IV में सूचना।

3. अनुमति प्रदान करने के लिये किसी ऐसे प्रार्थनापत्र पर विचार नहीं किया जाएगा यदि इसके साथ उपर्युक्त (क), (ख), (ग) और (घ) के अनुसार दस्तावेज नहीं भेजे जाते हैं।

4. अनुमति के लिये आवेदन करने से पहले भर्ती अभिकरण स्वयं यह समाधान करेगा, कि भर्ती किए गए कामगारों के साथ प्रस्तावित निष्पादित किए जाने वाले रोजगार करार में, अन्य बातों के साथ साथ अनंतिम पंजीकरण के प्रमाणपत्र में दी गई गाइडलाइनों में उल्लिखित सभी उपबन्ध दिए गए हैं।

5. यदि कोई भर्ती अभिकरण एक से अधिक विदेशी नियोजक द्वारा रोजगार के लिये कामगरों को भर्ती करने का विचार रखता है, तो प्रत्येक मामले में अनुमति प्रदान करने के लिये पृथक आवेदन पत्र भेजने होंगे।

6. विदेश में रोजगार प्राप्त करने के लिये दिए गए आवेदन पत्र पर श्रम मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त होने तक भर्ती अभिकरण को विदेश में नियुक्त किए गए किसी श्रमिक के साथ रोजगार ठेका नहीं करना चाहिए।

7. भर्ती किए गए श्रमिकों के (अंग्रेजी में लिखे हुए) प्रत्येक ठेके पर भर्ती अभिकरण विदेशी नियोजक की ओर से भारत में हस्ताक्षर करेगा और वह इसे प्रवासियों से संबंधित संरक्षक के पास पंजीकृत करवाएगा जब कि हर हालत में भर्ती अभिकरण ही रोजगार ठेके का हस्ताक्षरकर्ता है, फिर भी यदि वह चाहे तो वह इस मामले में विदेशी नियोजक को भी हस्ताक्षर करने के लिये कह सकता है। प्रत्येक प्रवासी की प्रवास औपचारिकताओं को पूरा करने का पूरा दायित्व भर्ती अभिकरण पर ही होगा। बाद में किसी भी मामले में प्रवासी श्रमिक को नियोजक या उसके एजेण्ट द्वारा भारत में या विदेश में कोई अन्य ठेके पर हस्ताक्षर करने के लिये नहीं कहा/मजबूर किया जाएगा।

8. प्रत्येक भर्ती अभिकरण/भर्ती एजेण्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस रोजगार के लिए श्रमिक को विदेश में भर्ती किया गया है उसे प्राप्त करने के लिये जब वह वास्तव में भारत छोड़ता है तो भारत छोड़ने से पहले उसके पास उपयुक्त यात्रा दस्तावेज, अर्थात् पासपोर्ट, वीसा पृष्ठांकन, रिजर्व बैंक से आवश्यक निकासी (क्लीरेंस) तथा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र आदि हैं।

9. विदेशों में रोजगार के लिये भर्ती एजेन्ट द्वारा भर्ती किए गए किसी श्रमिक से भर्ती के लिये फीस इत्यादि कोई पैसा नहीं लेना चाहिए।

10. भर्ती एजेन्ट द्वारा भर्ती किए गए श्रमिक को उस देश के रहन-सहन के ढंग इत्यादि के संबंध में पूरी जानकारी तथा संक्षिप्त विवरण प्रदान करना चाहिए जहां कि उसे रोजगार के लिये प्रतिनियुक्त किया जा रहा है।

11. भर्ती एजेन्ट को क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और समाज के कमजोर वर्गों को उचित ध्यान देते हुए (व्यवसाय परीक्षा/स्वास्थ्य परीक्षा इत्यादि सहित) सही प्रकार के श्रमिक के चयन में निष्पक्ष पद्धति अपनानी चाहिए।

12. भर्ती एजेन्ट को नियमित रूप से पंजीयन प्रदान करने वाली प्राधिकरण को विहित फार्म-V में समाप्त होने वाले माह के लिये एक सप्ताह के भीतर मासिक सांख्यकीय विवरणी भेजनी चाहिए।

13. भर्ती अभिकरणों को सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों और निर्देशों को विदेशी नियोजकों की ओर से भर्ती एजेन्ट के रूप में अपनी भूमिका से संबंधित श्रमिकों की भर्ती के लिये, मानना चाहिए।

14. समय-समय पर दिए गए सरकारी निर्देशों सहित पंजीयन की शर्तों को न मानने या किसी अनुचित भर्ती पद्धति में अगर वह आसक्त पाया जाता है तो भर्ती एजेन्ट का पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा और वह अयोग्य ठहराया जाएगा।

LANGUAGES ESSENTIAL FOR DIPLOMATIC POSTS

+*79. SHRI MRITYUNJAY PRASAD
SHRI BRIJ RAJ SINGH } : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Ambassadors, their Secretaries, lower staff, clerks, accountants, motor-car drivers, attendants, etc., working in various Indian Embassies abroad are expected to know the languages of the country they are posted to and if so, the standard of knowledge of the language they are required to acquire;

(b) the details of foreign languages, besides English and Hindi, the Ministry consider essential for above appointments; and

(c) whether arrangements exist for teaching foreign languages of the countries to which these employees are posted in Indian Embassies ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) Officers recruited directly by the Union Public Service Commission for the Indian Foreign Service are required to attain proficiency up to the advanced Level in one foreign language. Similarly, officers of the level of Section Officers/Attaches who are recruited directly by the Union Public Service Commission are required to pass Advanced Diploma Part I in a prescribed foreign language. It is not compulsory for other categories of officials to have proficiency in a foreign language. Normally, the officers are nominated to posts bearing in mind their language proficiency. However, postings abroad are determined by vacancies at a given time and by the principle of rotation amongst various Missions all over the world. It is not invariably possible to post officers in countries whose language they know.

(b) Thirty four foreign languages are allotted by Government for compulsory study by officers of the Indian Foreign Service as indicated in the list circulated.

(c) Yes, Sir.

LIST OF FOREIGN LANGUAGES

1. Amharic
2. Annamese
3. Arabic
4. Bulgarian
5. Burmese

6. Chinese (either Mandarin or Cantonese)
7. Czechoslovak
8. Danish
9. Dutch
10. French
11. German
12. Hungarian
13. Italian
14. Japanese
15. Indonesian
16. Kiswahili
17. Malay
18. Modern Greek
19. Persian
20. Norwegian
21. Polish
22. Portuguese
23. Rumanian
24. Russian
25. Serbo-Croatian
26. Spanish
27. Swedish
28. Sinhalese
29. Tibetan
30. Thai (Siamese)
31. Turki
32. Turkish
33. Gurkhali
34. Javanese/Bhasa

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों की उनके निवास-स्थानों के निकट नियुक्ति

*80. **श्री मीठा लाल पटेल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1972 के आस-पास यह आदेश जारी किए थे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को यथासम्भव उनके निवास स्थानों के निकट नियुक्ति की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान में उक्त आदेशों का प्रायः बिल्कुल पालन नहीं किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस समय राजस्थान में इस श्रेणी के कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं और उन पर कब तक निर्णय किए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (बृजलाल वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एक उद्योग में एक संघ

601. श्री के० प्रधानी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उद्योग में एक संघ की व्यवस्था हो इसके बारे में मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गया अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि अध्ययन दल के सदस्य इस बात से पूरी तरह से सहमत थे कि मजदूर संघ आन्दोलन के सामने एक उद्योग में एक मजदूर संघ की धारणा एक आदर्श था तथापि अध्ययन दल ने महसूस किया कि कई ऐतिहासिक कारणों से इस समय एक उद्योग में एक मजदूर संघ होना संभव नहीं है। अध्ययन दल का यह भी विचार था कि मजदूर संघ आन्दोलन स्वयं इस उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा और प्रबन्ध तथा राज्य सरकार को इस बारे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कुछ सदस्यों ने यह भी बताया कि केन्द्रीय श्रम मंत्री ने सामूहिक सौदाकारी प्रक्रिया को सशक्त बनाने तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम में उचित संशोधन करने के लिये अपनी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तदनुसार इस्पात उद्योग द्वारा इस जटिल मामले में अकेले कोई कार्रवाई करने के बजाए नए विधान की प्रतीक्षा करना चाहिए।

CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL UNITS FOR P&T EMPLOYEES IN BHAGALPUR

†602. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of residential units constructed at Bhagalpur by Government for the employees of Posts and Telegraphs Department so far;

(b) the provision made in current year's budget for this purpose and the amount spent so far against it;

(c) the steps proposed to be taken by Government for utilisation of these funds; and

(d) whether Government propose to open a special medical centre near the Postal Colony for these employees and if not the reasons therefor and if so, when?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO RAI) :

(a) 74.

(b) Token provision of Rs. 1,000/- for purchase of land.

(c) 74 quarters available represent 17.6% of the total P&T staff strength of 419 at Bhagalpur. This compares favourably with the all-India availability of quarters in the department at about 6.5% of the total staff. In view of this position there are no immediate plans for construction of additional staff quarters at Bhagalpur. However, search for a suitable plot of land is in hand for construction of housing in future.

(d) In view of the limited number of P&T employees there is no proposal for opening of a separate P&T Dispensary at Bhagalpur for the present. The Bhagalpur Medical

College Hospital is recognised for treatment of P&T staff and their families. Similarly 10 State Govt. Medical Officers have been recognised as authorised Medical Attendants for out-patients treatment.

डा० राम मनोहर लोहिया और श्रीजय प्रकाश नारायण के इलाज संबंधी समितियों का प्रतिवेदन

603. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पतालों में किए गए डा० राम मनोहर लोहिया और श्री जयप्रकाश नारायण के इलाज की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त समितियों ने अपने प्रतिवेदन सरकार को भेज दिए हैं, और

(ख) यदि हां, उनके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :

(क) । डा० राम मनोहर लोहिया के उपचार संबंधी जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(2) नजरबंदी के दौरान श्री जयप्रकाश नारायण को दिया गया उपचार पर्याप्त था या नहीं, इस बारे में जांच करने के लिए नियुक्त किए गए आयोग की अवधि 15 दिसम्बर, 1977 तक बढ़ा दी गई है।

(ख) डा० राम मनोहर लोहिया के उपचार संबंधी जांच समिति के निष्कर्ष संलग्न हैं।

विवरण

रिकार्ड में से एकत्र किए गए सबूतों, किलनिशियनों के साक्षात्कारों और परामर्शदाताओं द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर समिति यह महसूस करती है कि स्वर्गीय डा० लोहिया के आपरेशन से पूर्व के कार्य में अर्थात् आपरेशन की विधि के चुनने, अत्यधिक रक्त श्राव को रोकने तथा आपरेशन करने के बाद उन्हें जो एन्टीबायोटिक दिये गये उसका चुनाव करने में, लापरवाही बरती गई । आपरेशन के स्थान में दूषित सामग्री एकत्रित हो जाने के बावजूद डा० लोहिया को पर्याप्त निकासिका उस समय लगाई गयी जब उनकी विषाक्तता और पूतिजीव रक्तता की स्थिति उस स्थर तक पहुंच गई थी जो ठीक नहीं हो सकती थी ।

प्रोस्टेटेक्टोनी के पश्चात अत्यधिक रक्तश्राव होने, अकस्मात हुए संक्रमण के अधिक देर तक बने रहने और अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक देने से उनकी मृत्यु हुई । तथापि, मृत्यु का सही कारण नहीं बताया जा सकता क्योंकि उनकी शव परीक्षा नहीं की गई थी । किसी एक व्यक्ति पर दोष लगाना सम्भव नहीं है लेकिन यह कहा जा सकता है कि क्लीनिशियनों द्वारा शल्य चिकित्सा के बुनियादी नियमों तथा तरल पदार्थों तथा एंटीबायोटिक के मार्गदर्शी नियमों की उपेक्षा की गई थी । इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतने अधिक डाक्टरों के उपचार संबंधी परामर्श से भ्रांति हुई जिसके परिणामस्वरूप उपयुक्त चिकित्सा की अपेक्षा यह एक दुखदायी कार्य हुआ है।

INCIDENCE OF JAUNDICE IN DELHI

604. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the incidence of jaundice was very high in the Union Territory of Delhi during the months of August and September, 1977.

(b) the number of patients attended to by Goernment and Semi-Government hospitals; and

(c) the future policy and plan of action of Government to check the incidence of disease ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Yes. The Incidence of infectious hepatitis was higher in August and September, 1977 than in the previous months.

(b) 313 patients in August, and 272 patients in September, 1977 were attended to by Government and Semi-Government hospitals.

(c) Infectious hepatitis is primarily a water borne disease. Measures such as protected water and food supply, better sanitation, hygienic disposal of sewage are being taken by the Municipal authorities.

पश्चिमी बंगाल के रघुनाथगंज टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन प्रभारो में अन्तर

605. **श्री शशांकशेखर सान्याल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का रघुनाथगंज टेलीफोन एक्सचेंज जंगीपुर नगरपालिका क्षेत्र तथा उसके आस पास के स्थानों को, जिसमें जंगीपुर नगरपालिका का जंगीपुर वार्ड भी शामिल है जिसका कि रघुनाथगंज एक भाग है, टेलीफोन सेवा प्रदान करता है और इन दो भागों अर्थात जंगीपुर और रघुनाथगंज को भागीरथी नदी अलग करती है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि जंगीपुर और रघुनाथगंज में टेलीफोन प्रभार अलग-अलग हैं, यद्यपि ये दोनों स्थान एक ही टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत हैं किन्तु पहले स्थान की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र में ये दोगुना है ;

(ग) यदि हां, तो एक ही एक्सचेंज क्षेत्र में भेदभाव करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) दरों को बराबर करने और उन्हें युक्तियुक्त बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क), (ख) और (ग) जी नहीं । रघुनाथगंज टेलीफोन एक्सचेंज जंगीपुर को टेलीफोन सेवा नहीं दे रहा है । जंगीपुर में भी अपनी टेलीफोन प्रणाली विद्यमान है । हालांकि ये दोनों एक्सचेंज एक ही नगरपालिका क्षेत्र में पड़ते हैं लेकिन भागीरथी नदी ने भौगोलिक दृष्टि से उन्हें अलग-अलग कर दिया है । इसलिए इन्हें अलग-अलग स्थानीय एक्सचेंज माना जाता है और इनके अलग-अलग स्थानीय क्षेत्र भी हैं । हर एक एक्सचेंज के भीतर स्थानीय कालों के लिए कोई प्रभार नहीं है । जंगीपुर एक्सचेंज से रघुनाथगंज और रघुनाथ गंज एक्सचेंज से जंगीपुर के लिए की गई कालों और दोनों स्थानों से अन्य स्थानों के लिए की गई ट्रंक कालों को ट्रंक कालों के रूप में माना जाता है और उन पर इसके अनुसार ही प्रभार लिया जाता है ।

(घ) दोनों एक्सचेंज क्षेत्रों को एक ही स्थानीय क्षेत्र में मिलाने के प्रश्न पर पुनः विचार किया जाएगा ।

डाक तार विभाग में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी

606. **श्री वयालर रवि :** क्या **संचार** मंत्री दिनांक 30 जून, 1977 के अतारांकित **प्रश्न संख्या** 2281 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक-तार विभाग के अतिरिक्त विभागीय मजदूरों के मजदूरी के ढांचे की समीक्षा की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिए गए और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) विभागेतर एजेंटों के वेतन संबंधी ढांचे का मसला अभी भी विचाराधीन है।

कोटला, हिमाचल प्रदेश में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर-घर खोले जाने की मांग

607. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कोटला में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का कोई प्रस्ताव/मांग सरकार से की गई है।

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस प्रयोजन के लिए टेलीफोन विभाग को भुगतान कर दिया है, और

(ग) यदि हां, तो क्या वहां सार्वजनिक टेलीफोन घर को अलग व्यवस्था की जा चुकी है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां।

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन घर अभी तक नहीं खोला गया है । इस सार्वजनिक टेलीफोन घर के लिए शुरू में जिस डाक तार लाइन का प्रस्ताव किया गया था उसके निर्माण को स्वीकृति नहीं दी जा सकी क्योंकि बिजली को पावर लाइन के साथ वह समानान्तर थी और इसके लिए एक प्रथक लाइन की आवश्यकता है। इसके फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश सरकार को दुबारा किराया बताया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार कार्यक्रम

608. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार कार्यक्रम नियत तारीख तक पूरा नहीं हो पाया है और

(ख) यदि हां, तो इस विस्तार कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कौन सी तारीख नियत थी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) तथा (ख) अप्रैल, 1972 में हस्ताक्षरित भारत रूस संलेख के आधार पर आरम्भिक कार्यक्रम के अनुसार भिलाई इस्पात कारखाने का 40 लाख टन तक विस्तार कार्य दिसम्बर, 1976 तक पूरा होना था । मई, 1974 में की गई रुपांकन, निर्माण आदि के विभिन्न कार्यों की आतिक समीक्षा से पता चला कि 40 लाख टन चरण 1979 तक चालू हो सकेगा बाद में फरवरी,

1975 में सभी सम्बन्धित बातों जैसे संसाधनों की उपलब्धि, कार्य की प्रगति, विभिन्न स्त्रोतों से उपस्करों और अन्य आदानों की सुपुर्दगी तथा संभारकों से लिए गए रुपांकन सम्बन्धी आंकड़ों की प्राप्ति आदि को ध्यान में रखकर कार्यक्रम में परिवर्तन करके कारखाने को चालू करने का समय दिसम्बर, 1981 कर दिया गया।

राउरकेला इस्तपात कारखाने में उड़ीसा के कर्मचारियों की संख्या

609. **श्री पदमाचरण सामन्त सिंहार :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला इस्पात कारखाने में कार्यरत श्रेणीवार कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या है और उनमें से कितने उड़ीसा राज्य के हैं;

(ख) क्या उड़ीसा से सम्बन्धित कर्मचारियों की संख्या उनकी आवश्यक संख्या से कम है; और

(ग) यदि हां, कैसे और सरकार इस कमी को कब पूरा कर देगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) (क) और (ख) 31 अक्तूबर 1977 को सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न ग्रुपों के अनुरूप राउरकेला इस्पात कारखाने में काम कर रहे स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या नीचे दी गई है —

ग्रुप 'ए'	2,406
ग्रुप 'बी' . . .	120
ग्रुप 'सी'	23,458
ग्रुप 'डी'	10,766
कुल . .	36,750

जन्म स्थान अथवा आवास के आधार पर रोजगार के आंगड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं नहीं उठता।

रत्नागिरि में डाकघर की इमारत का निर्माण

610. **श्री बापू साहेब परुलेकर :** क्या **संचार** मंत्री दिनांक 14-7-77 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3466(ग) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस इमारत के निर्माण के लिए कोई निविदा स्वीकार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कब आरम्भ होगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) (क) जी हां।

(ख) यह काम अभी हाल ही में शुरू किया गया है।

महक के स्थिरता और पाचसीकारकों के उपयोग के बारे में नियम

611. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महक के स्थिरता और पाचसीकारकों के उपयोग सम्बन्धी प्रारूपनियमों, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की दिनांक 22 अप्रैल, 1976

की अधिसूचना जो० एस० आर० संख्या 299 (ङ) द्वारा टिप्पणी के लिए परिचालित किए गए, के प्रति उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ख) क्या अन्तःस्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नियम 61 क और 61 ख को अन्तिम रूप देकर भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और क्या मंत्री महोदय उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख) और (ग) प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय खाद्य मानक समिति तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय से परामर्श करके विचार किया गया था तथा संशोधित नियमों की अधिसूचना को अंतिम रूप दिया जाने वाला है । अन्तिम अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी तथा उसकी प्रतियां सभापटल पर भी रख दी जाएगी।

बिहार कोलिएरी कामगार यूनियन का मांगपत्र

612. **श्री ए० के० राय :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोकारो स्टील लिमिटेड के श्रमिकों के बारे में मांगों का उल्लेख करने वाले दिनांक 16 अप्रैल, 1977 के अभ्यावेदन की प्रति बिहार कोलिएरी कामगार यूनियन के महामंत्री से प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रशिक्षित चिकित्सकों का निर्गमन

613. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में देश से किस सीमा तक प्रशिक्षित चिकित्सक विदेशों में चले गये हैं :

(ख) क्या सरकार को इस देश में चिकित्सा सुविधाओं के अत्यन्त अभाव के सम्बन्ध में जानकारी है ;

(ग) यदि हां, तो वे कौन-सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण इस देश के चिकित्सकों की सेवाओं का, जिन्हें मुख्य रूप से सरकारी धन से प्रशिक्षित किया जाता है, यहां समुचित उपयोग नहीं किया जाता; और

(घ) क्या सरकार इन चिकित्सकों की सेवाओं का अपने देश में उपयोग करने के सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही करना चाहती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जो लोग विदेशों में रोज़गार अथवा अध्ययन के लिये इस देश को छोड़ कर जाते

हैं, भारत सरकार उन लोगों का कोई विस्तृत रिकार्ड नहीं रखती है। फिर भी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा रखे गये वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज डाक्टरों की सूची के अनुसार पिछले तीन वर्षों की स्थिति इस प्रकार है:—

	कुल	वापिस आये
1-1-1975	3,605	1,929
1-1-1976 .	3,715	1,987
1-1-1977	3,831	2,018

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) अध्ययन के लिये विदेशों को जाने वाले डाक्टरों पर इस मंत्रालय ने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया था। तथापि कुछ देश हैं जैसे पश्चिम जर्मनी, संयुक्त राज्य अमरीका जो उन भारतीय डाक्टरों से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने के लिए आग्रह करते हैं और विदेश जाकर अध्ययन करना चाहते हैं। इन प्रमाण-पत्रों के मामले हर इस मंत्रालय ने ध्यानपूर्वक विचार किया और उन क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए आदेश जारी कर दिये जिनमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेशों में जाने वाले भारतीय डाक्टरों को अनुमति दी जा सकती है।

(2) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के जो डाक्टर प्रतिनियुक्ति पर विदेश जाना चाहते हैं, भारत सरकार उनके संबंध में सावधानी से काम ले रही है। बाह्य नियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर विदेश जाने के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों को छोड़ने पर दिसम्बर, 1975 में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था।

(3) यह पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने से पहले भी संवेदनाहरण, विकिरण चिकित्सा, विकृति-विज्ञान, जीवविज्ञान, जीवाणु विज्ञान, रुधिर विज्ञान और रक्त कोष, भौतिक चिकित्सा और पुर्नस्थापन, त्वचा विज्ञान और रति विज्ञान से संबंधित डाक्टरों को, जिनकी कमी हो गई थी, सामान्य रूप से अनुमति नहीं दी जाती थी।

श्रीलंका में तमिलवासियों की सुरक्षा

615. **श्री डी० अमात :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25-8-77 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" मे प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि द्रमुक नेता श्रीलंका में हुये दंगो के बारे मे प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने श्रीलंका में तमिलवासियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की भी मांग की ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि इन दंगों से भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग, जिन्होंने भारत प्रत्यावर्तन के लिये आवेदन किया था, प्रभावित हुए थे, अतः भारत सरकार ने विभिन्न

स्तरों पर उनके बारे में चिन्ता व्यक्त की । श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर शरणार्थी शिविरों में गए और बाद में उनके अधिकारी दंगे वाले क्षेत्रों में पुनर्वास की प्रगति देखने के लिए गए, इसमें भारत सरकार ने भी सांकेतिक अंशदान के रूप में श्रीलंका को दस लाख रुपये दिये हैं । श्रीलंका सरकार ने स्थिति सामान्य बनाने के लिए जो कदम उठाये हैं, उन पर भारत सरकार ने ध्यान दिया है और आशा करती है कि इन उपायों से तमिल समुदाय में पुनः विश्वास पैदा होगा ।

FREEDOM AND REHABILITATION OF BONDED LABOUR

616. SHRI CHHABIRAM ARGAL : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the number of bonded labours freed in the country as on 31-10-1977, State-wise;

(b) the number of families of bonded labours for whose rehabilitation, the arrangement has been made as also the number of homeless bonded labours after the enactment of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976; and

(c) whether a separate programme is required to be chalked out for rehabilitation of bonded labours by granting adequate financial assistance ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI LARANG SAI) : (a), (b) and (c). The attached statement which summarises the latest available information indicates the number of bonded labourers identified, released, and rehabilitated as on September 30, 1977. Programme of rehabilitation of the released bonded labourers are being undertaken under the various existing on-going schemes drawn up by the Central and State Governments. The question of grant of additional financial assistance would be examined by Government in cases where the existing on-going schemes are not considered adequate for the rehabilitation of the released bonded labourers and for specific request from the State Governments.

STATEMENT

Sl. No.	Name of States/ Union Territories	Total number of bonded labourers		
		Identified	Freed	Rehabilitated
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	1,298	1,298	698
2.	Bihar	2,562	2,038	613
3.	Gujarat	42	42	42
4.	Karnataka	64,040	64,040	4,668
5.	Orissa	612	312	302
6.	Madhya Pradesh	1,612	1,500	33
7.	Kerala	702	702	186
8.	Rajasthan	6,000	5,580	2,494
9.	Tamil Nadu	2,882	2,882	1,998
10.	Uttar Pradesh	19,242	19,242	12,805
11.	Mizoram	3	3	—
	Total	98,995	97,639	23,839

मध्यप्रदेश में टेलीफोन सुविधाएं

617. **श्री राघवजी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ऐसी तहसील, खंड और थाने कितने हैं जिनमें टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) इन स्थानों पर ये सुविधायें कब तक उपलब्ध किये जाने की संभावना है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) स्थिति इस प्रकार है :--

श्रेणीगत स्थान	कितने स्थानों में	
	टेलीफोन सुविधा नहीं दी गई है	तार सुविधा नहीं दी गई है
1. तहसील मुख्यालय .	कार्य नहीं	कोई नहीं
2. खंड मुख्यालय मुख्यालय . . .	70	65
3. दरोगा या उससे ऊंचे पद वाले अधिकारी के चार्ज में आने वाले पुलिस स्टेशन . .	308	296

(ख) 1978-79 के अंत तक लगभग ऐसे सभी खंड मुख्यालयों और उन जगहों पर जहां दरोगा या उससे ऊंच्च पद वाले अधिकारी के चार्ज वाले पुलिस स्टेशन हो और जो मौजूदा उदार नीति के अनुसार न्यूनतम आय की शर्तें पूरी करेंगी, टेलीफोन और तार की सुविधाएं दे दी जाएंगी।

बिहार में कालाजार ज्वर फैलने के बारे में सर्वेक्षण

618. **श्री अहमद एम० पटेल**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
श्री ईश्वर चौधरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय दल ने बिहार में कालाजार ज्वर के फैलने के बारे में एक व्यापक सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ग) यद हां, तो इस रोग का मुकाबला करने तथा उस पर काबू पाने के लिए बिहार सरकार को क्या सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) विशेषज्ञों की केन्द्रीय टीम ने मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर और सीतामढ़ी, इन चार जिलों के उन चुने गावों का यत्र-तत्र सर्वेक्षण किया था, जो कि मुख्यरूप से 7 से 22 अगस्त 1977 तक कालाजर से प्रभावित थे।

(ख) जी हां।

(ग) भारत सरकार द्वारा बिहार सरकार को निम्नलिखित सहायता दी गई :--

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम से धन लेकर कीटनाशी दवाइयां, छिड़काव यंत्र, और परिचालन सम्बन्धी सहायता प्रदान की गई है।

2. बिहार सरकार के परामर्श से नियंत्रण सम्बन्धी एक नीति तैयार की गई।

3. जहां बिहार सरकार देश में उपलब्ध एण्टिमानी कम्पाउन्ड प्राप्त कर रही है, वहां भारत सरकार ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन से पेंटागिडी, लोमोडीन, दवाइयां प्राप्त कर उन्हें बिहार सरकार को भिजवाया।

4. कालाजार सम्बन्धी कार्यों का लगातार मूल्यांकन करने के लिए महामारी रोग वैज्ञानिक उपलब्ध किए गए।

5. 31 जिलों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को घर-घर भेजकर खोज करने की एक योजना बनाई। परन्तु बिहार में राज्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण यह कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

COMPENSATION TO CHASNALA COLLIERY WORKERS

619. SHRI RAMDAS SINGH : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the names of the countries and the amount which the workers' and other organisations of these countries have given to the National Mines Workers Federation for the help to the aggrieved families of 378 workers killed in the accident at Chasnala Colliery (Indian Iron and Steel Company) in December, 1974;

(b) the items on which the total amount was spent;

(c) whether it is a fact that a large sum was misused; and

(d) if so, whether the Government will conduct an enquiry therein ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) to (c). Government have no information about contributions, if any, received by the National Mines Workers Federation from outside countries for help to the aggrieved families of workers killed in the accident at Chasnala Colliery in December, 1974.

(b) Does not arise.

कृषि श्रमिक

620. **श्री चित्त बसु**
श्री फूल चन्द वर्मा : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने कृषि श्रमिक हैं;

(ख) उनके जीवन और काम की दशा कैसी है; और

(ग) उनकी दशा में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) और (ख) 1971 की जनगणना के अनुसार, भारत में खेतिहर श्रमिकों की संख्या लगभग 475 लाख थी। उनकी समस्याएं, जिनकी ओर समय समय पर विभिन्न गोष्ठियों तथा ग्रामीण श्रम जांचों द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिलाया गया है, सामान्यतः कम मजदूरी तथा परिणामी घटिया जीवन स्तर, बेरोजगारी व अपूर्ण बेरोजगारी तथा संगठन के अभाव के बारे में हैं।

(ग) खेतिहर श्रमिकों सहित ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के जीवन की दशाएं सुधारने के लिए 1976-77 के दौरान देश में 160 लघु कृषक विकास अभिकरण/उपान्तस्थ कृषक तथा खेतिहर श्रमिक परियोजनायें चल रही थी। इन परियोजनाओं में मुख्य बल

"क्राप हस्बैंड्री" पर था, जिसमें गहन कृषि द्वारा अनेक फसलें उगाना, अधिक उपज देने वाली किस्मों को शुरू करना, लघु सिंचाई का विकास, भूमि संरक्षण, भूमि विकास इत्यादि भी शामिल हैं। इन अभिकरणों को दूध देने वाले पशुओं के वितरण, मुर्गी-पालन, बकरियां तथा भेड़ें पालना, सुअर पालना आदि जैसे पशुपालन के सामान्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। खेतिहर श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं पर हाल ही में 6-7 मई, 1977 हुए त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में आम मतैक्य यह था कि इस संबंध में अन्तर्ग्रस्त विभिन्न पेचीदा विषयों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष सम्मेलन बुलाया जाये जो खेतिहर श्रमिकों सहित असंगठित ग्रामीण श्रमिकों की समस्याओं पर विचार करे और प्रस्तावित सम्मेलन में विचार किए जाने वाले विषयों का स्वरूप क्या हो तथा उसमें कौन-कौन भाग लें, ये बातें सभी संबंधित पक्षों, जिनमें राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र, श्रमिकों तथा नियोजकों के केन्द्रीय संगठन आदि भी शामिल हैं, के साथ परामर्श करके तय की जाएं। इन पक्षों से प्राप्त हुए सुझावों पर गौर किया जा रहा है और खेतिहर श्रमिकों की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने हेतु प्रस्तावित विशेष सम्मेलन को शीघ्र बुलाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

फरक्का परियोजना सम्बन्धी वार्ता पर श्वेतपत्र

621. श्री सी० आर० महाटा
श्री अमर राज प्रधान
श्री चित्त बसु : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का बंगला देश के साथ हुए फरक्का परियोजना करार पर श्वेत पत्र जारी करने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : फरक्का पर गंगा के पानी के बंटवारे और उसके प्रभाव को संवर्धित करने से संबद्ध करार 14 नवम्बर, 1977 को लोक सभा में रखा गया था। करार को सभा पटल पर रखते हुए प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दिया था। इसे देखते हुए भारत सरकार का इस करार के संबंध में कोई श्वेत पत्र जारी करने का इरादा नहीं है।

धातुओं के लिए एक ही मूल्य नीति

624. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धातुओं के लिए एक ही मूल्य नीति लागू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

रीवां में उप-तहसील समेलिया में बाक्साइट भंडार का पता लगाना

625. यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने मध्य प्रदेश के रीवां जिले की उप-तहसील समेलिया में बाक्साइट के एक बड़े भंडार का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार रीवां में अल्यूमिनियम कारखाने स्थापित करके इस भंडार का उपयोग करना चाहती है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) :(क) रीवां और सतना जिले में पड़ने वाले सेमालिया क्षेत्र में भारतीय भू-सर्वेक्षण ने लगभग 16 मिली० टन बाक्साइट भंडार होने का अनुमान लगाया है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

DIFFICULTIES FACED BY THE OIL MILLS AND SOLVENT EXTRACTION PLANT OWNERS OF SAURASHTRA IN GUJARAT IN OBTAINING TINPLATES

626. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether difficulties are being faced by the oil mills and solvent extraction plant owners of Saurashtra in Gujarat for obtaining the supplies of tinplates for making tins :

(b) whether the Saurashtra Oil Mills Association, Jamnagar have applied for a special quota of tinplates, if so, the demands made therein;

(c) whether Government propose to grant special quota of tinplates to Saurashtra Oil Mills Association to meet the requirements of its members;

(d) if so, when and the quantity to be supplied and the mode of supply;

(e) steps proposed to be taken by Government to remove the difficulties being faced by this industry; and

(f) the quantity of tinplates supplied to Saurashtra during the last three years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) Tinplates users, including the oil mills and solvent extraction plants in Saurashtra in Gujarat as well as in other States, have expressed some difficulties in recent months in obtaining their full requirements of tinplates, mainly due to the closure of the factory of Tinplate Company of India Ltd., Jamshedpur for some time during August and September, 1977. The Company's Plant is, however, now in operation.

(b), (c), (d) and (e). No request for any 'special quota" has been received. Further, there is no system of allocation of "quotas" at present. However, when the factory of Tinplate Company of India Limited was closed, Rourkela Steel Plant was asked to step up the production of Tinplate of oil cane sizes. Further more officers of Hindustan Steel Ltd., have been asked to remain in close touch with the consumers to ascertain the supply and demand position and as a result some of the consumers have been advised to go in for imports and applications for imports have also been cleared.

(f) The quantity of tinplates supplied to Gujarat from Rourkela Steel Plant during the last three years is given below :—

1974-75	2971 tonnes
1975-76	5020 tonnes
1976-77	3949 tonnes

परमाणु अस्त्रों के फैलाओं पर रोक सन्धि

627. **डा० बापू कालदत्ते**
श्री कंवर लाल गुप्त
श्री एफ० पी० गायकवाड़ } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु अस्त्रों के फैलाओं पर रोक संबंधी संधि पर हस्ताक्षर करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) क्या परमाणु अस्त्रों के फैलाओं पर रोक संबंधी सन्धि पर हस्ताक्षर करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप उस सन्धि के हस्ताक्षरकर्ता देशों से परमाणु ईंधन प्राप्त नहीं हुआ; और

(ग) क्या इससे देश में परमाणु ऊर्जा के विस्तार पर प्रभाव पड़ा है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) भारत सरकार का सदैव यह मत रहा है कि परमाणु-अस्त्र विस्तार-प्रसार निरोधक सन्धि का वर्तमान स्वरूप असमान एवं भेदभाव पूर्ण है। सरकार की इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) भारत को केवल तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र के लिए महत्वपूर्ण परमाणु ईंधन आयात करने की आवश्यकता है। आपूर्ति में कुछ विलम्ब हुआ है परन्तु यह लाइसेन्स, जो कि पहले मिल जाना चाहिए था, जुलाई, 1977 में जारी कर दिया गया। परमाणु ईंधन की आपूर्ति में जो विलम्ब हुआ उसका संबंध भारत द्वारा परमाणु अस्त्र नियंत्रण संधि पर हस्ताक्षर न करने से नहीं है।

(ग) जी नहीं।

पेय पदार्थों के उत्पादकों पर मुकदमे

628. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री 16 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 708 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पेय पदार्थों के उन उत्पादकों के क्या नाम हैं जिनके विरुद्ध मुकद्मे चलाए गए थे और जिन्हें दण्डित किया गया था तथा जिनके विरुद्ध मामले अभी न्यायालयों म निर्णयाधीन हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्री जगजीवन राम को दिल का मरीज घोषित करने के षडयंत्र से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

629. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डा० करोली के इस सार्वजनिक वक्तव्य के पश्चात्, जिसमें श्री जगजीवन राम के चुनाव दौरों को विफल बनाने की दृष्टि से उन्हें गंभीर दिल का मरीज घोषित करने के लिये उन पर दबाव डालने के एक प्रशासनिक षडयंत्र की बात कही गई है, संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : डा० करोली के इस कथन का मामला कि इन पर यह दबाव डाला गया था कि वह श्री जगजीवन राम को गंभीर हृदय रोग से पीड़ित घोषित करें जिससे वह अस्पताल में भर्ती हो जाएं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच करने के लिय सौंपा गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में भू-विज्ञान सर्वेक्षण

630. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में खनिज भंडारों के लिए भू-विज्ञान सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क), (ख) और (ग) भू-गर्भीय सर्वेक्षण और खोज का काम लगातार चलने वाला कार्य है। परन्तु इन दो जिलों के विभिन्न भागों में परमाणु खनिजों के अलावा अन्य खनिजों के लिए अब तक हुए प्रारंभिक सर्वेक्षण से तिरुनेलवेली जिले में लगभग 3.26 मिली० टन फ्लैक्स ग्रेड चूना लगभग 69 मिली० टन सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर लगभग

50 लाख टन सफेद मिट्टी और 19000 टन ग्रैफाइट वाली चट्टानों, तथा कन्याकुमारी जिल में लगभग 1.68 मिली० टन शैल-दार चूनापत्थर और 2 मिलि० टन मूंगा वाले चूनापत्थर के भंडार होने का अनुमान है।

OPENING OF POST OFFICES IN VILLAGES IN SAHARSA DISTRICT BIHAR

†631. SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to State :

(a) the names of villages in Saharsa District in Bihar which have submitted representations to concerned officials regarding opening of Post Offices and the dates since they have been pending;

(b) whether a representation was also received from Kosali Patti Village in the above district for opening a Post Office;

(c) whether a survey was conducted in this regard and the surveying officer had submitted his report recommending immediate opening of a Post Office there;

(d) whether no Post Office has been opened there so far despite this recommendation; and

(e) if so, the time by which Government propose to open this Post Office ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) 27 representations have been received regarding opening of post offices in villages of Saharsa district. A list showing the names of the villages and the dates of receipt of representations is placed on the table of the House.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir. The proposal is under examination with the concerned Inspector of Post Offices.

(d) and (c). Does not arise in view of (c) above.

STATEMENT

List of pending proposals for opening of post offices in villages of Saharsa District.

Sl. No.	Name of the village	Date of receipt of the representation.
(1)	(2)	(3)
1.	Kosali Patti	21-2-77
2.	Chauraha	29-12-75
3.	Malhod	12-2-77
4.	Chakla Nirmali	29-8-73
5.	Balbampur	30-9-75
6.	Shekhpur Chaman	3-6-75
7.	Mohanpur	18-2-76
8.	Narayanpur	3-12-76
9.	Phulpur	10-11-76
10.	Tituaha	28-11-76
11.	Khara Telva	22-9-76
12.	Rampur Khora	28-1-77
13.	Sombar Tola	1-2-77
14.	Jopha	3-3-76
15.	Sakhua	29-6-77
16.	Menha Khadipur	29-9-77
17.	Bodalhata	11-2-77
18.	Singhar	1-9-77
19.	Sitalpur	27-9-77

(1) (2)	(3)
20. Blha	31-8-77
21. Chanda	29-9-77
22. Korapatti	14-2-77
23. Lalchand	7-2-77
24. Morisha	12-4-77
25. Kullipatti	8-2-77
36. Sakapaharpur	28-6-77
27. Bhura	16-8-77

बंगलादेश से शरणार्थियों का आगमन

632. श्री विजय कुमार मलहोत्रा
श्री के० एन० दासगुप्ता
श्री समर गुह
श्री ईश्वर चौधरी
श्री के० मालन्ना
श्री डी० वी० चन्द्र गौडा
श्री सी० के० चन्द्रप्पन
श्री एम० कल्याण सुन्दरम्
श्री नवाब सिंह चौहान
श्री लक्ष्मी नारायण नायक
श्री सी० आर० महाटा
श्री राज केसर सिंह
श्री दिलीप चक्रवर्ती

क्या : विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों में भारत में बंगला देश से कितने शरणार्थी आए;

(ख) उनके भारत में आने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन कारणों को दूर करने के लिए भारत सरकार क्या प्रयत्न कर रही है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) बंगला देश से भारत में आने वाले बंगला देशी राष्ट्रिकों या तो ऐसे लोग हैं जो वैध दस्तावेज पर आते हैं या ऐसे लोग हैं जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हैं। इसलिए उन्हें शरणार्थी नहीं माना जाता। भारत-बंगलादेश की लम्बी सीमा तथा सीमा के साथ लगने वाले इलाके के स्वरूप के कारण बंगला देश से अवैध प्रवेशकर्ताओं की ठीक-ठीक संख्या जानना नितांत कठिन है। फिर भी, हमारे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, इस वर्ष भारत आने वालों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं है।

(ख) इस अवैध प्रव्रजन के अनेक कारण हैं जिनमें आर्थिक संकट, उन लोगों द्वारा किए गए झूठे वायदे शामिल हैं जिन्होंने इसे अपना व्यवसाय बना लिया है;

(ग) देश के बाहर प्रव्रजन की रोक तथा उसके उचित सुधार के लिए कदम उठाने की मुख्य जिम्मेदारी बंगलादेश की है। भारत सरकार अपनी ओर से पूरी सीमा पर कड़ी निगरानी रख रही है तथा इस

प्रकार के प्रव्रजन को निरुत्साहित करने के लिए संगत नियमों तथा विनियमों को कड़ाई से लागू कर रही है।

APPLICATIONS FOR TELEPHONE CONNECTIONS PENDING IN CALCUTTA

†633. SHRI M. A. HANNAN ALHAJ : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of applications for telephone connections pending in Calcutta; and

(b) the reasons why it has not been possible to provide telephone connections and the steps being taken to provide telephone connections to the applicants at an early date ?

THE MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) The number of applications for telephone connections pending in Calcutta as on 30-9-1977 was 27,760; out of which 1,409 wer under OYT category, 1,657 under Special category and remaining under General category.

(b) Due to limited resources in money and materials available for telecommunication development it has not been possible to meet the demand in larger cities on a current basis.

It is hoped that a large percentage of the demands pending in Calcutta as on 30-9-77 would be met during the current and the next financial year.

चर्चेज औग्जीलियरी फार सोशल एक्शन द्वारा बाढ़ग्रस्त गांवों को शुद्धिकारी गोलियों का उपहार

634. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चर्चेज़ औग्जीलियरी फार सोशल एक्शन (कासा) ने बाढ़ग्रस्त गांवों में वितरण के लिए दस लाख जल शुद्धकारी गोलियां दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षत्रों के लिए औषधियां देकर भारत की सहायता की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त ज्ञापन

635. **श्री समर गुहा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को अभी हाल में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग की कर्मचारी यनियन से ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) भारतीय भू-सर्वेक्षण की विभिन्न यूनियनों/एसोसिएशनों (जिनमें से कुछ मान्यता प्राप्त नहीं हैं) कुछ प्रतिवेदन/प्रस्ताव मिले हैं। इन ज्ञापनों में मुख्यत: निम्नलिखित मांग की गई हैं :—

(1) जो यूनियनें/एसोसिएशन मान्यता प्राप्त नहीं हैं या अंशत: मान्यताप्राप्त हैं उन्हें मान्यता या पूर्ण मान्यता देना।

(2) भारतीय भू-सर्वेक्षण में आकस्मिक मजदूरों को नियमित और स्थायी किया जाना।

(3) भारतीय भू-सर्वेक्षण में विकेन्द्रीकरण की योजना को शीघ्र लागू करना / स्थगित कर देना (विभिन्न संगठनों के सुझाव)।

(4) तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार।

(5) तीसरी और चौथी श्रेणी काडर में और अधिक पदों की मंजूरी तथा खाली पदों को भरा जाना।

(6) निम्न श्रेणी स्टाफ को मकान की सुविधाएं देना।

(7) कुछ कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर लेना।

(ग) उपर्यक्त मांगों और सुझावों पर सरकार विचार कर रही है। भारतीय भू-सर्वेक्षण के गठन और कार्य प्रणाली की जांच के लिये एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाई गई है। यह समिति इस समय भारतीय भू-सर्वेक्षण के तीसरी और चौथी श्रेणी के काडरों के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार कर रही है। समिति की रिपोर्ट मिलने पर सरकार आगे की कार्यवाही पर विचार करेगी। रिपोर्ट इस साल के अंत तक मिलने की आशा है।

INSTALLATION OF AUTOMATIC TELEPHONE SYSTEM AT BIHAR SHARIF

†636. SHRI BIRENDRA PRASAD : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the Telephone Department in Bihar Sharif, the headquarter of Nalanda Disttrict in Bihar, does not have its own building and the money allocated for the construction of the building lapsed due to the carelessness of the officers;

(b) whether an automatic telephone system could not be installed in Bihar Sharif in the absence of the building; and

(c) whether there is no direct telephone link from Bihar Sharif, the headquarter of Nalanda District, with Hilsa, the headquarter of Hilsa sub-division ?

THE MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) Thre is at present no departmental land or building for the telephone exchange at Bihar Sharif, nor any funds have so far been allotted for construction of such a building.

(b) Due to shortage of automatic exchange equipment, it had not been possible to take up a scheme for installation of an automatic exchange earlier. However, automatic exchange equipment has now been allotted for possible installation by 1980.

(c) The trunk traffic between Hilsa and Bihar Sharif being very low, no direct telephone line has been provided between them so far.

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा बोनस की मांग

637. श्री शिवाजी पटनायक : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में 1975 में किया गया संशोधन हटा देने के बाद केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने बोनस की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) इस प्रकार की मांगें प्राप्त हुई हैं।

(ख) अधिनियम की धारा 32 (iv) के अनुसार केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग के प्राधिकरण या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या उनके अधीन चलाए जा रहे किसी उद्योग के किसी प्रतिष्ठान द्वारा नियोजित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम की परिधि से बाहर रखा गया है।

फराख, जम्मू और काश्मीर में खनिजों का खनन निकालना

638. **श्री बलदेव सिंह जसरोठा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खनिज विकास और खनन के सभी नए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं तो, क्या सरकार का विचार जम्मू और काश्मीर राज्य के रियासी तहसील में फराख में खनिजों का विकास और खनन कार्य आरम्भ करने का है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी नहीं।

(ख) राज्य सरकार इस क्षेत्र में खनिज भंडारों की खोज और विकास के लिय समुचित उपाय कर रही है।

"नान कैरियर" डिप्लोमेटों की नियुक्ति

639. **श्री जी० एम० बनतवाला**
श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा-निवृत्त सरकारी अधिकारियों सहित 'नान-कैरियर' डिप्लोमैटों की वरिष्ठ राजनयिक पदों पर नियुक्ति के मामले में सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई जाती है;

(ख) क्या भारतीय विदेश सेवा एसोसियेशन ने भी विदेश सेवा में सेवा-निवृत्त अथवा निवृत्त होने वाले सरकारी अधिकारियों को लिये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) वरिष्ठ राजनयिक पदों पर नियुक्त किये जा चुके सेवा-निवृत्त/निवृत्त होने वाले सरकारी अधिकारियों के नाम और उनकी अर्हताएं क्या-क्या हैं; और

(घ) क्या भारतीय विदेश सेवा में इन पदों पर नियुक्त करने के लिये कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा है; और यदि हाँ, तो भारतीय विदेश सेवा संवर्ग के व्यक्तियों को इन राजनयिक पदों पर नियक्त न किये जाने के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) मिशन प्रमुखों और केन्द्र प्रमुखों के पद सरकार अपने विवेक से विदेश सेवा के सदस्यों को अथवा जन जीवन के अन्य व्यक्तियों को अथवा कभी-कभी अन्य सेवाओं के सेवा निवृत्त सदस्यों को नियुक्त करके भरती है।

वरिष्ठ राजनयिक नियुक्तियों के लिये व्यक्तियों का चयन करते समय सरकार राष्ट्रीय हितों को और उस पद के लिये उपयुक्तता को ध्यान में रखती है। ऐसे पदों पर गैर वृत्तिक राजनयिकों और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करते समय सरकार उनके अनुभव, योग्यता और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखती है।

(ख) भारतीय विदेश सेवा एसोसियशन ने दूसरी बातों के साथ-साथ इस मामले के इस पक्ष की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाया है। इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण यह है कि मिशन प्रमुख के रूप में किसी गैर वृत्तिक व्यक्ति की नियुक्ति करते समय उसकी उपयुक्तता और प्रतिष्ठा पर ध्यान देना ही होगा।

(ग) एक सूची संलग्न है।

(घ) भारतीय विदेश सेवा अथवा जन जीवन से उपयुक्त व्यक्तियों को देश का प्रतिनिधित्व करने के लिये भेजने के प्रश्न को न केवल भारतीय विदेश सेवा से उपयुक्त अधिकारियों की उपलब्धता के संदर्भ में ही निर्णय करना पड़ता है बल्कि दूसरे कारणों को भी ध्यान में रखना होता है

उन सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारियों की सूची जिन्हें मिशन प्रमुख नियुक्त किया गया है

क्र० सं०	राजदूत/हाई कमिश्नर का नाम	देश	उस स्थान पर नियुक्ति की तिथि	
(1)	जनरल जी० जी० बेवूर	डेनमार्क	9–2–76	भूतपूर्व सेनाध्यक्ष
(2)	श्री छेदी लाल	पनामा	5–10–76	सेवा निवृत्त आई० ए० एस०
(3)	श्री एम० ए० कुरैशी	सऊदी अरब	25–4–76	सेवानिवृत्त आई०सी० एस०
(4)	श्री एस० सेन	(क) संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि	28–1–66	सेवा निवृत्त आई० ए० एस०/आई० एफ० एस० और पुर्नानियोजित
		(ख) बंगला देश	10–7–74	
		(ग) स्वीडन	13–12–76	
(5)	श्री आर० जयपाल	संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि	7–11–74	सेवा निवृत्त आई० एफ० एस० और पुर्नानियोजित

TAKE OVER OF RAJENDRA RESEARCH MEDICAL INSTITUTE, PATNA

640. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether his Ministry had expressed a desire to take over Rajendra Research Medical Institute, Patna and conduct research there and if so, the progress achieved in this direction;

(b) whether the research work is too expensive and for want of funds and management it is not being conducted properly without its being taken over by the Government of India; and

(c) if so, the time by which Government would undertake advanced research work in the Rajendra Research Medical Institute, Patna and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a), (b) and (c). In March, 1975 the then Health Minister of Bihar had requested the Government of India to provide an annual grant of Rs. 10 lakhs to the Rajendra Memorial Research Institute of Medical Sciences, Patna on a recurring basis. The State Government had, in the meanwhile declined to take over this Institute as suggested earlier by the Government of India.

It was felt that since this Institute was dealing with the problems of Coal Mines Workers, it would be appropriate if the ICMR was consulted in the matter since the Council was already running the National Institute of Occupational Health in Ahmedabad. The ICMR deputed a team of experts to the Institute and on the basis of their report, the Council informed this Ministry that while the team of exports was satisfied, by and large, with the availability of accommodation and equipment at the Institute, they were most critical about the quality of research work and the staff employed there. Under the circumstances, the Council did not find it possible to take over the Institute.

The matter was considered further in this Ministry in April, 1977 and after considering in detail the various aspects of the problems, it was decided that the Institute should send a proposal through the Government of Bihar seeking financial support. If the State Government agreed to meet the 50% of the recurring expenditure on a permanent basis, the matter could be reconsidered by the Government of India once again. The necessary proposals from the State Government have not, however, been received.

एण्टीबॉयोटिक्स के प्रयोग संबंधी विशेषज्ञ दल

641. **श्री हरि विष्णु कामत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री एण्टीबायोटिक्स के प्रयोग संबंधी विशेषज्ञ दल के बारे में 4 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6279 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ दल ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिवेदन सभापटल पर रखा जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :

(क) जी नहीं। इस दल की अभी बैठक होनी है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि विशेषज्ञ दल की अभी बठक होनी है इसलिए इस अवस्था में यह बतलाना संभव नहीं है कि रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाएगी ।

STRENGTH OF TECHNICIANS IN DELHI TELEPHONE DISTRICT

†642. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the total sanctioned strength of technicians (Telephone mechanics) in the Delhi Telephone District along with the number of those who are actually working at present and the number of posts lying vacant in each exchange including number of technicians on deputation to other telephone circles;

(b) the steps taken or proposed to be taken to fill up these posts expeditiously;

(c) whether Government propose to create more posts of technicians in the Delhi Telephone District keeping in view of the programme undertaken or proposed to be under-

Telephone District keeping in view of the programme undertaken or proposed to be under taken in near future for large scale extension of telephone facilities in Delhi; and

(d) if so, the details thereof ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI :

(a)	(i) Total sanctioned strength of Technicians (telephone mechanics)	..	1040
	(ii) Working strength of Technicians excluding those on deputation	..	1018
	(iii) Vacant		22
	(iv) On deputation to other telephone Circles		19

Exchangewise positions is indicated in Annexure I.

(b) To meet with the existing shortage and likely new posts, recruitment action was taken and now 138 Technicians are under training. They are likely to complete training by 31-7-78. On completion of training they will be appointed as Technicians.

(c) Yes. About 146 posts are likely to be created.

(d) Details given in Annexure II.

[Placed in Library. *See* LT No. 1072/77]

श्रम विवादों का फैसला

643. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उन सभी श्रम समस्याओं और विवादों को हल कर लिया है जो अक्तूबर, 1977 तक उनके पास आए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन में से कितने विवादों पर अभी वार्ता चल रही है ;

(ग) कितने मामलों में फैसला हो चुका है; और

(घ) क्या इन फैसलों से वर्ष के प्रारंभ में फैली हुई श्रमिक अशान्ति कम हुई है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) केन्द्रीय श्रम मंत्री उन सभी सात विवादों में सौहार्दपूर्ण समझौते कराने में सफल हुए, जिनमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया ।

अधिक राशि के बिल बनाने और कालों की चोरी को रोकना

644. श्री सुशील कुमार धारा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन रखने वाले लोगों को अधिक राशि के बिल बनाये जाने और उनको ऐसी कालों के लिए जो जो उन्होंने कभी नहीं कीं उनसे शुल्क वसूल किये जाने से हो रही कठिनाई को दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) टेलीफोन एक्सचेंजों में मीटर लगाने की बजाए टेलीफोन कालों को रिकार्ड करने के लिए उपभोक्ता को मीटर देने और उनको उसी प्रकार पढ़ने जिस प्रकार बिजली के मीटर पढ़े जाते हैं, में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती मीटरों का सही पढ़ा जाना और अधिक राशि के बिलों को रोकना और कुछ टेलीफोन कर्मचारियों द्वारा कालों की चोरी को रोकना सरकार किस प्रकार सुनिश्चित करेंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) अधिक रकम क बिल बनाने के संबंध में बहुत कम शिकायतें प्राप्त होती हैं। हाल के आंकड़ों से यह पता चलता है कि अधिक रकम के बिलों के बारे में शिकायतें औसतन जारी किए गए बिलों की केवल 1.6 प्रतिशत हैं। जब भी ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो उनकी सावधानी से जांच की जाती है और जिन मामलों में कोई तकनीकी या मानवीय गलती का पता चलता है या उपभोक्ता की काल करने की आदत को ध्यान में रखते हुए मीटर की हुई कालों में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई पड़ती है। वहां बिल में छूट दे दी जाती है। फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मीटर उचित और सुरक्षित ढंग से काम करें कुछ कदम उठाए जाते हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं--मीटरों की नियमित जांच, मीटरों और मीटरों के कमरों को सील करना, वितरण केन्द्रों (डी०पी०) में वृद्धि करना आदि ।

(ख) प्रत्येक उपभोक्ता की लाइन के साथ एक अलग मीटर लगाया जाता है। इस मीटर को चलाने वाले सर्किल एक्सचेंज की सर्किट व्यवस्था के अनिवार्य अंग होते हैं और उन्हें उपभोक्ता के अहाते तक नहीं ले जाया जा सकता है। ऐसे सर्किटों का डिजाइन तैयार करना संभव नहीं हो सका है जिनसे उपभोक्ता के अहाते में लगाए गए मीटर में सही और समानान्तर रिकार्डिंग सुनिश्चित की जा सके :

(ग) सही मीटर रीडिंग सुनिश्चित करने के लिए और अधिक रकम के बिलों से संबंधित शिकायतें रोकने के लिए उपभोक्ता के अहाते में एक समानान्तर मीटर लगाना ही एकमात्र तरीका नहीं है, बल्कि अन्य तरीके भी अपनाए गए हैं जिनसे यह देखा जा सके कि अधिक रकम के बिल बनन की संभावना बहुत कम है।

व्यापक औद्योगिक संबंध विधि संबंधी कार्यकारी दल द्वारा प्रतिवेदन किया जाना

645. **श्री कृष्ण चन्दर हाल्दर**
डा० बापू कालदते
श्री के० ए राजन
श्री एस० जी मुरुग्यन
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
श्री पी० त्यागराजन
श्री आर० कोलनथाइवेलु
श्री शंकर सिंह जी बाधेला
श्री रामधारी शास्त्री

: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापक औद्योगिक संबंध विधि संबंधी कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) क्या वह प्रतिवेदन सर्वसम्मत नहीं है ;

(ग) यदि हाँ, तो उस प्रतिवेदन में व्यक्त परस्पर विरोधी मतों को किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) प्रतिवेदन पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) व्यापक औद्योगिक संबंध कानून तथा भारतीय श्रम सम्मेलन गठन विषयक समिति ने सितम्बर, 1977 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यद्यपि सदस्यों ने विभिन्न अन्तर्ग्रस्त विषयों के बारे में अलग अलग मत व्यक्त किए, तथापि ट्रेड यूनियनों और औद्योगिक विवाद संबंधी कानूनों और स्थायी आदेशों में परिवर्तनों से सबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलूओं के संबंध में काफी मतैक्य था। समिति ने यह बात सरकार पर छोड़ दी कि वह विचार विमर्श के दौरान व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में अन्तिम निर्णय ले कि व्यापक कानून का सामान्य ढांचा क्या हो। अब औद्योगिक संबंध विधेयक के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

छोटे इस्पात संयंत्रों को आर्थिक सहायता और उसका प्रभाव

646. **श्री सौगत राय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे इस्पात संयंत्रों को फिर से चालू करने के लिए कुछ आर्थिक सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उस आर्थिक सहायता का छोटे इस्पात संयंत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) : लघु इस्पात संयंत्रों को पुनः चलाने के लिए सरकार ने कोई आर्थिक सहायता नहीं दी है परन्तु लघु इस्पात संयंत्रों की अर्थक्षमता में सुधार लाने हेतु सरकार न कई कदम उठाए है—जैसे सर्वतो-मुखी इस्पात कारखानों से बनाए जाने वाल पिण्ड/बेलित उत्पादों के उत्पादन पर उत्पादन-शुल्क समाप्त करना, मेल्टिंग स्क्रैप पर आयात शुल्क समाप्त करना, हैवी मेल्टिंग स्क्रैप की कुछ श्रेणियों पर उत्पादन-शुल्क समाप्त करना। यह बात भी स्वीकार कर ली गई है कि योजना की अर्थ-क्षमता को देखकर उत्पादन में विविधता लाने के लिए वित्तीय संस्थाए लघु इस्पात संयंत्रों से ऋण के लिए प्राप्त हुए आवेदनों पर भी अनुकूल कार्रवाई करने पर विचार करें।

इसके अतिरिक्त लघु इस्पात संयंत्रों को कुछ ग्रेडों का मिश्र-इस्पात तैयार करने की भी अनुमति प्रदान की गई है। कुछ चुने हुए लघु इस्पात संयंत्रों को बेलन सुविधाओं की स्थापना करने की भी अनुमति दी गई है।

उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि उपर्युक्त उपायों के फलस्वरूप पिछले कुछ महीनों में लघु इस्पात संयंत्रों से इस्पात की कुछ उपलब्धि में बढ़ोतरी हुई है।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित एन० जे० सी० सी० बैठक में कर्मचारी संघों का प्रतिनिधित्व

647. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया ने एन० ज० सी० सी० की बैठक बुलाई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रतिनिधित्व का आधार क्या है;

(ग) क्या एन० जे० सी० सी० के विधान में ऐसे केन्द्रीय कार्मिक संघ को, जिसका किसी इस्पात कारखाने में मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ हो, प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था है;

(घ) 'सीटु' को प्रतिनिधित्व न दिये जाने के क्या कारण है जबकि दुर्गापुर स्टील एण्ड एलाय स्टील प्लांट में इसका मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ है ;

(ङ) क्या ऐसे किसी केन्द्रीय कार्मिक संघ को प्रतिनिधित्व दिया गया है जिसका किसी इस्पात कारखान में मान्यता प्राप्त संघ नहीं है; और

(च) यदि हां, तो 'सीटु' के प्रति ऐसी भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) इस्पात उद्योग की राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार समिति की पिछली बैठक इस समिति के संयोजक-सदस्य (अध्यक्ष, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०) द्वारा 5 तथा 6 अक्तूबर, 1977 को की गई थी।

(ख) पहल इस समिति का नाम इस्पात उद्योग के लिए संयुक्त वेतन वार्ता समिति था। इस समिति का गठन लोहा और इस्पात सम्बन्धी औद्योगिक समिति के 16 अक्टूबर, 1969 को हुए दूसरे सत्र के निर्णयों के अनुसार किया गया था। इस समिति में नियोक्ताओं के 4 प्रतिनिधि तथा कर्मचारियों के 15 प्रतिनिधि थे---तीन केन्द्रीय मजदूर संघों (इंटक, एटक तथा एच० एम० एस०) के प्रत्येक के 3-3 तथा जमशेदपुर, बर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई तथा भद्रावती म स्थित मान्यता प्राप्त संघों का एक-एक प्रतिनिधि था। अब भी प्रतिनिधित्व की यही व्यवस्था है।

(ग) एन० जे० सी० सी० का ऐसा कोई विधान नहीं है।

(घ) प्रश्न के भाग (ख) के ऊपर दिय गय उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस समय किसी भी इस्पात कारखाने में एटक से सम्बद्ध कोई मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है जिसका इस समिति में प्रतिनिधि हो:

(च) प्रश्न के भाग (ख) के ऊपर दिये गये उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

गैर सरकारी व्यापारियों को इस्पात उत्पादों का नियतन

648. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीनों मुख्य इस्पात उत्पादक कारखानों अर्थात् टिस्को/इस्को/एच० एस० एल० द्वारा गैर सरकारी व्यापारियों को इस्पात उत्पादों का नियतन करने के लिए सरकार ने कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या सरकार को इन तीनों इस्पात उत्पादन कारखानों द्वारा इस्पात के नियतन में किए जा रहे कदाचार की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) इस समय इस्पात के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है और सरकार ने गैर सरकारी व्यापारियों को इस्पात का आवटन करने के बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं बनाए है।

(ग) और (घ) मुख्य उत्पादकों द्वारा इस्पात सामग्री के वितरण के बारे में समय-समय पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है उचित कार्रवाई की जाती है।

WORK DONE BY DRESSERS OF CENTRAL GOVERNMENT HOSPITALS

649. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether the dressers working in all the Central Government hospitals and Central Health Service Centres have to prepare at least one hundred medicines, undertake minor surgical operations and stitching work and administer injections in the absence of the staff nurse;

(b) whether the pharmacist prepares four mixtures only and dispenses the patent medicines of the manufacturers to patients; and

(c) if so the reasons for not giving the same scale of pay to the dressers as to the pharmacists ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No, Sir.

(b) The Pharmacists of CGHS Dispensaries prepare about 6 mixtures required for common ailments. They dispense the general and special medicines to the patients according to the prescriptions of the medical officers.

(c) Pay scales for various posts have been fixed by the III Pay Commission keeping in view the nature of duties and responsibilities attached to the posts and qualifications/experience prescribed for recruitment thereto. Minimum qualification prescribed for recruitment to the post of Pharmacist is Matriculation and Diploma in Pharmacy with registration under the Pharmacy Act, whereas the qualification prescribed for the post of Dresser is education upto Middle standard and qualification in the First Aid Exam. The responsibilities attached to the post of Pharmacist are also more onorous than those attached to the post of the Dresser. As such, there cannot be any equation of pay scales for the two categories of posts.

EXPANSION OF STEEL PROJECTS

650. SHRI HUKMDEO NARAYAN YADAV : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the names of the foreign firms with whom agreement were concluded for the expansion of steel projects of the country from 1974 to 1976; and

(b) whether the firm whose quotations were lowest was not awarded the work but work was awarded to a firm whose quotations were highest, if so the justification for it ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

FOREIGN ASSISTANCE FOR KALA-AZAR

651. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether some foreign assistance in the form of doctors and medicines has been received by the Government of India for the treatment of Kala-Azar; and

(b) if so, the details thereof ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH & FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes for medicines only. Following foreign assistance by way of medicines has been received by the Government of India for the treatment of Kala-Azar but no assistance in the form of doctors was asked for or received :—

1. *From WHO*

(i) 9,000 vials of Pentamidine have been received and 11,000 vials of that drug are expected in the next two months.

4—875LSS/77

(ii) 1,500 bottles of Lomodine have been received and another 10,500 bottles a expected in the next few months.

2. *From Lutheran World Service, Geneva*

1,000 vials of Pentamidine.

दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा विशाखापत्तनम के इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन

652. श्री के० सूर्यनारायण
श्री एस० जी० मरूगय्यन
श्री एम० कल्याणसुन्दरम
: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड ने विशाखापत्तनम के इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में अपना परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन का ब्यौरा कक्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) को विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन अक्तूबर, 1977 में प्राप्त हुआ था।

(ख) विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन में 30 लाख टन द्रव इस्पात की क्षमता का एक कारखाना लगाने की परिकल्पना की गई है। जिससे 24.3 लाख टन विक्रय इस्पात (नान-फ्लेट प्रोडक्ट्स) और 1.36 लाख टन विक्रेय कच्चा लोहा तैयार होगा। प्रायोजना पर 1926 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है जिसमें 107 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा के रूप में होगा। इस समय सेल द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन की संवीक्षा की जा रही है। इसके बाद से भारत सरकार को विचारार्थ भेजा जाएगा।

APPLICATIONS FOR PASSPORTS FROM CHURU AND NAGAUR DISTRICTS OF RAJASTHAN

†653. SHRI DAULAT RAM SARAN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of applications received from Churu and Nagaur Districts of Rajasthan State for issue of passports before M.P.'s. were authorised to issue verification certificate for passports; and

(b) number of applications pending and since when and the reasons therefor ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) The Regional Passport Office, Delhi does not maintain districtwise figures for the number of applications for passports received by it. It maintains only a State wise break-up of such applications. During the period 1 January, 1977 to 30 September, 1977 42, 451 applications for passports were received in the Regional Passport Office, Delhi from the State of Rajasthan.

(b) The total number of applications for passports from the State of Rajasthan, pending in the Regional Passport Office, Delhi, as on 1 October, 1977 was 26,856. Of these, 10,606 applications are pending for want of additional information from the applicants 16,250 applications are under process.

डीगो गार्शिया में अमरीकी नौसैनिक और वायु सैनिक अड्डों का विस्तार

654. श्री अमर राय प्रधान
श्री एम० कल्याणसुन्दरम
श्री सी० आर० महाटा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान डीगो गार्शिया में अमरीकी नौसैनिक और वायु सैनिक अड्डों के प्रस्तावित विस्तार के संबंध में 26 सितम्बर, 1977 को 'न्यूयार्क टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां।

(ख) हिन्द महासागर जिसमें दियागो गार्सिया भी शामिल है में विदेशी सैनिक उपस्थिति के बारे में भारत सरकार की नोति से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय भली-भांति परिचित है और उसे दोहराने को जरूरत नहीं। हम चाहते हैं कि हिन्द महासागर शान्ति-क्षेत्र बने। अतः हिन्द महासागर में किसी बड़े राष्ट्र की नौसैनिक उपस्थिति के विषय में हमारा विरोध स्वाभाविक है। हम निस्सन्देह यह चाहते हैं कि हिन्द महासागर को एक शान्ति क्षेत्र के रूप में स्थापित करने से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र-प्रस्तावों के कार्यान्वियन में वे अपना पूरा समर्थन दें।

प्रधान मन्त्री तथा विदेश मन्त्री द्वारा सोवियत रूस की यात्रा

655. डा० हेनरी आस्टिन
डा० बापू कालदते
श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री तथा विदेशी मंत्री ने अक्तूबर, 1977 में रूस की यात्रा की है; और

(ख) यदि हां, तो वहां हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जो, हां सोवियत नेताओं के निमंत्रण पर 21--26 अक्तूबर, 1977 तक प्रधान मंत्री ने विदेश मंत्री के साथ सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ को यात्रा की।

(ख) इस यात्रा के जो परिणाम निकले उस संबंध में प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य इस संदर्भ में दिया था।

उड़ीसा में स्वास्थ्य रक्षा केन्द्रों की स्थापना

656. **श्री बैरागी जेना :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 अक्तूबर, 1977 को उड़ीसा में कितने ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र खाले गये ; और

(ख) चालू वर्ष के अन्त तक ऐसे कितने के खोले जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :

(क) 2 अक्बतूर, 1977 को उड़ीसा में कोई भी ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोला गया था। इस दिन जन स्वास्थ्य रक्षक योजना नामक जो योजना आरम्भ की गई थी उसके अन्तर्गत समुदाय/गांव द्वारा प्रति हजार जनसंख्या के पीछे एक के हिसाब से चुने गये जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद वे अपने समाज/गांव को सेवाएं प्रदान करेंगे।

(ख) स्वास्थ्य केन्द्रों के खोलने का कार्य जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है, राज्य सरकार से संबंधित है। इस समय उड़ीसा राज्य में 4 प्राइमरी हैल्थ सेंटर और 2,038 सब-सेन्टर हैं।

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् में प्रबन्धक वर्ग कर्मचारियों के संबंध को सामान्य बनाना

657. **श्री दिलीप चक्रवर्ती : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, जो शुल्क के भुगतान करने पर अपनी सेवाएं प्रदान करती है, एक उद्योग और यह संस्था औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आती है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद में प्रबन्धक-वर्ग तथा कर्मचारियों के संबंधों पर दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं अथवा कोई अन्य अधिनियम; और

(ग) यदि कोई अधिनियम नहीं लागू होता तो क्या सरकार राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद में प्रबन्धक वर्ग तथा कर्मचारियों के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क) से (ग) : क्या यह परिषद औद्योगिक विवाद अधिनियम, दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम आदि के अन्तर्गत आती है या नहीं, इसका निर्धारण संबंधित अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन किया जाएगा और औद्योगिक विवाद अधिनियम किसी प्रतिष्ठान पर लागू होता है या नहीं इस विषय से संबंधित विवादास्पद मामले का न्यायिक रूप से निर्धारण होना है । दिल्ली प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, परिषद के चार भूतपूर्व कर्मचारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें अन्य बातों के साथ, प्रबंधकों की इस दलील को चुनौती दी गई है कि यह परिषद औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अर्थ के अन्तर्गत एक उद्योग नहीं है। यह याचिका उच्च न्यायालय के पास अनिर्णीत पड़ी है। इसी बीच यह सूचित किया गया है कि दिल्ली प्रशासन ने बर्खास्त किए गए इन चार कर्मचारियों के मामले को औद्योगिक न्यायाधिकरण दिल्ली के पास न्याय निर्णय के लिए भेजा है। इस मामले में यदि आगे की कोई कार्रवाई करनी हो, तो वह उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट के प्रकाश में करनी पड़ेगी। जहां तक प्रबंधकों और कर्मचारियों के संबंधों का प्रश्न है, दिल्ली प्रशासन के अनुसार, इस प्रतिष्ठान में मई-जुलाई, 1977 के दौरान कुछ संकट उत्पन्न

हुआ था, लेकिन संबंधित पक्षों में 28 जुलाई 1977 को एक समझौता हो जाने के बाद "तालाबन्दी" प्रबंधकों द्वारा 29-7-77 को उठा ली गई थी। यह बताया गया है कि अब यह प्रतिष्ठान सामान्य रूप से कार्य कर रहा है।

महाराष्ट्र के सांगली जिले में चन्दौली में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

658. **श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार महाराष्ट्र में सांगली जिला में चन्दौली में जहां लगभग 75 करोड़ रुपये की लागत से वारना परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, एक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और कब तक वह एक्सचेंज पूर्ण हो जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) (क) और (ख) : परियोजना अधिकारियों की ओर से चन्दोली में टेलीफोन कनेक्शन के लिए अभी तक केवल एक अर्जी दर्ज कराई गई है। यह टेलीफोन कनेक्शन इस्लामपुर एक्सचेंज से एक लंबी दूरी के कनेक्शन के रूप में किराए और गारंटी के आधार पर दिया जा रहा है। जब टेलीफोन कनेक्शनों के लिए पर्याप्त मांग हो जाएगी और एक्सचेंज वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हो जाएगा, तब एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनायी जाएगी।

नसबन्दी के मामलों का लक्ष्य

659. **श्री निहार लास्कर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में कितने नसबन्दी आपरेशन किये गये ;

(ख) चालू वर्ष के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है और उसे प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन केन्द्र खोलने का विचार है और यदि हां, तो इस वर्ष कितने केन्द्र खोले जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1977-78 के चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों (अप्रैल से सितम्बर, 1977) में 346,255 नसबन्दी आपरेशन किए गए।

(ख) हर वर्ष राज्यों के परामर्श से उनके लिए नसबन्दी आपरेशनों तथा अन्य तरीकों के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिससे पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जन्मदर को घटाकर 30 प्रति हजार तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस वर्ष जब राज्यों के साथ बैठक हुई तो अनेक राज्यों ने देश के कुछ भागों में नसबन्दी आपरेशनों में की गई जोर-जबरदस्ती के परिणामस्वरूप हुए व्यापक विरोध के कारण नसबन्दी के बारे में बहुत कुछ कर पाने में अपनी कठिनाई प्रकट की। इस प्रकार 'लक्ष्य' शब्द को बदल कर उसके स्थान पर 'उपलब्धि के स्तर' शब्द कर दिये गये। यह भी निर्णय किया गया कि इस वर्ष नसबन्दी आपरेशनों के लक्ष्यों पर अधिक से बल नहीं दिया जाएगा। फिर भी, इस वर्ष नसबन्दी आपरेशनों की उपलब्धि का स्तर 40 लाख रखा गया था। किसी भी तरह की बाध्यता को समाप्त करने

के लिए शब्द 'नसबन्दी' के स्थान पर 'स्वैच्छिक नसबन्दी' शब्द कर दिये गये हैं ताकि कार्यक्रम को पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर चलाया जाए। केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ शासित सरकारों से अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम को बिना किसी जोर-जबरदस्ती अथवा दबाव के द्रुत-गति से चलाया जाए। सभी स्वीकारकर्ताओं को अपनी सुविधा के अनुसार गर्भरोधन के सारे तरीकों में से, जिनमें स्वैच्छिक नसबन्दी भी शामिल है, कोई सा भी तरीका चुनकर अपनाने का सुझाव दिया जा रहा है। हाल ही में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस बात को सुनिश्चित कराएं कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में लगा स्टाफ गर्भ निरोधक तरीकों के बारे में सामान्यतया तथा स्वैच्छिक नसबन्दी के बारे में विशेषतया बढ़ावा देने के सम्बन्ध में कोई सुस्ती, शिथिलता अथवा उदासीनता न दिखाएं।

(ग) राज्य सरकारों को वर्ष 1977-78 में दो सो ग्राम परिवार कल्याण केन्द्र खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। योजना आयोग न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो राज्य क्षेत्र में आता है, ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए 2814 ग्रामीण सब-सैन्टर भी खोलने के लिए सहमत हो गया है।

ADVERTISEMENT REGARDING KALI BY BRITISH GOVERNMENT

†660. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in Britain an advertisement published in news-papers in which it has displayed "Kali" as a symbol of evil and destruction as a result of which religious feelings of not only the persons of Indian origin living in Britain but entire Hindu Community have been hurt; and

(b) if so, the action taken by Government and the results thereof ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) A poster depicting the Hindu Goddess Kali as a symbol of destruction was issued by the British Safety Council (which is not a governmental organisation) with the intention of promoting safety in industrial establishments.

(b) The Indian High Commission in London drew the attention of the British Foreign Office to the resentment aroused by the poster among the Indian community. Protests against the poster have also been sent by the Indians to the British Safety Council. The British Government have regretted their inability to take any action to cancel the poster since the British Safety Council does not receive any government subvention.

According to the Indian High Commission in London, there is so far no evidence of the actual distribution of the poster by the British Safety Council.

रोडेशिया और नामीबिया में राष्ट्रवादी गुरिल्लों का समर्थन

661. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोडेशिया और नामीबिया के राष्ट्रवादी गुरिल्लों का समर्थन किया है; और

(ख) अन्य किन देशों ने उनका समर्थन किया है ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) जी, हां। सरकार ने जिम्बाब्वे (रोडेशिया) तथा नामीबिया में बहुमत शासन तथा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले उन मुक्ति आंदोलनों का हमेशा समर्थन किया है जिन्हें वह राजनयिक स्तर पर अथवा अन्यथा मान्यता देती है।

(ख) बहुत से देशों ने इन मुक्ति आंदोलनों को मान्यता प्रदान की है और उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। इसमें अफ्रीकी एकता संगठन के सदस्य, गुटनिरपेक्ष देश तथा समाजवादी और स्कैंडेनेवियाई देश विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

TELEPHONE EXCHANGE AT FIROZABAD (U.P.)

†662. DR. RAMJI LAL SUMAN : Will be Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Firozabad, which is quite an important city, fulfils more than the formalities of the number of telephones required for a dial system;

(b) whether there is a proposal to open a Telephone Exchange at Firozabad (U.P.); and

(c) if so, when ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a), (b) & (c) Firozabad is at present served by a manual telephone exchange with a capacity for 1320 lines. At present 1114 telephone connections are working with none on the waiting list.

The department is working towards automatisation of all existing manual exchanges. However, due to limited resources, particularly in regard to availability of automatic exchange equipment, the progress of this programme has been slow. No minimum number of lines has been prescribed for taking up automatization. In general, priorities are being given to State Capitals, Distt. Headquarters and larger manual exchanges.

With present position of availability of automatic exchange equipment, it is hoped to take up a scheme for automatisation of Firozabad Telephone Exchange towards end of roll-on Plan 1978-83 and complete it during next roll-on Plan 1983-88.

IRREGULARITIES IN APPOINTMENT OF EDUCATION OFFICERS UNDER WORKERS' EDUCATION SCHEME

663. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether a lot of irregularities have been committed in regard to the appointment of Education Officers under the Workers' Education Scheme; and

(b) if so, whether Government would remove these irregularities ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR & PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA) : (a) and (b) Presumably the question refers to interviews being carried out by the Selection Committee of the Central Board for Workers' Education for admission to a pre-employment Training Course for appointment as Education Officer. No appointments have been made so far. A few representations were received from those not called for interview. These have been looked into but no irregularity has been found.

परिवार कल्याण कार्य में प्रगति

664. श्री हितेन्द्र देसाई : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम में पिछले छः महीनों में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या सरकार उसे संतोषजनक और पर्याप्त समझती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) गत छः महीनों (अप्रैल 1977 से सितम्बर, 1977 तक) के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम की जो प्रगति हुई है वह अनुबन्ध-1 और अनुबन्ध-2 में दिखाई गई है।

(ख) सितम्बर, 1977 को को समाप्त होने वाली छमाही के दौरान केवल मुख-सेव्य गोली कार्यक्रम तथा महिलाओं के अपोषणज अरक्तता बचाव के मामलों को छोड़कर इस कार्यक्रम की प्रगति को सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है।

देश के कई भागों से आपात कालीन स्थिति के दौरान जोर जबरदस्ती की जो रिपोर्टें मिली हैं उनसे निःसंदेह परिवार कल्याण कार्यक्रम को काफी धक्का लगा है। सरकार का यही प्रयास है कि इस कार्यक्रम का प्रचार पूर्णतया स्वैच्छिक ढंग से किया जाए और इसीलिए इस से संबंधित प्ररणादायक अभियानों को सरकारी मशीनरी तथा गैर-सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए सं० एल० टी० 1073/77]।

FORCED STERILISATION CASES DURING EMERGENCY

665. SHRI LAXMI NARAIN NAYAK, SHRI BHAGAT RAM : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the number of persons died in each State due to forced sterilisation during the emergency and the number of those who have been rendered incapable to work due to sterlization;

(b) the amount of financial assistance given by Government and State Governments, separately to the families of persons who died due to sterilization; and

(c) the amount of financial assistance given to persons rendered in capable to work and the number of such persons given assistance ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) (b) & (c) The information is being collected from the States and would be laid on the table of the Sabha.

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

666. **श्री रोबिन सेन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** 1975 और 1976 के दौरान कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं के बारे में 23 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1530 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अक्तूबर 1977 के दौरान कोयला खानों में कितनी दुर्घटनायें हुई और उनमें कितने मजदूर मारे गए और घायल हुए; और

(ख) कोयला खानों में सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार जनवरी से अक्तूबर, 1977 की अवधि के दौरान कोयला खानों में 185 घातक दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 202 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 33 अन्य व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए तथा जनवरी से सितम्बर, 1977 की अवधि के दौरान 1511 गम्भीर दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1539 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए।

कोयला खानों में सुरक्षा की स्थितियों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

1. कानून के अनुपालन की जांच करने, उल्लंघनों, यदि कोई हों, को बताने के लिए नेमी तथा विशेष निरीक्षण करना तथा जहां आवश्यक हो और आगे अनुवर्ती कार्यवाही करना।

2. निरीक्षणों के परिणामों के बारे में प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर आवधिक विचार विमर्श करना।

3. दुर्घटनाओं में वृद्धि/दुर्घटनाओं को कोई कोई असामान्य घटना की ओर प्रबंध का ध्यान दिलाना और दुर्घटनाओं की संख्या में ऐसी वृद्धि को रोकने के लिए विशिष्ट कार्यवाही करने के कार्यक्रम के लिए कहना।

4. प्रवर्तन एजेन्सी (डी० जी० एम० एस०) को सुदृढ़ बनाना। इसमें (i) कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना और (ii) डी० जी० एम० एस० की ओर योग्य तथा सक्षम व्यक्तियों को आकृष्ट करने के लिए सेवा शर्तों में सुधार करना सम्मिलित है।

5. दुर्घटनोन्मुख खानों की शनाख्त करने तथा असुरक्षित स्थितियों को दूर करने के लिए अध्ययन करने हेतु डी० जी० एम० एस० में "सेपिकम" यूनिट (दुर्घटनोन्मुख खानों का सर्वेक्षण करने और सुधारक उपायों का पता लगाने के लिए) की स्थापना करना।

6. खानों में सुरक्षा संबंधी सम्मेलन और जांच न्यायालय की रिपोर्टों की सिफारिशों का कार्यान्वयन करना। खानों में सुरक्षा के स्तर की पुनरीक्षा करने के लिए श्रम मंत्रालय के तत्वावधान में दो उच्च स्तरीय बैठकें नवम्बर, 1977 और मई, 1977 को हुई थीं। उपरोक्त विचार विमर्श और खानों में तीसरे सुरक्षा सम्मेलन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति में प्रगति को 29 अक्तूबर, 1977 को पुनर्गठित पुनरीक्षा समिति की पहली बैठक में पुनरीक्षा की गई थी।

सरकार चासनाला, केसूरगढ़ और सुदामडिह दुर्घटनाओं के बारे में स्थापित जांच न्यायालय द्वारा दी गई सिफारिशों की जांच भी कर रही है।

7. श्रमिकों में सुरक्षा जागृति लाने के लिए सुरक्षा सप्ताह माना।

8. डी० जी० एम० एस० को कोयला कम्पनियों में हाल ही में नियुक्त किए गए सहायक प्रबधकों को प्रशिक्षण देना।

9. सितम्बर-नवम्बर, 1977 में बी० सी० सी० एल० और सी० सी० एफ० एल० के वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए खान सुरक्षा के एक-साप्ताहिक पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।

श्रमिकों की सहभागिता पर विचार करने के लिए स्कन्ध की स्थापना

667. **श्री लखनलाल कपूर :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात के बावजूद भी कि उद्योग में श्रमिकों की सहभागिता संबंधी योजना 1958 में आरम्भ कर दी गई थी, श्रम मंत्रालय में कोई अलग प्रभाग या स्कंध नहीं बनाया गया है और इसके प्रतिकूल 1964–69 की अवधि के दौरान कार्य कर रही व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार अब इस योजना को गम्भीर रूप से हाथ में लेने और निकट भविष्य में इसको क्रियान्वित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) यद्यपि श्रमिकों की सहभागिता संबंधी कार्य को निपटने के लिए श्रम मंत्रालय में कोई अलग प्रभाग या विंग स्थापित नहीं किया गया, तथापि, समय-समय पर इस संबंध में कर्मचारियों की मंजूरी दी गई। 1969 में प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त प्रबन्ध परिषदों को किसी भी स्थान पर नियोजकों अथवा श्रमिकों, किसी के भी दृष्टिकोण से कोई विशेष सफलता नहीं मिली है।

(ग) बाद में श्रमिकों की सहभागिता की दो नई योजनाएं आरंभ की गईं—एक अक्तूबर 1975 में तथा दूसरी जनवरी, 1977 में। नई सरकार द्वारा केन्द्र में कार्यभार संभाल लिए जाने के बाद सितम्बर, 1977 में एक समिति नियुक्त की गई ताकि वह प्रबन्ध व इक्विटी में श्रमिकों की सहभागिता की कोई समुचित योजना के संबंध में सुझाव दे।

1976-77 और 1977-78 में इस्पात का उत्पादन

668. **श्री ओ० वी० अलगेशन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976-77 में और 1977-78 के पहले छः महीनों के दौरान प्रत्येक संयंत्र में धातु पिण्डों के रूप में इस्पात का कितना उत्पादन हुआ, विक्रय उत्पादों का मूल्य क्या था और कितनी क्षमता का उपयोग किया गया;

(ख) 1976-77 में और 1977-78 के पहले छः महीनों के दौरान देशवार निर्यात किये गये इस्पात की मात्रा और मूल्य क्या है; और

(ग) 1976-77 में और 1977-78 के पहले छः महीनों के दौरान मात्रा और मूल्य के रूप में देश में कितनी खपत हुई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया गुण्डा) : (क) वर्ष 1976-77 में और अप्रैल, सितम्बर, 1977 के दौरान प्रत्येक सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने का इस्पात पिण्ड और विक्रय इस्पात का उत्पादन और क्षमता के उपयोग की सीमा संलग्न विवरण-1 में दिखाई गई है।

भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो इस्पात कारखाने के बारे में विक्रय इस्पात का अनुमानित मूल्य (उत्पादन शुल्क और रेलभाड़ा शामिल है) अगले पृष्ठ पर दिया गया है। टिस्को और इसको के बारे में इस प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(मिलियन रुपये)

क्रम सं०	कारखाना	1976-77 के दौरान उत्पादन के लिए।	1977-78 के छः 7 महीनों के दौरान उत्पादन के लिए।
1.	भिलाई इस्पात कारखाना . . .	3184	1503
2.	राउरकेला इस्पात कारखाना . .	3230	1513
3.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना . . .	1615	751
4.	बोकारो इस्पात लिमिटेड . . .	1755	987

(ख) वर्ष 1976-77 में तथा अप्रैल-सितम्बर, 1977 की अवधि में इस्पात का देशवार निर्यात विवरण-ii और iii में दिखाया गया है।

वर्ष 1976-77 में और अप्रैल-सितम्बर, 1977 में किये गये निर्यात का कुल मूल्य क्रमशः 260.51 करोड़ रुपये और 101 करोड़ रुपये थे देशवार किये गये निर्यात का मूल्य बताना वाणिज्यिक हित में न होगा।

(ग) अनुमान है कि वर्ष 1976-77 में और अप्रैल-सितम्बर, 1977 की अवधि में इस्पात की आन्तरिक खपत क्रमशः 6.133 मिलियन टन और 3.493 मिलियन टन थी। इस के मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1074/77

इस्पात संयंत्रों के भावी विकास सम्बन्धी कार्यकारी ग्रुप का प्रतिवेदन

669. श्री डी० डी० देसाई : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा इस्पात संयंत्रों के भावी विकास के सम्बन्ध में स्थायी कार्यकारी ग्रुप ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या कार्यकारी दल ने निर्यात पर आधारित इस्पात संबंधी उनके विचार का समर्थन किया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क), (ख) और (ग) संभवतः अभिप्राय इस्पात उद्योग के विस्तार के बारे में सेल द्वारा गठित किए गए अध्ययन दल से है।

अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसकी सिफारिशें संलग्न अनुलग्नक में दी गई हैं।

अध्ययन दल की विभिन्न बैठकों के दौरान हुए विचार विमर्श में निर्यात पर आधारित एक इस्पात कारखाने की स्थापना की संभावना पर भी विचार किया गया था।

इस्पात कारखानों के भावी विस्तार के बारे में अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों का सारांश

1. इस्पात उद्योग का विस्तार कृषि की राष्ट्रीय प्राथमिकता को आधार मानते हुए दोनों में सामन्जस्य स्थापित करके तथा अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्योग को महत्वपूर्ण अंग मानकर किया जाना चाहिए।

2. देशीय इस्पात की जरूरत को कृषि में यंत्रों के उपयोग, जल प्रबन्ध योजनाओं, सड़कों तथा रेलों के विकास, औद्योगिक आधार को बड़ा बनाकर, विद्युतीकरण योजनाओं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार पर बल दे कर बढ़ाना चाहिए।

3. यद्यपि इस्पात उद्योग के विस्तार का मुख्य उद्देश्य देशीय मांग को पूरा करना होना चाहिए तथापि घरेलू जरूरतें से फालतू इस्पात का निर्यात किया जाए। निर्यात प्रयत्नों में बल उन उत्पादों के निर्यात पर दिया जाना चाहिए जिससे अधिकतम मूल्य प्राप्त हो सकें।

4. विस्तार की विशेष बातों के बारे में रिपोर्ट में बताया गया है कि:--

(1) वर्तमान इस्पात कारखानों के विस्तार पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना चाहिए ।

(2) विस्तार के लिए सतत् आधार बनाने के लिए वर्तमान कारखानों का विस्तार तथा नये कारखानों की स्थापना साथ साथ की जानी चाहिए ।

(3) फिलहाल स्ट्रैटेजिक तथा लोजिस्टिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कारखानों का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए ।

(4) पहले से किये गये वायदों तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए नये इस्पात कारखानों की स्थापना तकनीकी-आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रख कर की जानी चाहिए ।

(5) लागत तथा अपव्यय को कम करने तथा क्वालिटी को सुधारने के मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कारखानों का जो पुराने हो गये हैं आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। कारखानों का विस्तार करने/उनके उत्पादन में विविधता लाने के लिए कारखानों का आधुनिकीकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे जनशक्ति में कमी न हो ।

(6) लघु इस्पात कारखानों का और विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है ।

5. नई प्रौद्योगिकी लागू करने के बारे में रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि यह माल के उपयोग की मितव्ययीता पर आधारित होनी चाहिए और रोजगार के अधिकाधिक अवसर उत्पन्न करने के राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

6. धन की व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट में आन्तरिक स्रोतों से धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और सुझाव किया गया है कि यदि बाहरी सहायता अपरिहार्य हो तो केवल राज्य स्तर पर ही सहायता ली जानी चाहिए।

7. रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि इस्पात कारखानों के विस्तार के प्रश्न पर कामगारों तथा कर्मचारियों से परामर्श किया जाना चाहिए ।

विवाह की आयु बढ़ाना

670. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) क्या सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम सम्बन्धी कोई नई योजाना बनाई है ,

(ख) क्या सरकार लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ाना चाहती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) भारत सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा कर ली है । इस समीक्षा के आधार पर भारत सरकार के दिनांक 29 जून, 1977 वाले परिवार कल्याण नीति वक्तव्य

को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इस वक्तव्य की प्रति पहले ही लोक सभा के पिछले सत्र में 16 जून, 1977 को पूछे गए प्रश्न सं० 688 के उत्तर में सभा पटल पर रखी जा चुकी है।

(ख) जी हां।

(ग) विवाह के लिए न्यूनतम आयु, पुरुषों के लिए अठारह से बढ़ाकर इक्कीस वर्ष और स्त्रियों के लिए पन्द्रह से बढ़ाकर सोलह वर्ष करने का विचार है। संसद के चालू सत्र में, इस प्रयोजन के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित किए जाने की सम्भावना है।

कोल्ड रोलिंग मिल कम्प्लैक्स, बोकारो का अमरीकी फर्मों को सौंपा जाना

671. **श्री एम० सत्यनारायण राव :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** मंत्री बोकारो इस्पात संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता सम्बन्धी दिनांक 23 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1629 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि बोकारो के कोल्ड रोलिंग मिल कम्प्लैक्स को पूरा करने का काम दो अमरीकी फर्मों को सौंपने के क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : बोकारो इस्पात कारखाने के कोल्ड रोलिंग मिल कम्पलैक्स के विस्तार का काम कुछेक भारतीय संगठनों नामत: मैकन, इंजीनियरिंग प्रौजेक्ट्स आफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० तथा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को सौंपा गया है जो रूपांकन तथा निर्माण का अधिक भाग स्वयं करेंगे अथवा अन्य भारतीय पार्टियों द्वारा करवायेंगे। मेकन तथा इंजीनियरिंग प्रौजेक्ट्स आफ इंडिया द्वारा क्रमश: पुनर्बेलन मिलों तथा प्रोसेसिंग लाइन्स के लिए अमरीका की मेसर्स वीन यूनाइटेड के साथ किये गये वर्तमान लाइसेंस करारों का भी उपयोग किया जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रीकल ड्राइवस कंट्रोलस के लिए सिस्टम डिजाइन के लिए भारत हैवी इल्लेक्ट्रीकल्स लि० जर्मन की मैसर्स सीमेन्स के साथ किये गये नो-हाऊ लाइसेंस करार का भी उपयोग करेगी। इसलिए कोल्ड रोलिंग मिल कम्पलैक्स के लिए ऊपर बताये गये प्रबन्ध को करने का मुख्य कारण भारतीय संगठनों द्वारा निम्नतम विदेशी सहायता से अधिकाधिक काम करवाना है। इससे देशी पार्टियों के लिए न केवल तकनीकी आधार पर विस्तार होगा अपितु इस्पात क्षेत्र में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के लिए भी अधिक आत्म-निर्भरता प्राप्त होगी। इसके साथ-साथ इस व्यवस्था से हम इस बात के लिए भी स्वतन्त्र होंगे कि हम कार्य के विशिष्ट क्षेत्र में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकेंगे।

लन्दन में भारतीय कर्मचारियों पर गोरों द्वारा हमला

672. **श्री रामानन्द तिवारी**
श्री एस० जी० मुरूगय्यन } : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 24 सितम्बर, 1977 के "स्टेट्समेन" में प्रकाशित "वाइट अटैक इण्डियन स्टाफ़ इन लण्डन' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वहां रह रहे भारतीयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ब्रिटेन की सरकार के साथ यह मामला उठाया गया है ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :(क) जी हां। 22 सितम्बर, 1977 को शाम को 7.30 बजें किशोर उम्र के 8 लड़कों के एक दल ने दक्षिण लन्दन में भारत सरकार के जवाहर बाग फ्लैटों की जिनमें कनिष्ठ-स्तर के अधिकारी रहते हैं, शीशे की कुछ खिड़कियां पत्थर फेंक कर तोड़ डली थीं।

(ख) यह मामला स्थानीय पुलिस के साथ उठाया गया था जिसने इसका छातबीन की और आवश्यक सुरक्षात्मक प्रबन्ध भी किये। तदुपरान्त पुलिस प्राधिकारियों ने 8 श्वेत लडकों को गिरफ्तार किया जिन्होंने इस घटना का अपराध कबूल किया।

TAKE OVER OF DONGRI MINES IN BHANDARA DISTRICT BY GOVERNMENT

673. SHRI LAXMAN RAO MANKAR : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether Government have taken over the management of Dongri mines in the Bhandara District from the Coal Project Mining Organisation Company; and

(b) whether Government propose to absorb all the workers and employees of the Coal Project Mining Organization Company ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) Presumably the question refers to the Central Provinces Manganese Company Ltd. and not the Coal Project Mining Organisation Company. Under an agreement entered into betwen the Government of India and the Central Provinces Manganese Co. Ltd. (CPMO), Manganese Ore (India) Ltd. (MOIL) have taken over the immoveable and moveable properities of the CPMO at Dongri Buzurg Mines.

(b) All the employees in the direct employment of CPMO at Dongri Buzurg Mines, on the date of take over, were offered fresh appointments by Manganese ore (India) Ltd. and they have since joined MOIL.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) received by the Government of India for the treatment of Kala-Azar;

डाक-तार कर्मचारी संघ को नेशनल फेडरेशन को ज्ञापन

674. श्री एम० बी० मुरुगय्यन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर के प्रथम सप्ताह म उनके पटना के दौरे के समय उनको डाक-तार कर्मचारियों की नेशनल फैडरेशन की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें उनको कुछ कठिनाइयां कही गई थी, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) नेशनल फेडरशन आफ सी० एंड० टी० एम्पलाइज को बिहार सर्किल की "सम्नवय समिति" का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था।

(ख) समन्वय समिति मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है, इसलिये कोई कार्रवाई जरूरी नहीं थी।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी को स्टील अथारिटी आफ इंडिया के अधीन करना

675. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी को स्टील आथारिटी आफ इंडिया के अधीनस्थ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग को पुनर्गठन के बारे में हाल ही में कुछ निर्णय लिये हैं। इन निर्णयों में एक निर्णय यह है कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि० का समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए इस समय इस कंपनी के सरकार के पास जितने शेयर हैं वे स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० को अन्तरित कर दिए जाएं। इन शेयरों का अन्तरण होने से यह कंपनी सेल की एक सहायक कंपनी बन जाएगी। यह प्रस्ताव भी विचराधीन है कि सरकारी वित्तीय संस्थानों तथा अन्य पार्टियों के पास इस कंपनी के जो शेयर हैं वे प्राप्त कर लिए जाएं और उनको स्टील आथारटी आफ इंडिया लि० को अन्तरित कर दिए जाएं ताकि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि० भी सेल का एक प्रभाग बन जाए।

बोकारो इस्पात कम्प्लेक्स में कोल्ड रोलिंग मिल के लिये प्रौद्योगिकी के स्रोत में परिवर्तन

676. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर**
श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कम्प्लैक्स के कोल्ड रोल मिल के विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी का स्रोत बदलने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० से परामर्श किये बिना लिया गया है ;

(ग) क्या इस परिवर्तन से इसकी क्रियान्विति में विलम्ब होने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) अधिक मात्रा में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के हित में बोकारो इस्पात कारखाने के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली ठंडा बेलन मिल कम्पलैक्स का काम मेकन, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० (सेल) और भारी इंजीनियरी निगम जैसे भारतीय

संगठनों को सौंपने का फैसला किया गया था। आशा है कि परियोजना के ले-आउट तथा इस कम्पलैक्स के लिए आवश्यक उपकरणों के रूपांकन तथा निर्माण सम्बन्धी अधिक कार्य भी इन संगठनों तथा देश के सरकारी क्षेत्र के दूसरे कारखानों द्वारा ही किया जाएगा।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गोल मार्किट, नई दिल्ली के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालय

678. **श्री डी० जी० गवई :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल मार्किट, नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत चल रहे होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालयों को क्रियाशील औषधालय बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है और उपर्युक्त औषधालयों द्वारा क्रियाशील औषधालयों के रूप में किस तारीख से काम किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं। तथापि, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत वर्तमान आयुर्वेदिक और हौम्योपैथिक औषधालयों में से किसी एक औषधालय में प्रायोगिक आधार पर पूरे दिन की सेवा आरम्भ करने का विचार है।

(ख) अन्तिम निर्णय लेने के लिए कोई निश्चित तारीख इस समय नहीं दी जा सकती है।

परमाणु अस्त्रों के निर्माण के बारे में वक्तव्य

679. **श्री एफ० पी० गायकवाड :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने न्यूयार्क में यह वक्तव्य दिया था कि भारत कभी भी परमाणु अस्त्र नहीं बनाएगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है ; और

(ग) उक्त नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

(क) और (ख) 4 अक्तूबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो वक्तव्य दिया गया था उसमें भारत सरकार की इस स्थिर नीति को पुनः दुहराया गया था कि वह परमाणु-अस्त्र नहीं बनाएगी। इस वक्तव्य के इस विषय से संबद्ध अंश संलग्न है।

(ग) इस विषय में सरकार की नीति की प्रमुख बातें ये हैं : (क) भारत न केवल परमाणु अस्त्रों के फैलाव के विरुद्ध ही नहीं है बल्कि स्वयं परमाणु अस्त्रों के विरुद्ध है :

(ख) परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने के विषय को परमाणु प्रौद्योगिकी का विस्तार न करने के विषय से नहीं मिलाया जाना चाहिए ; (ग) भारत परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करने के अपने कार्यक्रम के प्रति निरन्तर प्रतिबद्ध है ; (घ) भारत ऐसी किसी भी कार्रवाई या उपाय का हमेशा विरोध करेगा जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के मार्ग में बाधक हो; और (ङ) भारत परमाणु शस्त्रों के खतरे को समाप्त करने के उपाय एवं साधनों के बारे में अन्य देशों के साथ विचार-विमर्श करने में जी-जान से सहयोग देने के लिए तैयार रहेगा ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** सं० एल० टी० 1075/77]

बेरोजगारी दूर करना

680. **श्री मनी राम बागड़ी**
श्री पद्माचरण सामन्तसिंहार : श्री क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 10 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी दूर करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) हरियाणा, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में बेरोजगार, कुशल और अकुशल श्रमिक तथा शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) अगले दस वर्षों में, ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए सरकार हर संभव प्रयत्न करने का विचार रखती है। अगली पंचवर्षीय योजना जो इस समय तैयार की जा रही है, में उच्च रोज़गार तत्व होने की संभावना है। ठोस नीतियों और कार्यक्रमों को योजना के अंश के रूप में तैयार करने का विचार है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, सिंचाई तथा कुटीर उद्योग खंडों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में अतिरिक्त रोज़गार के सृजित होने की संभावना है ।

(ग) उपलब्ध सूचना रोज़गार कार्यालयों के साथ पंजीकृत नौकरी चाहने वालों की संख्या से संबंधित है जो संलग्न विवरण में दी गई है।

17–11–1977 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के उत्तर के लिए भाग (ग) में निर्दिष्ट विवरण ।

5—875LSS/77

बिहार, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने* वालों की संख्या

राज्य	31–12–1976 को नौकरी चाहने वालों की संख्या			
	कुल	शिक्षित (योग में शामिल)	कुशल (योग में शामिल)	अकुशल (योग में शामिल)
1	2	3	4	5
बिहार	9,86,597	5,05,366	1,77,601	2,48,244
हरियाणा	2,42,470	1,37,970	11,791	73,430
राजस्थान	2,72,017	1,35,186	5,074	82,849
उत्तर प्रदेश	11,12,932	6,33,734	60,462	2,72,727

नोट:—*कालम (3), (4) और (5) में दिए गए आंकड़े अनिवार्यत: परस्पर रूप से अलग नहीं हैं ।

BRINGING BACK ASHES OF NETAJI

†681. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether talks are going on to bring the ashes of Netaji Subhash Chandra Bose to India from Japan; and

(b) if so, the time by which these ashes are likely to be brought to India ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) and (b) A "No-Day-Yet-Named" motion was moved by another Hon'ble Member of Parliament, Shri Samar Guha, on 3rd August 1977 in the Lok Sabha wh'ch, inter alia, raised the question of Government of India's acceptance of the reports of the Commission and the Committee which had previously been set up to enquire into all aspects surrounding the disappearance of Netaji Subhash Chandra Bose. The Debate on this Motion remained inconclusive in the last session of the Lok Sabha.

In view of the on-going consideration of the motion referred to above, any further deliberations on the subject will be premature at this stage.

कोटा में अस्पताल बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता

682. **श्री चतुर्भुज :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कोटा, राजस्थान में एक अस्पताल बनाने के लिए विशेष सहायता देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है । ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) कोटा में एक अस्पताल बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता देने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

SHIFTING OF TELEGRAPH OFFICE IN JUNAGARH

†683. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the date when the Telegraph Office, Junagarh in Gujarat, located at Azad Chowk in the Centre of the city, was shifted to a distant place and the reasons therefor; and

(b) if so, whether the Telegraph Office be shifted back to Azad Chowk at the old site ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) The telegraph branch of Junagarh combined office was shifted to new building on 15-11-1976. The shifting was necessitated due to shortage of accommodation in the Post Office building and no public space was available at the counter.

(b) Sir. The telegraph branch is not proposed to be shifted back to the old site.

किलर्स ग्रान प्रोल एण्ड दि विक्टिम्स ग्राफ नर्सेज शीर्षक से प्रकाशित समाचार

684. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अक्तूबर, 1977 के "दी वीकली सन" खण्ड 1 अंक 9 में "किलर्स ग्रान प्रोल एण्ड दि विक्टिम्स ग्राफ नर्सेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ग्रोर दिलाया गया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

स्वास्थ्य ग्रौर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी; हां ।

(ख) समाचार में दो घटनाग्रों की ग्रोर ध्यान ग्राकर्षित किया गया है जिनमें से एक ग्रखिल भारतीय ग्रायुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में हुई ग्रौर दूसरी जी० बी० पंत ग्रस्पताल में। जहां तक ग्रखिल भारतीय ग्रायुर्विज्ञान संस्थान का संबंध है इसमें कोई ऐसी घटना नहीं घटी ग्रौर इसलिए रिपोर्ट सही नहीं है।

जहां तक जी० बी० पंत ग्रस्पताल का सम्बन्ध है वहां 20-9-1977 की रात को ग्रस्पताल के ग्रापरेशन थियेटर नं० 2 में एक स्टाफ नर्स मरी हुई पाई गई। इसके परिणामस्वरूप इस बात पर नर्सों ने हड़ताल कर दी। दिल्ली प्रशासन के कार्यकारी पार्षद (चिकित्सा) ने दिल्ली नर्स संघ के प्रतिनिधियों की 20-9-1977 को बैठक बुलाई जिसके परिणामस्वरूप हड़ताल समाप्त हो गई। इस बैठक में किये गये विचार विमर्श ग्रौर नर्सों की शिकायतों पर दिल्ली प्रशासन के सचिव (चिकित्सा) द्वारा की गई जांच के फलस्वरूप निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(1) नर्सों को काल-ड्यूटी पद्धति को समाप्त कर दिया गया है।

(2) जी० बी० पंत ग्रस्पताल के उप नर्सिंग ग्रधीक्षक की बदली कर दी गई है।

(3) इस ग्रस्पताल के चिकित्सा ग्रधीक्षक द्वारा दिल्ली नर्स संघ के प्रतिनिधियों के साथ मासिक बैठकें की जा रहीं हैं। ऐसी एक बैठक ग्रक्तूबर, 1977 में पहले ही हो चुकी है।

(4) नर्सों के होस्टल में रहने वाली नर्सों ग्रौर ग्रस्पताल में ड्यूटी दे रही नर्सों के ग्रतिरिक्त उपाय बरते गये हैं।

कार्यकारी पार्षद (चिकित्सा) द्वारा बुलाई गई बैठक में नर्स संघ ने जो आरोप लगाये थे उनकी जांच दिल्ली प्रशासन के सचिव (चिकित्सा) ने की। जांच रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

इस्पात सम्बन्धी पुनर्वितरण नीति

685. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री इस्पात सम्बन्धी पुनर्वितरण नीति के बारे में 7 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2784 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने देश में इस्पात सम्बन्धी पुनर्वितरण नीति के अन्तर्गत ग्वालियर में एक प्रेषण एजेंसी खोलने की व्यवस्था कर ली है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) आरम्भ में हिन्दुस्तान स्टील लि० का ग्वालियर में एक प्रेषण अभिकरण खोलने का प्रस्ताव था। फिर भी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने स्टाकयार्ड चलाने के लिए भूमि तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने की पेशकश की थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान स्टील लि० ने एक विभागीय स्टाकयार्ड खोलने का निर्णय लिया था। स्टाकयार्ड 10 नवम्बर, 1977 से चालू हो गया है।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, पालघाट केरल के कर्मचारियों की मांगें

687. **श्री वयालार रवि :** क्या **संचार** मंत्री इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, पालघाट केरल के कर्मचारियों की मांगे पूरी करने के बारे में 16 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 658 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के कर्मचारियों की मांगों पर कोई निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के दूसरे एककों के कर्मचारियों से मजदूरी के ढांचे आदि में संशोधन की मांग प्राप्त होने के कारण यह मामला विचाराधीन है और आई० टी० आई० प्रबन्धक मण्डल ने हाल ही में कर्मचारी संघ के साथ बातचीत शुरु की है।

हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन केन्द्रों का विस्तार

688. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गग्गल, योल सिविल और शाहपुर टेलीफोन केन्द्रों तथा चम्बा जिले के चम्बा टेलीफोन केन्द्र के विस्तार की मांग है ; और

(ख) क्या सरकार इन टेलीफोन केन्द्रों का विस्तार करने का विचार कर रही है यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) और (ख) इन एक्सचेंजों में टेलीफोनों की मांग और उनके विस्तार के प्रस्तावों की स्थिति इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	एक्सचेंज का नाम	एक्सचेंज की वर्तमान क्षमता	चालू कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची	विस्तार कार्यक्रम
1.	गग्गल	25 लाइनें	14	1	फिलहाल विस्तार की जरूरत नहीं है।
2.	योल	10 लाइनें	9	—	जब कभी अतिरिक्त मांगें दर्ज कराई जाएंगी, एक्सचेंज का विस्तार करने की कार्रवाई की जाएगी।
3.	शाहपुर	30 लाइनें	26	3	50 लाइनों तक विस्तार करने का प्रस्ताव है।
4.	चम्बा	200 लाइनें	191	—	300 लाइनों तक विस्तार करने का प्रस्ताव है।

जैंसिहपुर, हिमाचल प्रदेश टेलीफोन केन्द्र में टेलीफोन के लिए विचाराधीन प्रार्थनापत्र

689. श्री दुर्गाचन्द : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जैंसिहपुर टेलीफोन केन्द्र में टेलीफोन के लिए कुछ प्रार्थनापत्र विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रार्थियों को कब तक टेलीफोन दे दिया जाएगा ; और

(ग) इस टेलीफोन केन्द्र की क्षमता क्या है और वहां इस समय कितनी टेलीफोन लाइनें काम कर रही हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी हां। सामान्य (गैर-ओ० वाई० टी०) श्रेणी में 3 अर्जियां बकाया पड़ी हैं।

(ख) अपेक्षित लाइन स्टोर की व्यवस्था की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र ही दे दिए जाएंगे।

(ग) एक्सचेंज की क्षमता 25 लाइनों की है। इस समय 11 टेलीफोन कनेक्शन काम कर रहे हैं।

APPOINTMENT OF LINE MAN IN TELEPHONE DEPARTMENT IN RAJASTHAN

†690. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether a person is required to work as a coolie or on any such other post for atleast one year before he is appointed as a lineman in telephone Department;

(b) whether some persons are appointed as lineman after serving for one year while some are not appointed after serving for many years, and if so, the reasons therefor; and

(c) whether corrupt practices were used in the appointment of lineman in Kota, Bharatpur, and Jaipur Divisions (Rajasthan) during the last three years ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) A person has to work as a mazdoor in a P&T construction or Maintenance party connected with over-head line works or cable laying, before he can be considered for appointment as a lineman.

(b) The eligible candidates have to pass a prescribed test; then only they are eligible for selection as linemen subject to the availability of vacancies.

(c) No.

DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE IN P&T DEPARTMENT

+691. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether there is any Departmental Promotion Committee to go into the cases of departmental promotion of employees serving in Telephone and Telegraph Department;

(b) whether the said Committee considers the cases of promotions evrey year;

(c) whether the said Committee of Rajasthan Division does not meet regularly, if so, the reasons therefor;

(d) the dates on which the said Committee met during the last three years and in case it did not meet the reasons therefor; and

(e) whether Government will ensure that the said Committee of Rajasthan Division meets regularly in future ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) Yes, Sir, there are a number of Departmental Promotion Committees for various cadres.

(b) Yes, Sir, generally the DPCs meet once a year or so subject to the availability of vacancies.

(c) The Committees of Rajasthan circle and Jaipur telephone district have been meeting regularly.

(d) Please see Annexures A & B. [Pleced in Library. *See* L.T. No. 1076/77]

(e) Yes.

डोम्बीवाली, जिला थाना, महाराष्ट्र से टेलीफोन शिकायतों के बारे में अभ्यावेदन

692. श्री आर० के० महालगी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सितम्बर अथवा अक्तूबर, 1977 के महीने में डोम्बीवाली, जिला थाना (महाराष्ट्र) से टेलीफोन अनियमितताओं के बारे में एक लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) और (ख) जी हां। टेलीफोन नं० 2231 के टेलीफोन उपभोक्ता मेसर्स बाम्बे पेपर्स, एम० आई० डी० सी०, डोम्बिवली ने 21-9-77 को एक लिखित अभ्यावेदन महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल, बम्बई के जनरल मैनेजर के पास भेजी थी, जिसमें उन्होंने उक्त टेलीफोन के कार्य संचालन के बारे में लिखा था। इस टेलीफोन की खराबियां दूर कर दी गई हैं और पार्टी को उसका उत्तर भी भेज दिया गया है।

उल्हासनगर टाऊन, जिला थाना, महाराष्ट्र के निवासियों से टेलीफोन संबंधी शिकायतें

693. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग गत दो वर्षों से उल्हासनगर टाऊन, जिला थाना, महाराष्ट्र के निवासियों से नगर के टेलीफोनों के बारे में विभिन्न प्रकार की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) उल्हासनगर एक्सचेंज के उपभोक्ताओं से बहुत सी शिकायतें मिली हैं। टेलीफोनों की खराबियां दूर करने के लिये तुरन्त कार्रवाई की गई थी। तथापि, उल्हासनगर के उपभोक्ताओं की मुख्य मांग यह है कि मौजूदा मैनुअल एक्सचेंज को बदल कर आटोमेटिक एक्सचेंज लगा दिया जाय और बम्बई के लिये उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा की व्यवस्था की जाय।

(ख) उल्हासनगर में आटोमेटिक एक्सचेंज के लिये एक नई इमारत के निर्माण हेतु जमीन प्राप्त करने के लिये स्थानीय राजस्व अधिकरियों के पास मांग भेज दी गई है। पता चला है कि डाक-तार विभाग के लिये पहले जो प्लाट नियत किया गया था, उस पर किसी का अनधिकृत रूप से कब्जा है। डाक-तार विभाग को एक उपयुक्त प्लाट अलाट करने के मामले में राज्य सरकार को एक बार फिर लिखा गया है।

थाना (महाराष्ट्र) के डाक-तार विभाग के कर्मचारियों की शिकायतें

694. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग के डिस्ट्रिक्ट और सर्किल प्राधिकारियों का ध्यान थाना (महाराष्ट्र) के श्रेणी III के डाक-तार कर्मचारी संघ द्वारा प्रकाशित जुलाई-अगस्त और सितम्बर, 1977 माह के मासिक प्रकाशनों की ओर दिलाया गया है जिनमें संघ ने विभिन्न शिकायतों और कठिनाइयों का उल्लेख किया है ;

(ख) यदि हां, तो संबंधित प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी हां।

(ख) इनमें उल्लिखित कुछ शिकायतें अखिल भारतीय मसलों से संबंधित हैं जिन्हें अखिल भारतीय यूनियनों ने पहले ही उठाया हुआ है। इनकी विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है। कुछ स्थानीय समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है और बाकी समस्याओं पर गौर किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में तांबे का संयंत्र

695. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई-जून 1975 में रूसी विशेषज्ञों ने सरकार को मध्य प्रदेश में तांबे के संयंत्र की स्थापना करने के संबंध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और

(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) सोवियत विशेषज्ञों ने मध्य प्रदेश की मालंजखंड ताम्र परियोजना के बारे में व्यापक परियोजना रिपोर्ट दो किश्तों में जनवरी, 1975 तथा जनवरी, 1976 में प्रस्तुत की थी।

(ख) रिपोर्ट की मुख्य बातें संलग्न ब्यौरे म दी गई हैं।

विवरण

सोवियत विशेषज्ञों द्वारा मालंजखण्ड ताम्र परियोजना पर तैयार व्यापक परियोजना रिपोर्ट की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :--

(1) इस परियोजना की लागत 91.90 करोड़ रुपए के लगभग होने की संभावना है ।

(2) यह देश में कठोर चट्टानों के बीच स्थित पहली बड़े आकार की खुली खान होगी । खुदाई पूरी तरह मशीनों से होगी और भारी मिट्टी हटाने वाले उपकरण लगेंगे ।

(3) खान को विकसित करने में शुरु में लगभग 16 महीने का समय लगेगा, उसके बाद वास्तविक खान निर्माण का काम शुरु होगा।

(4) निर्माण के प्रारंभ से चौथे वर्ष म लगभग 10 लाख टन वार्षिक अयस्क (15,200 टन धातु के बराबर) का उत्पादन होगा । यह खान निर्माण के प्रारंभ से छठवें वर्ष में बढ़कर 20 लाख टन (23,000 टन धातु के बराबर) हो जाएगा।

(5) खान के अलावा, 20 लाख टन अयस्क के वार्षिक शोधन के लिए एक साद्रण संयंत्र लगाया जाएगा । पहले चरण में साद्रण संयंत्र का निर्माण 10 लाख टन अयस्क के शोधन के लिए होगा जिसे बाद में बढ़ाकर 20 लाख टन अयस्क शोधन तक किया जाएगा ।

(6) सांद्रों को मालंजखंड से खेतड़ी प्रद्रावक भेजा जाएगा ।

(7) इस परियोजना के पूरी तरह चालू हो जाने पर लगभग 1860 लोगों को रोजगार मिलेगा ।

महाराष्ट्र में रत्नगिरी और कोलाबा में सार्वजनिक टेलीफोन और तार सुविधाएं

696. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के रत्नगिरी और कोलाबा जिलों में 5 हजार जनसंख्या के किसी भी गांव में सरकार की नीति के अनुसार सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा नहीं है ।

(ख) इन दो जिलों के पिछड़े और अगम्य गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्वीकृति के लिये सरकार का कौन से मानदण्ड अपनाने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रत्नगिरी के 1520 गांवों में से केवल 67 गांवों में टेलीफोन की और केवल 90 गांवों में तार की सुविधा उपलब्ध है ; और

(घ) क्या इन दोनों जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधाएं देने के लिये सरकार का विशेष प्रयत्न करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1977 और 1978 में कितने गांवों में ये सुविधाएं दी जाएंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेवसाय) : (क) कोलाबा जिले के चार गांव और रत्नगिरी जिले के छह ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी 5000 या इस से अधिक है लेकिन वहां अभी दूर संचार सुविधाएं नहीं दी गई हैं ।

(ख) सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार पिछड़े इलाकों के 2500 और इस से अधिक आबादी वाले गांवों में घाटा उठा कर भी उत्तरोत्तर दूर संचार सुविधाएं दी जाएंगी ।

(ग) रत्नागिरी जिले के 66 गांवों में टेलीफोन सुविधा और 80 गांवों में तार सुविधा दे दी गई है ।

(घ) देहाती इलाकों में उदारतापूर्वक टेलीफोन और तार सुविधाएं देने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ङ) वर्ष 1977-78 में कोलाबा जिले के 5 गांवों और रत्नागिरी जिले के छह गांवों में टेलीफोन और तार सुविधाएं दिए जाने की संभावना है ।

रत्नगिरी में अल्यूमिनियम परियोजना

697. श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रत्नगिरि में अल्यूमिनियम परियोजना के लिए कितने एकड़ भूमि अर्जित की गई है, उसकी लागत कितनी है और उसे कब अर्जित किया गया ;

(ख) अर्जित भूमि में से कितने एकड़ भूमि का प्रयोग वास्तव में परियोजना के लिए किया गया है और शेष भूमि को किस काम में लाया गया है ;

(ग) 3 वर्ष पूर्व रत्नगिरि परियोजना में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या थी और इस समय क्या है तथा यदि कर्मचारियों की संख्या घटायी गई है तो उसके क्या कारण ह ;

(घ) क्या रत्नगिरि परियोजना मंजूर किये जाने पूर्व कोल्हापुर जिले में "धनागार वाडी" और "उदगीर" में बाक्साइट खानों का भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ङ) क्या सितंबर, 1977 में बाक्साइड खानों का पुनः सर्वेक्षण किया गया था और यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) लगभग 1000 एकड़ । 20 लाख रुपये पेशगी दिए जा चुके हैं । लागत के बारे में अंतिम फैसला होना है । ये भूमि 1971 और 1977 के बीच अर्जित की गई ।

(ख) इस जमीन पर कुछ अस्थायी क्वार्टर बनाने के अलावा उसका परियोजना के और किसी काम में उपयोग नहीं किया गया है।

(ग) तीन साल पहले 15 और इस समय 10। स्टाफ में यह कमी इसलिए हुई क्योंकि कुछ कर्मचारी तो अस्थायी रूप से लगाए गए थे तथा एक अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर था, वापस भेज दिया गया।

(घ) जी हां।

(ड़) सितंबर, 1977 में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

कालाजार के इलाज के लिये दवाइयों का न मिलना

698. **श्री अहमद हुसैन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में कालाजार के इलाज के लिये दवाई उपलब्ध नहीं है जिसके फलस्वरूप कालाजार पर काबू नहीं नहीं पाया जा रहा है ;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन से इस मामले में सहायता करने के लिये अनुरोध किया गया है ; और

(ग) क्या चीन ने, जिसने वहां इस रोग का उन्मूलन कर दिया बताते हैं, भारत से कालाजार का उन्मूलन करने में भारत की सहायता करने की पेशकश की है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी नहीं। ऐण्टिमनी कम्पाउण्ड्स, जो कि कालाजार के इलाज के लिए बहुत कारगर दवाइयां हैं, देश में बनाई जाती हैं और ये अब सन्तोषजनक रूप से उपलब्ध भी हैं। किन्तु हो सकता है कि कालाजार के लगभग 5 प्रतिशत रोगी ऐसे हों जिनपर इन एण्टिमनी कम्पाउण्ड्स का असर न होता हो और ऐसे रोगियों का इलाज पेन्टेमिडाइन से किया जाता है। यह दवाई देश में नहीं बनाई जाती है, इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से इसकी सप्लाई करने की दिशा में मदद करने के लिए अनुरोध किया गया है। यह दवाई आंशिक रूप में पहले ही मिल गई है।

(ग) इस मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

डाक और तार विभाग द्वारा खोले गये इंस्टेंट सर्विस काऊंटर (सेविंग्स बैंक)

699. **श्री अहमद हुसैन : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघर सेविंग्स बैंकों की सेवा में तेजी लाने के लिए देश में डाक और तार विभाग द्वारा अब तक कितने इंस्टेंट सर्विस काऊंटर (सेविंग्स बैंक) खोले गये हैं ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने इंस्टेंट सर्विस काऊंटर खोलने का प्रस्ताव है तथा आसाम में कितने काऊंटर खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या सरकार आसाम में ग्रामीण डाकघरों में भी इंस्टेंट सर्विस काऊंटरों की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) अप्रैल, 1977 तक उन सभी मुख्य डाकघरों और हायर सेलेक्शन ग्रेड तथा लोअर सेलेक्शन ग्रेड उप डाकघरों में, जहां केवल बचत बैंक के लिए एक काउंटर क्लर्क है, तत्काल काउंटर सेवा दे दी गई हैं।

(ख) मई, 1977 से उन सभी लोअर सेलेक्शन ग्रेड उप-डाकघरों में इस सेवा का विस्तार कर दिया गया है। जहां तीन या तीन से अधिक कर्मचारी हैं। असम राज्य में यह सेवा 13 मुख्य डाकघरों और 58 उप-डाकघरों में उपलब्ध है। इस राज्य में 1977-78 के दौरान 5 और उप-डाकघरों में यह सेवा देने का प्रस्ताव है।

(ग) राज्य के ग्रामीण इलाकों के 26 डाकघरों में यह सेवा पहले से ही उपलब्ध है और 1977-78 में 2 अन्य डाकघरों में इसका विस्तार कर दिया जाएगा।

सोवियत संघ द्वारा 25 करोड़ रूबल का ऋण

700. श्री डी० अमात : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ द्वारा दिये गए 25 करोड़ रूबल ऋण का उपयोग विशाखापटनम में निर्यातोन्मुख "ब्लास्ट फर्नेस काम्पलैक्स" की स्थापना करने के लिये करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) "लौह धातुकार्मिक उद्योग का विकास" सामान्यतः उन अन्य प्रायोजनाओं में एक है जिनका विकास 25 करोड़ रूबल के ऋण के अन्तर्गत किया जायेगा। इस ऋण का उपयोग करने के लिए धातुकार्मिक उद्योग में विशिष्ठ प्रायोजनाओं का पता लगाना होगा; उन्हें तैयार करना होगा और उनके लिए बातचीत करनी होगी। इस बारे में किसी बन्दरगाह की सुविधा वाले नगर में निर्यातोन्मुख धमन भट्टी लगाने के बारे में सोवियत रूस से उस तकनीकी प्रतिनिधि मण्डल से बातचीत की गई थी जिसने अगस्त-सितम्बर, 1977 में हमारे देश का दौरा किया था। इस्पात और खान सचिव ने भी जो हाल ही में सोवियत रूस के दौरे पर गए थे, इस प्रकार के प्रस्ताव पर मुख्य रूप से सोवियत रूस की प्रतिक्रिया जानने के लिए, सोवियत अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की थी। सोवियत सरकार का उत्तर प्राप्त होने पर आगे विवरण और प्रस्ताव तैयार किए जायेंगे। इस समय अन्तिम निष्कर्ष के बारे में बताना समय पूर्व होगा।

दुग्डा कोयला धोने के कारखाने में श्रमिकों की समस्यायें

701. श्री ए० के० राय : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्डा कोयला धोने के कारखाने में कोयले के वैगनों से कोयला उतारने के काम पर लगे श्रमिकों को स्थायी रूप से खपाये जाने के बारे में श्रमिकों की गंभीर समस्याएं और कठिनाईयां उनकी जानकारी में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो निर्धन श्रमिकों की इन गंभीर समस्याओं को हल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) सम्भवत: अभिप्राय हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की दुग्दा-2 कोयला शोधन शाला में रेल डिब्बों से श्रमिकों द्वारा कच्चा कोयला उतारने के लिए ठेका श्रमिक रखने और इस काम को विभाग द्वारा कराने के प्रश्न से है। यदि ऐसा है तो यह एक ऐसा मामला है जिसका फैसला कम्पनी के प्रबन्धकों को करना है और वे इस बारे में ऐसे मामलों में सरकार की समग्र नीति के अनुसार विचार कर रहे हैं।

औद्योगिक सम्बन्ध नीति पर सम्मेलन

702. **श्री राज केशर सिंह** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया, हैदराबाद ने अगस्त, 1977 के दूसरे सप्ताह में औद्योगिक सम्बन्ध नीति पर एक त्रिदिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया था ;

(ख) कार्मिक संघों संबंधी विधान, औद्योगिक विवादों संबंधी विधान, प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी, बोनस और उपदान और श्रमिकों के कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में चर्चा के फलस्वरूप की गई सिफारिशों और सुझाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों की रूप रेखा क्या है ;

(ग) उपर्युक्त सिफारिशें श्रम संबंधी व्यापक विधान का मसौदा तैयार करने में कहां तक सहायक सिद्ध हुई हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा नीतियां बनाते समय शैक्षणिक और व्यावसायिक संगठनों से प्राप्त सिफारिशों पर सम्यक ध्यान दिया जाता है।

HINDI TRANSLATION IN P&T

†703. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the posts from Hindi Translator to Hindi Director have been sanctioned only for the P&T Directorate, New Delhi;

(b) if so, reasons why posts of Hindi Translator and Hindi Officers have not been created for other P&T Circles in the country;

(c) whether Government propose to do so now; and

(d) if so, when will these posts be filled ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) A proposal is under consideration for the creation of posts of Hindi Translators and Hindi Officers for the P&T Circles.

PAY SCALES OF TRANSLATORS IN P&T DEPARTMENT

704. Shri SUKHENDRA SINGH
SHRI ARJUN SINGH BHADORIA } : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the pay scale of Hindi Translators in Post and Telegraph Department is Rs. 425—640 when the pay scale of Hindi Translator in other departments is Rs. 550—750;

(b) if so, reasons therefor;

(c) whether there are no avenues of promotions for Hindi Translators of Post and Telegraph Department; and

(d) if so, whether the department is doing something in this direction ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) For the first part—Yes.

For the second part—No.

(b) Does not arise

(c) & (d) Hindi Translators Grade II are eligible for promotion to Grade I on the basis of seniority-*cum*-fitness. Moreover there is a proposal to form a centralised cadre for all the posts connected with Hindi work in the Ministries/Departments of the Government of India and other offices. Hindi Translators of the Directorate when included in the proposed centralised cadre will be eligible for promotion along with others to the higher posts in that cadre.

DIPLOMATIC MISSION OF SHRI SIKANDER BAKHT

†705. SHRI BRIJ RAJ SINGH : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state the achievements of diplomatic mission of Shri Sikander Bakht, Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation who was sent to middle East countries as a special emmissary of the Prime Minister ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : Shri Sikander Bakht, Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation visited the United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Arab Republic of Egypt, and Algeria in September 1977 as a Special Emissary of the Prime Minister. The Minister, who is the first Janta Party Minister to visit these countries, explained the Government's policies to their leaders, emphasised the high priority which the Government of India give to strengthening bilateral relations, and also referred to the continuity and dynamism in India's foreign policy. In particular, he stressed that India stood by the UN Resolution on the Arab-Israeli conflict, insisted on vacation of the territory unlawfully occupied by Israel, and supported the legitimate rights of the palestinians.

The Minister further explored the immense possibilities for expansion in the economic relations between India and these countries. During the visit, agreement was reached to exchange delegations of experts to examine, in more precise terms, areas of cooperation. As another step towards strengthening mutual links, the Amirs of Qatar and Bahrain, and the Presidents of Egypt and Algeria, accepted invitations extended by our Prime Minister to visit India as soon as their programmes permitted.

कश्मीर

706. **श्री एम० कल्याण सुंदरम :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर के मुख्य मंत्री ने पाकिस्तान द्वारा राज्य के क्षेत्र पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न समस्या का अन्तिम रूप से निपटारा करने हेतु केन्द्रीय सरकार से शीघ्र कार्यवाही करने के लिये अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) जम्मू और काश्मीर के मुख्यमंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने जम्मू और काश्मीर राज्य में विस्थापित व्यक्तियों और विभाजित परिवारों की समस्या का उल्लेख किया है और कहा है कि इसका शीघ्र समाधान अपेक्षित है। यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

ISSUES RAISED IN UNITED NATIONS ASSEMBLY

†707. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the issues to which the attention of U.N. General Assembly was drawn by the Indian delegates during its recent session;

(b) whether stress was also laid on the importance of Hindi by the Indian delegation in the said General Assembly; and

(c) if so, the reaction thereto ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) A copy of the statement made in the General Debate of the U.N. General Assembly is placed in the Parliament Library.

(b) For the first time the Foreign Minister of India made his speech in the General Debate in Hindi.

(c) The significance of an important policy statement having been made in Hindi in the U.N. General Assembly by the Minister of External Affairs was widely recognised.

AMENDMENT TO EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS AND MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 1952

708. SHRI R. L. P. VERMA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether under Section 68(H), of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 advances cannot even be drawn in emergent situations by labourers from their Provident Fund Account except in the event of a lock out or closure of an industrial unit;

(b) whether relief cannot be given to the labourers by granting advances to them from the Provident Fund Account in a situation when the factory has not been formally closed or the workers have not been retrenched but they have not been receiving their wages for 3 to 4 months and are on the verge of starvation; and

(c) if so, by what time Government propose to amend Section 68(H) in order to give relief to the workers referred to in part (b) above and if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR & PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA) : (a) Para 68(H) of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 permits grant of advances only in the event of lock out or closure for more than 15 days for reasons other than strike and members being rendered unemployed without any compensation.

(b) Under such a situation no advance is admissible under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952.

(c) In view of the recommendations of the Estimates Committee made in its 116th Report, (Serial No. 55 in Appendix VIII Para 6.4), further liberalisation of the Employees' Provident Funds Scheme for non-refundable advances is not considered desirable.

UNEMPLOYED TECHNICAL AND NON-TECHNICAL PERSONS

709. SHRI R. L. P. VERMA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the number of unemployed persons both possessing technical and non-technical qualifications separately, registered with the Employment Exchanges in the country at the time of Smt. Indira Gandhi, Ex-Prime Minister came into power; and

(b) their number at the time she relinquished power ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) & (b) Available information relating to job-seekers on the

Live Register of Employment Exchanges classified by educational levels is placed below :

STATEMENT

Number of job-seekers on the Live Register of Employment Exchanges as on 31-12-1965 and 31-12-1976 Classified by Educational Levels

Sl. No.	Educational Levels	No. on Live Register as on 31-12-1965	No. on Live Register as on 31-12-1976
1	2	3	4
1.	Below Matric (including illiterates)	17,43,640	46,80,203
2.	Matriculares	5,80,265	28,28,585
3.	Persons who passed Higher Secondary (including Intermediates/Under-Graduates)	1,75,510	12,58,180
4.	Graduates (including Post-graduates)		
	Total	**86,058**	**10,20,364**
	(i) Arts	45,223	4,68,876
	(ii) Science .	20,424	2,65,876
	(iii) Commerce	12,424	1,46,459
	(iv) Engineering	3,426	18,385
	(v) Medicine	491	8,570
	(vi) Veterinary	— *	502
	(vii) Agriculture	— *	9,196
	(viii) Law .	— *	3,195
	(ix) Education .	— *	90,392
	(x) Others .	4,070 *	8,913
	Total	25,85,473	97,84,332(R)

Note : 1. The information is collected at half-yearly intervals ending June and December each year.

2. Excludes figures for Univers'ty Employment Information and Guidance Bureaux except for Delhi and Maharashtra.

3. All the job-seekers registered with the Employment Exchanges are not necessarily unemployed.

(R) Revised.

* Figures included in 'others'.

जन्म-दर घटाने के लिए उपाय

710. श्री एस० आर० दामाणी
श्री के० लकप्पा
श्री ओ० वी० अलगेशन
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया
: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जन्म-दर घटाने की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके कार्यन्वयन का क्या ब्यौरा है तथा इसमें तेजी लाने के लिए क्या नये कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक राज्यों में यह कार्यक्रम बहुत धीमी गति से चल रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) देश के कुछेक भागों में पहले जो जोर-जबरदस्ती की गई थी, उससे नसबन्दी आपरेशनों के खिलाफ व्यापक विरोध फैल गया था और इसलिए, 'लक्ष्य' शब्द को बदल कर उसके स्थान पर 'उपलब्धि के स्तर' शब्द कर दिए गए हैं। यह भी निर्णय किया गया था कि इस वर्ष नसबन्दी के लक्ष्यों पर बल नहीं दिया जाएगा । फिर भी, इस वर्ष नसबन्दी आपरेशनों के लिए उपलब्धि के निम्नलिखित स्तर निर्धारित किए गए हैं :—

स्वैच्छिक नसबन्दी	4,000,000
लूप -निवेशन	1,000,000
प्रचलित गर्भ निरोधक उपयोगकर्ता %	5,000,000

% मुख्य सैव्य गोलियों सहित

केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से आग्रह किया है कि वे छोटे परिवार के सिद्धान्त को बढ़ावा दें और यह प्रचार करें कि स्वीकारकर्ता अपनी इच्छानुसार कोई-सा भी मनभाता तरीका इस्तेमाल कर सकता है। सारे स्वीकारकर्ताओं को यह सुझाव दिया जाता है कि वे गर्भरोधन के सारे तरीकों में से, जिनमें स्वैच्छिक नसबन्दी भी शामिल है, कोई-सा भी तरीका चुन कर अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुझाव भी दिया गया है कि इन तरीकों के सम्बन्ध में सुझाये गये स्तरों की पूर्ण उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। अक्तूबर, 1977 में एक गहन परिवार कल्याण पखवाड़ा मनाया गया था । इसके अतिरिक्त सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस बात का सुनिश्चिय करायें कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत स्टाफ सामान्य रूप से गर्भरोधन के सभी तरीकों को तथा विशेष रूप से स्वैच्छिक नसबन्दी को बढ़ावा देने में कोई सुस्ती, ढील अथवा अविश्वास की भावना न दिखाएं।

(ग) लगभग सभी राज्यों में परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति अधिक संतोषजनक नहीं रही है।

(घ) वर्ष 1977-78 के पहले छः महीने का कार्य 1976-77 के पहले छः महीने के कार्य की तुलना में इस प्रकार था :—

	1977-78	1976-77
	(अप्रैल से सितम्बर तक)	
स्वैच्छिक नसबंदी*	346,255	3,770,931
लूप निवेशन	106,245	256,623
प्रचलित गर्भनिरोधक उपयोगकर्ता	2,641,495	3,241,435
मुख-सैव्य गोली के उपयोगकर्ता	58,360	49,769

*शब्द 'स्वैच्छिक" विशेषतया अप्रैल, 1977 से हो रहे कार्य पर लागू होता है।

जैसा कि प्रश्न के भाग (ख) में कहा गया है, देश के कुछेक भागों में जोर-जबरदस्ती के परिणामस्वरूप इस कार्यक्रम के विरुद्ध सामान्यतया तथा नसबन्दी के विरुद्ध विशेषतया व्यापक विरोध फैल गया है जिससे कार्यक्रम की प्रगति मन्द हो गई है।

श्रमिक असन्तोष के कारण काम के घण्टों की हानि

711. **श्री एस० आर० दामाणी**
श्री वयालार रवि
श्री के० लकप्पा
श्री पी० राजगोपाल नायडू
श्री कंवर लाल गुप्त
श्री पी० त्यागराजन
: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस के पुनः दिए जाने पर भी देश में व्यापक श्रमिक असन्तोष है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा गत छः मास में कितने काम के घंटों की हानि हुई और उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ;

(ग) इस असन्तोष के क्या कारण हैं ;

(घ) औद्योगिक शान्ति बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) सितम्बर, 1977 के प्रथम सप्ताह में बोनस भुगतान (संशोधन) अध्यादेश द्वारा बोनस की बहाली किए जाने के पश्चात् औद्योगिक विवादों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों के संबंध में पूर्ण आंकड़ें अभी राज्य सरकारों से आने बाकी हैं। जब तक ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होंती, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है।

(घ) सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और केन्द्र व राज्य दोनों ही स्तरों पर औद्योगिक संबंध तंत्र की सहायता से देश में औद्योगिक वातावरण को सुधारने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार समझौते कराने के लिए, जहां कहीं आवश्यक होता है, विवादों में हस्तक्षेप करती रहती है।

विशाखापतनम में एक टन इस्पात की पूंजी लागत

712. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी के अनुमान के अनुसार विशाखापटनम इस्पात संयंत्र में उत्पादित एक टन इस्पात की लागत कितनी है ;

(ख) लागत का पता लगाने के लिए पूंजीगत परिव्यय की मुख्य मदें कौन सी हैं।

(ग) क्या यह सच है कि भिलाई, रूरकेला तथा बोकारो में इस्पात की लागत कम है; और

(घ) यदि हां तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

6—875LSS/77

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क), (ख), (ग) और (घ) मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा विशाखापटनम इस्पात प्रायोजना पर प्रस्तुत विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन के अनुसार "संयंत्र लागत" अनुमानतः 1,672 करोड़ रुपये आने का अनुमान है। संयंत्र लागत के अतिरिक्त पुर्जों, आरम्भिक कार्यों, निर्माण सुविधाओं, प्रशिक्षण, स्टार्ट-अप, बस्ती, निर्माण के दौरान दीर्घकालीन कर्जे पर ब्याज, आदि पर अतिरिक्त खर्च होगा। इस अतिरिक्त पूंजीनिवेश को मिलाकर संयंत्र लागत की स्थिर पूंजी निवेश 1,926 करोड़ रुपये हो जाएगी। इस आधार पर इस संयंत्र में एक टन इस्पात की उत्पादन की पूंजीगत लागत 6,420 रुपये बैठेगी।

प्रति टन पूंजीगत उत्पादन लागत के एक कारखाने के आंकड़ों की तुलना दूसरे कारखाने के आंकड़ों से नहीं की जा सकती क्योंकि पूंजी-निवेशों की अवधि भिन्न-भिन्न होती है और खानों, कोयला खानों, कोयला शोधन शालाओं, विद्युत संयंत्र, अन्य सहायक सुविधाओं, फिनिशिंग मिलों की आधुनिकता तथा सूक्ष्मता की सीमा, बस्तियों, माल-प्राप्ति के स्त्रोतों आदि पर पूंजी-निवेश में अन्तर होता है। फिर भी, भिलाई, राउरकेला और बोकारो इस्पात कारखानों की ग्रोस ब्लाक की स्थिति नीचे दी गई है :--

	ग्रोस ब्लाक (करोड़ रुपये)	प्रति टन पिण्ड क्षमता का ब्लाक (रुपये प्रति टन)
भिलाई इस्पात कारखाना : 1 मि० टन (58–59)	201.1	2,011
राउरकेला इस्पात कारखाना : 1 मि० टन (58-59)	235.0	2,350
बोकारो इस्पात कारखाना :		
4 मि० टन (अनुमानित)	2,053.30	5,133
4.75 मि० टन (अनुमानित)	2,173.30	4,575

आनन्द मार्ग द्वारा प्रधान मंत्री को धमकी

713. श्री एस० एस० सोमानी
श्री सी० के० जाफर शरीफ
श्री ईश्वर चौधरी
श्री के० मालन्ना
श्री नवाब सिंह चौहान

: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रधान मंत्री को प्रेषित एक सन्देश 8-10-77 को लन्दन स्थित इण्डिया टूरिस्ट कार्यालय में फेंका गया था जिसमें यह धमकी दी गई है कि आनन्द मार्ग के मुखिया

श्री पी० आर० सरकार की रिहाई कराने के लिए राजनीतिक हत्या करने का आन्दोलन चलाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि टूरिस्ट कार्यालय की इमारत को भी क्षति पहुंची थी ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारतीय पर्यटक कार्यालय की सामने की शीशे की खिड़की तोड़ दी गई थी । टूटे हुए शीशे के टुकड़े कार्यालय के फर्श पर बिखर गये थे ।

(घ) सरकार का इस बात पर तथा अन्य इसी प्रकार की घटनाओं पर चिन्तित होना स्वाभाविक है जिनके फलस्वरूप सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा है और व्यक्तियों पर हिंसा हुई है । हमारे अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस मामले को सुनिश्चित स्तर पर उठाया गया है ।

ASSAULTS ON THE OFFICERS OF THE INDIAN HIGH COMMISSION AUSTRALIA

+714. SHRI S. S. SOMANI
SHRI SUSHIL KUMAR DHARA
DR. HENRY AUSTIN
SHRI K. LAKKAPPA
SHRI D. B. CHANDRA GOWDA
SHRI YADVENDRA DUTT

: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether any protest has been lodged by the Government of India with the Government of Australia against the alleged assault on the officers of Indian High Commission and Air India Office;

(b) the facts of these cases;

(c) whether Government of Australia have conducted any enquiry into these incidents;

(d) if so, the results thereof; and

(e) the steps taken to protect Indian Officials there ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) Since the Government of Australia had expressed their regret at the attack on the life of the Indian Military Attache in Canberra, there was no need to lodge a protect. In the case of Air India, the employee, who was stabbed, is of Australian nationality. No other case of assault has occurred.

(b) The Military Attache was stabbed while asleep in his house in Canberra on 14th September, 1977 by an intruder who then forced him and his wife to drive out in a car. A few miles outside Canberra, the Military Attache and his wife successfully diverted the attention of the assailant and tried to overpower him but the assailant ran away. The Military Attache underwent emergency surgery and has by now fully recovered.

The Air India employee was stabbed on 19th October, 1977 in Sydney by an unknown person who pretended to deliever a parcel. The assailant escaped.

(c) The alleged assailant of the Military Attache was apprehended and is under trial. The Government of Australia are also conducting detailed investigation into the whole the series of incidents in order to establish the identity of the organization which was responsible for these criminal acts.

(d) The results of the investigation are not yet known.

(e) The Government of Australia have reinforced security measures for the protection of the personnel, and the property, of the High Commission of India, Canberra and the Consulate General of India, Sydney.

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री द्वारा ग्रेट ब्रिटेन का दौरा

715. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में ग्रेट ब्रिटेन का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो दौरा करने का क्या उद्देश्य था और वह वहां कितने दिन ठहरे ; और

(ग) क्या उक्त दौरे के परिणामस्वरूप भारत में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा की स्थापना करने तथा/अथवा उनके मंत्रालय के अन्तर्गत विभाग के किसी क्षेत्र में कोई ठोस लाभ हुए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :

(क) जी हां,

(ख) और (ग) भारत में बिट्रिश उच्चायुक्त के निमंत्रण पर मंत्री जी 3 से 5 सितम्बर, 1977 तक यू० के० गए। उस देश की अपनी यात्रा के दौरान मंत्री जी ने अन्य बातों के साथ-साथ ग्राम स्वास्थ्य योजना के लिए सहायता के बारे में ब्रिटिश सरकार से बातचीत की।

ब्रिटिश सरकार ने इस योजना को समझा और वह 106 मेडिकल कालेजों के लिए पूरे साज सामान वाले 318 मोबाइल क्लीनिक देने के लिए राजी हो गई। यह सहायता उपहार स्वरूप होगी और इसके अप्रैल-मई, 1978 तक प्राप्त हो जाने की आशा है।

इस सहायता में अगले पांच वर्षों में इन क्लीनिकों के लिए अपेक्षित फालतू कल पुर्जे भी शामिल हैं।

अहमदाबाद में टेलीफोनों के खराब रहने और बिलों में अधिक राशि लगाए जाने को रोकना

716. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अहमदाबाद में और उसके आस-पास के क्षेत्रों में अनेक टेलीफोन कनेक्शन संतोषजनक रूप में काम नहीं कर रहे हैं जैसा कि बातचीत के दौरान कोई और भी नम्बर मिल जाना, अचानक कनेक्शन कट जाना, नवम्बर न मिलना, लगातार गलत नम्बर मिलना, आदि ;

(ख) यदि हां, तो इस दुव्यर्वस्था को सही करने तथा सुधारने के लिए उठाए जा रहे आवश्यक उपचारात्मक कदम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि अहमदाबाद में बहुत से टेलीफोन उपभोक्ता बिलों में अधिक राशि लगाए जाने, जो उनकी गलती से या नाजायद रूप से वसूल की गयी है, के बारे में शिकायत कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सहाय) : (क) और (ख) मानसून के महीनों में केबुलों में दोषों की संख्या बढ़ गई थी जिनसे मिश्रित वार्ता (क्रोस टाक) गलत नंबर मिलने और लाइनें बंद हो जाने आदि की खराबियां पैदा हो गई थी। केबुलों के वे दोष दूर कर दिए गए ह और सितम्बर, 1977 से अब टेलीफोन प्रणाली का कार्यक्रम सामान्य हो गया है।

(ग) और (घ) कालों की संख्या बढ़ जाने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। फिर भी, पिछले 3 वर्षों में सितम्बर, में समाप्त होने वाले 9 महीनों के दौरान प्रतिमाह प्रति सौ उपभोक्ताओं के अधिक कालों के संबंध में जितनी शिकायतें प्राप्त हुई थी उनसे इस वर्ष सितम्बर 1977 को समाप्त होने वाले नौ महीनों के दौरान शिकायतों की संख्या कम है। अधिक कालों के संबंध में आने वाली शिकायतों का शीघ्र निपटारा करने के लिए टेलीफोन जिले के मुख्य लेखाधिकारी की सम्पूर्ण देखरेख में एक विशेष सेल का गठन किया गया है।

जी० बी० पन्त अस्पताल में एक नर्स की मृत्यु

717. श्री रामानन्द तिवारी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "टाइम्स आफ इण्डिया", दिनांक 23 सितम्बर, 1977 में "नर्स वाज किल्ड आफ्टर रेप इन जी० बी० पत हस्पताल, नई दिल्ली" शीर्ष के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जानी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फिर भी, दिल्ली प्रशासन के सचिव (चिकित्सा) ने पहले ही तथ्य अन्वेषण जांच कर ली है और जो अधिकारी अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में लापरवाह पाये गये उनके विरुद्ध कार्यवाही कर ली है।

हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण की खोज

718. श्री रामानन्द तिवारी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 7 सितम्बर, 1977 के "स्टेटसमैन" में "सर्च आफ गोल्ड इन हिमाचल" (हिमाचल में सोने की खोज) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वर्ण निक्षेपों की खोज के लिए क्या कदम उठाये गये हैं।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्र में सोने के भंडारों के अलावा तांबा, जस्ता, एंटीमोनी, निकिल, कोबाल्ट, पारा और टिन के भंडारों का भी उल्लेख है। विलासपुर जिले के चामरविन, महासू जिले के चारगांव मंडी जिले के हुक्कल, धरमपुर और जौरी तथा सिरमूर जिले के कुछ भागों में छिटपुट मात्रा में

जलोढ़ सोना है। भारतीय भूसर्वेक्षण की 1977-78 फील्ड सीजन में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में खनिजों के अलावा बड़ा शिगड़ी गलेशियर के आसपास, लाहौल-स्पिति जिले में एंटीमोनी सीसा-जस्ता की प्राप्ति के बारे में खोज कार्य करने का प्रस्ताव है लेकिन सोने की प्राप्ति के बारे में व्यापक खोज कार्य का कोई कार्यक्रम नहीं है क्योंकि वह बहुत ही कम मात्रा में है।

मूल्य सूचकांक का हिसाब लगाने के लिए स्थापित समिति का प्रतिवेदन

719. **श्री वसन्त साठे :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी परिवारों के लिए सूचकांक संकलन प्रक्रिया पर विचार करने हेतु सरकार द्वारा गठित समिति ने कार्य पूरा कर लिया है और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या ह ; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/की जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी नहीं। आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट इस वर्ष के अन्त में पहले प्रस्तुत कर देगी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कुष्ठ उन्मूलन और कोढ़ियों के पुनर्वास के लिए स्वयंसेवी संगठन

720. **श्री वसन्त साठे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुष्ट उन्मूलन तथा कोढ़ियों के पुनर्वास कार्य में रत स्वयंसेवी संगठनों की राज्यवर संख्या क्या है ;

(ख) चौथी और पांचवीं योजना के दौरान इन संगठनों की राज्यवार कितनी राशि का अनुमानित आबंटन किया गया था और उन संगठनों द्वारा वास्तव में कितनी राशि उपयोग में लाई गई ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ रोग विशेषतया 12 वर्ष से कम आयु के बालकों में बढ़ता जा रहा है और स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो देश में कुष्ट रोग के उन्मूलन और कोढ़ियों के पुनर्वास के लिए कौन कौन से प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है अथवा विचाराधीन है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) अपेक्षित सूचना की सूची संलग्न है।

(ख) एस० ई० टी० कार्य के लिये स्वैच्छिक संगठनों को अनुदानों का आबंटन राज्य वार नहीं किया जाता, अपितु सम्बन्धित संगठनों को अनुदान सीधे रिलीज कर दिया जाता है। जो अनुदान दिए गए हैं उनका आमतौर से पूरा उपयोग किया जा चुका है। चौथी योजना के दौरान कुल 11.85 लाख रुपये के और पांचवीं योजना के दौरान 1976-77 तक 33.65 लाख रुपये के अनुदान रिलीज किये गये।

(ग) भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता। तथापि, सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है जिसके अन्तर्गत इस रोग को नियन्त्रित करने के लिये गहन उपाय किये जा रहे हैं। रोगमुक्त कुष्ठ रोगियों को पुनः बसाने के लिये समाज कल्याण विभाग भी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देता है। वे अपनी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सहायता देने की योजना के अन्तर्गत शारीरिक रोग से विकलांग व्यक्तियों जिनमें रोगयुक्त कुष्ठ रोगी भी आते हैं, के कल्याणार्थ काम कर रही स्वैच्छिक संगठनों के आवेदन पत्रों पर भी विचार करते हैं।

विभिन्न राज्यों में कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिये कार्य कर रही स्वैच्छिक संगठनों की संख्या

राज्य का नाम	स्वच्छिक लंगठनों की संख्या
(1) आंध्र प्रदेश	6
(2) असम	2
(3) बिहार	14
(4) गुजरात	2
(5) केरल	3
(6) मध्य प्रदेश	1
(7) महाराष्ट्र	4
(8) तमिलनाडु	6
(9) उत्तर प्रदेश	2
(10) पश्चिम बंगाल	1
	41

जारी किये गये पासपोर्टों की संख्या

721. **श्री मोहम्मद शफी कुरेशी:** क्या **विदेश** मंत्री यह कि कृपा करेंगे कि :

(क) पासपोर्ट देने सम्बन्धी नई उदार नीति के लागू किये जाने के बाद कितने पासपोर्ट जारी किये गये हैं; और

(ख) पासपोर्टों के लिये कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और सितम्बर, 1977 तक कितने आवेदन पत्र विचाराधीन थे ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) भारत के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा, जिनकी संख्या 9 है, 1 अगस्त, 1977 से 31 अक्तूबर, 1977 के बीच जारी किये गये पासपोर्टों की कुल संख्या 2,51,110 है।

(ख) इन क्षेत्रीय पासपोर्ट के कार्यालयों में पासपोर्ट के लिए प्राप्त 1 जनवरी, 1977 से 30 सितम्बर, 1977 के बीच कुल मिलाकर 7,61,133 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट के लिए विचराधीन आवेदनों की संख्या 1 अक्तूबर, 1977 को 3,02,008 थी।

हावड़ा जिला टी० बी० एसोसिएशन द्वारा चलाये जा रहे चेस्ट क्लीनिक को क्षय रोग के लिए दवाइयां दिया जाना

722. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन मास से हावड़ा जिला टी० बी० एसोसिएशन, हावड़ा (धर्मार्थ संस्थान) द्वारा चलाये जा रहे चेस्ट क्लिनीक को निःशुल्क क्षय रोग विरोधी दवाइयां नहीं दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सरकार इस क्लिनिक को दवाइयां सप्लाई करती रही है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

आस्ट्रेलिया में भारतीयों को धमकी

723. **डा० मुरली मनोहर जोशी**
श्री सी० के० जाफर शरीफ
श्री जी० एम० बनतवाला
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी
श्री सी० के० चन्द्रप्पन
श्री हुकम चन्द कछवाय
श्री डी० अमात

: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैनबरा स्थित भारतीय मिशन और सिडनी स्थित एयर इण्डिया के कार्यालय को आग से क्षति पहुंचायी गई है ;

(ख) क्या एक भारतीय राजनयिक पर हमला किया गया और उसका अपहरण करने का प्रयत्न किया गया ;

(ग) क्या सरकार ने इन घटनाओं की जांच की है और इनमें सरकार को कितनी हानि हुई ; और

(घ) क्या तोड़फोड़ और हिंसा की इस कार्यवाही के पीछे किन्हीं तत्वों का हाथ था और इनका उद्देश्य राजनीतिक रियायतें प्राप्त करना और कुछ बन्दियों का छुड़ाना था और यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) केनबरा में भारत के हाई कमीशन की चांसरी को 29-8-77 को आंशिक क्षति पहुंचाई गई। सिडनी में एयर इण्डिया कार्यालय को ऐसी कोई क्षति नहीं पहुंची है।

(ख) जी हां ।

(ग) जी, हां। इसकी जांच पड़ताल की गई है तथा इस बात का मूल्यांकन किया जा रहा है कि आग लगने से कितनी संपत्ति की क्षति हुई है। घटना के बाद चांसरी का स्थानांतरण कर दिया गया है।

(घ) अपने-आप को "यूनिवर्सल प्राउटिस्ट रिवोल्यूशनरी फेडरेशन" कहने वाले एक संगठन का यह कहना है कि तोड़फोड़ तथा हिंसा की ये कार्यवाहियां उसने की हैं, इस संगठन ने अनेक गुमनाम पत्रों में आनन्द मार्ग के प्रमुख श्री पी० आर० सरकार की रिहाई की मांग की है।

सरकार इस बात के लिए कृतसंकल्प है कि वह कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी तथा हिंसा की कार्रवाई अथवा धमकी के आगे झुकेगी नहीं।

पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट

724. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों और पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट के गैर-शिक्षक वर्ग के लिए पुनरीक्षित वेतनमानों की सिफारिश की है,

(ख) क्या यह सच है कि पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट के शिक्षकों और अनुसंधान कर्ताओं ने पुनरीक्षित वेतनमानों के लागू न करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रति विरोधस्वरूप सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिये हैं, और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में जो गत दो वर्षों से लम्बित पड़ा है, और जिसके कारण शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं में असंतोष व्याप्त है तथा जिसका नई भर्ती पर प्रभाव पड़ा है, कोई निर्णय लिया है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए तथा उन कालिजों के कर्मचारियों के लिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, संशोधित वेतनमानों की सिफारिश की है। चूंकि वल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुदान मिल रहा है, इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें इस संस्थान पर ज्यों की त्यों लागू नहीं होती हैं। फिर भी, भारत सरकार ने वल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट के गैर-शिक्षक कर्मचारियों को भी ये वेतनमान देना स्वीकार कर लिया है।

(ख) जी नहीं। फिर भी, इस संस्थान के शिक्षक वर्ग के कुछ सदस्यों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को लागू करने में देरी होने के विरोध में संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करके एक पत्र भेजा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी लिखा है कि इस पत्र को त्यागपत्र हेतु तीन महीने का नोटिस समझा जाए जो पहली सितम्बर, 1977 से प्रभावी हो।

(ग) वल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट के शिक्षक कर्मचारियों (मेडिकल) को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के संशोधित वेतनमान देने के लिए मई, 1976 में आदेश जारी किए गए थे। यह

निर्णय भी किया गया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के अनुरूप पदों के लिए निर्धारित संशोधित वेतनमान गैर-शिक्षक कर्मचारियों के मामले में भी स्वीकार किए जाएं तथापि, संस्थान के शिक्षक कर्मचारी यह मांग करते रहे हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान उनके मामले में भी लागू किए जाएं। इस बात पर एक ग्रुप द्वारा विचार किया गया था। जिसमें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, वल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि थे। इस ग्रुप ने यह सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को लागू करने से पहले यह वांछनीय होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय अपने नियमों के अनुसार संस्थान के सहायक निदेशक, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों के पदनामों को बदल कर प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर की संज्ञा देने पर विचार करें। अभी तक केवल 5 पदों के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय का निर्णय प्राप्त हुआ है और शेष पदों के बारे में उनके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

संयक्त कार्यकारी दलों की रिपोर्ट

726. **श्री सी० आर० महाटा**
श्री कंवर लाल गुप्त
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर
श्रीमती पार्वती कृष्णन
श्री यशवन्त बोरोले
श्री ओ० वी० अलगेशन
: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग और उसके विस्तार सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु हाल में गठित संयुक्त कार्यकारी दलों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन दलों की रिपोर्टों के सारांश अनुलग्नक 1 से 6 में दिए गए हैं। इस समय स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड तथा सरकार द्वारा इन रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 1077/77।]

रत्नगिरि में अल्यूमिनियम परियोजना

727. **श्री बापू साहिब परूलेकर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री द्वारा 10 अक्तूबर, 1977 को दिए गए इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार ने रत्नगिरि में एल्यूमिनियम परियोजना स्थापित करने का विचार लगभग त्याग दिया है या त्याग देने का इरादा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर महाराष्ट्र के लोगों के मन में भारी गलत फहमी पैदा हो गई है ;

(घ) क्या मुख्य मंत्री के वक्तव्य में कुछ सच्चाई या तथ्य है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार मामले को स्पष्ट करने और तदनुसार महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को सूचित करने का है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) रत्नगिरि एल्यूमिनियम परियोजना को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है।

VISIT OF EXTERNAL AFFAIRS MINISTER TO FOREIGN COUNTRIES

†SHRI M. A. HANNAN ALHAJ : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the countries visited by him during 1977; and

(b) the objects thereof and the extent to which these visits proved successful ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) & (b) The information is given in the attached statement.

[Placed in Library Sec. L.T. No. 1078/77]

FACILITIES TO WELFARE OFFICERS AT JEDDAH

†729. SHRI M. A. HANNAN ALHAJ : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Indian delegates and Welfare Officers from Indian States going to Haj are provided certain facilities at Jeddah Port and at Mecca, Medina; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) The State Governments do not depute any delegates or Welfare Officers to Saudi Arabia on the occasion of the Haj. The State Haj Committees, however, send Haj Volunteers to look after the pilgrims from their States under the guidance of the Embassy of India, Jeddah.

(b) The Haj Volunteers are not provided any special facilities by the Saudi Arabian authorities, except for the grant of "Free Movement Permits" which enable them, unlike ordinary pilgrims, to move freely between Jeddah, Mecca and Medina, in order to serve batches of pilgrims on arrival/departure at the Jeddah seaport or airport and during their extended stay in Mecca/Medina.

NUMBER OF EMBASSIES ABROAD

†730. SHRI M. A. HANNAN ALHAJ : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Indian Embassies abroad country-wise, where Ambassadors have not been appointed;

(b) the reasons therefore; and

(c) the time by which these vacancies will be filled up ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) One, in the People's Democratic Republic of Yeman (Aden).

(b) and (c) The former Ambassador at Aden relinquished charge of his post in August this year. His successor is likely to be appointed soon.

CRITERIA FOR POPULATION PROJECT IN DISTRICTS OF BIHAR

731. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the criteria fixed by Central Government for selecting districts under the second India Population Project;

(b) the names of the districts recommended by the Government of Bihar keeping in view the above criterion;

(c) whether Government propose to take any decision contrary to the above criterion as well as the recommendation made by the Government of Bihar;

(d) if not, when this scheme will be enforced in the above districts of Bihar ?

THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) The Central Government have fixed the following criteria for selection of States and districts for Second India Population Project :

(i) areas with high density of population;

(ii) areas having high percentage of economically weaker sections of the community;

(iii) areas with high mortality rate, accompanied by high infant and maternal mortality;

(iv) states/districts which have shown moderate performance in the past and where the potential for greater aceptance exists;

(v) districts which are representative of the whole State and where the success of the programme can set an example for the other districts within the State. In making the selection of the districts factors like geographical contiguity and administrative convenience have also been kept in view to facilitate the effective management and supervision of the programme.

(b) The Government of Bihar have recommended the districts of :

1. Saharsa
2. Purnea
3. Katihar and
4. Bhagalpur.

(c) No.

(d) This project has not been sanctioned yet. It is expected that it would commence in 1979-80.

भारतीय श्रम सम्मेलन में कार्मिक संघों का प्रतिनिधित्व तथा उसकी बैठक बुलाया जाना

732. **श्री शिवाजी पटनायक :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय श्रम सम्मेलन में कार्मिक संघों को प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या निर्णय है; और

(ग) भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठक कब बुलाई जायेगी।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय श्रम सम्मेलन संगठन के प्रश्न पर विचार करने के लिये 30 सदस्य वाली त्रिपक्षीय समिति का गठन किया था। सितम्बर, 1977 में हुई समिति की बैठक में सदस्यों ने

प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त किए। सरकार ने अभी तक इस प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठक बुलाने के लिये कोई भी तारीख निश्चित नहीं की है।

दिल्ली में सरसों के मिलावटी तेल का पकड़ा जाना

733. **श्री अहमद एम० पटेल**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 127 सरसों के मिलावटी तेल के टिन पकड़े गये हैं ;

(ख) टिनों पर कौनसा ट्रेडमार्क था ; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जायेगी।

इण्डिया एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड फैक्टरी, गोमिया (बिहार) के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

735. **श्री अहमद एम० पटेल**
श्री के० लकप्पा : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोमिया (बिहार) स्थित इण्डिया एक्सप्लोज़िव्स लिमिटेड, फैक्टरी के कर्मचारियों ने सितम्बर, 1977 में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) मामला वस्तुतः राज्य क्षेत्र में आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इंडियन एक्सप्लोज़िव्स लिमिटेड, गोमिया, बिहार ने नौकरी से निकाले गए कामकारों, कार्य दशाओं में सुधार आदि की अपनी मांगों के समर्थन में 20 सितम्बर, 1977 को हड़ताल की। यह हड़ताल राज्य औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र और राज्य के मुख्य मंत्री के हस्तक्षेप करने पर 26 अक्तूबर, 1977 को समाप्त कर दी गई।

PAYMENT OF BONUS BY GOVERNMENT ESTABLISHMENTS

736. SHRI UGRASEN
SHRI PRASANNBHAI MEHTA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the names of the Government establishments in respect of which decision has been taken to give bouns;

(b) the basis on which it has been decided not to give bonus to the Railways, Communications, A.I.R., Television and Transport Departments; and

(c) whether Government will consider to give bonus to the employces of C.S.I.R., I.C.A.R. and ESI Corporation ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) and (b) Section 32(iv) of the Payment of Bonus Act, 1965, excludes from its purview, employees employed by an establishment engaged in any industry carried on by or under the authority of any department of the Central Government or a State Government or a local authority.

(c) No proposal to extend the coverage of the Bonus Act is under the consideration of the Government.

INTRODUCTION OF RURAL HEALTH SCHEME IN M.P.

737. SHRI Y. P. SHASTRI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government have introduced a rural health scheme in many districts and Development Blocks in the country from 2nd October, 1977, the 108th Birthday of Mahatma Gandhi and if so, the names of the districts and Development Blocks in Madhya Pradesh where this scheme has been introduced; and

(b) whether this scheme is being introduced in all the Development Blocks of Reva, Sidhi, Shahdol, Satna, Bastar, Jhabua, Panna, Damoh, Mandla and Dhar the most backward districts of Madhya Pradesh and if so, whether Government will introduce this scheme in all the Development Blocks of the aforesaid districts this year because medical facilities in the remote villages of these districts are mostly negligible ?

THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Yes. A statement showing the names of districts and Primary Health Centres selected for implementation of the scheme is placed below.

(b) The Rural Health Scheme is being implemented in one Primary Health Centre of each of the districts of Reva, Sidhi, Shahdol, Satna, Bastar, Jhabua, Panna, Dāmoh, Mandla and Dhar for the present. There is no proposal to extend to all development blocks within this year itself.

STATEMENT

STATE : MADHYA PRADESH

S.No.	District	P.H.C.
1.	Balaghata	Baihar
2.	Betul	Jhallar (Bhainsdehi)
3.	Bastar	Tekapal
4.	Bhind	Raun
5.	Bilaspur	Takhatpur
6.	Chhatarpur	Satai
7.	Guna	Bhadora
8.	Datia	Unao
9.	Chhindwara	Jamal
10.	Dewas	Bagli
11.	` urg	Dhamda
12.	Hoshangabad	Babai
13.	Jhabua	Petlawad
14.	Mandla	Nainpur
15.	Mandsaur	Palsoda
16.	Morena	Karhal
17.	Narsingpur	Salichowka
18.	Khandwa (East Nimar)	Pandhana
19.	Barwani (West Nimar)	Sendhawa
20.	Raigarh	Lodam
21.	Raipur	Fingeshwar
22.	Rajnandgaon	Khairagarh
23.	Panna	Pawai

OPENING OF NEW POSTS AND TELEGRAPH OFFICES IN REWA AND SATNA DISTRICTS OF M.P.

†738. SHRI Y.P. SHASTRI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether a demand for opening of telegraph, telephone and post offices in several villages in Rewa and Satna, the most backward districts of Madhya Pradesh has been made;

(b) if so, the names of villages in which telephone and telegraph offices and Post Offices separately are proposed to be opened; and

(c) the time by which they will be provided ?

THE MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) Yes, Sir.

(b) (i) *Telephone and Telegraph facilities* : Telephone and telegraph facilities are proposed to be provided in the under mentioned villages of these two districts :—

SATNA DISTRICT :

1. Singhpur. 2. Bir Singhpur. 3. Jaso.

REWA DISTRICT :

1. Dabhaua 2. Dahigarhi 3. Chachai 4. Semaria 5. Gurh 6. Bida 7. Katkhari 8. Gouri 9, Tiuni. 10. Khaju Kalan.

(ii) proposals for opening of post offices in respect of the following villages are under examination.

REWA DISTRICT :

(1) Pipra Kurund (2) Gajari, (3) Khamaria Chauben, (4) Amilki (5) Hinauta (6) Ghopi.

SATNA DISTRICT :

(1) Jhingodar (2) Panna, (3) Kripalpur (4) Gudah (5) Majhgawan.

(iii) Opening of Post Offices in the following villages has since been approved :

(1) Amilkoni, (2) Barkhara, (3) Chitgarh, (4) Baigdah.

SATNA DISTRICT :
Nil.

(c) (i) Telephone and Telegraph facilities at all the places mentioned in (b)(i) above except Dabhaura, Dahigarhi and Samaria in Rewa district are likely to be opened in 1977-78 and at the remaining three places in 1978-79.

(ii) The Post Offices already approved and others found justified after examination are expected to be opened in 1977-78.

REGISTRATION FOR JOB CARRYING SALARY UPTO RS. 1,000 P.M.

739. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether the Department of Labour and Employment was directed since 1960 to register names of unemployed persons for employment carrying a salary of Rs. 500/- per month;

(b) whether the above direction has not so far been amended though the persons who were getting Rs. 500/- per month in 1960, are now receiving Rs. 1,000/- per month due to rise in prices and the recommendations of the Pay Commission; and

(c) if so, whether Government propose to change the limit upto 1,000/- ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) No, Sir. For registration with Employment Exchanges no salary limits are prescribed.

(b) and (c) Do not arise.

C.G.H.S. DISPENSARIES

740. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the number of C.G.H.S. dispensaries functioning at present along with the names of places where these are functioning and the dates from which these are functioning :

(b) the number of cards registered in each dispensary along with the number of doctors working there;

(c) whether Government propose to open four or five additional dispensaries in the trans-Yamuna colonies where very large number of Government employees are residing; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) and (b) A statement giving the requisite information is laid on the Table of the Sabha.

(c) and (d) The question of opening additional dispensaries in the trans-Yamuna colonies is under consideration.

[Placed in Library. *See* L.T. No. 1079/77]

MONTHLY AVERAGE OF ALL INDIA CONSUMER PRICE INDEX FOR INDUSTRIAL WORKERS

741. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the monthly as well as 12 monthly average figures in respect of the All India Consumer Price Index Numbers for industrial workers (base year 1960 = 100) during the last ten months; and

(b) the names of cities in which this price Index is compiled and the commodities which are taken into account for that purpose ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) and (b) The information is given in the three statements (I, II & III) attached.

[Placed in Library. *See* L.T. No. 1080/77]

देश में मलेरिया

742. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**
श्री रामजीलाल सुमन
श्री यशवन्त बोरोले : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अक्तूबर, 1977 'संडे स्टेंडर्ड' में 'मलेरिया कन्ट्रोल सैट-अप इज सिक' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष देश में मलेरिया का प्रकोप रहा; यदि हां, तो इस अचानक वृद्धि क्या कारण हैं;

(ग) देश में वर्ष 1977 के दौरान इस रोग के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने इस रोग से पीड़ित हुए; और

(घ) इसका मुकाबला करने के लिए किए गए निवारक उपाय क्या हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :

(क) जी हां।

(ख) यद्यपि पिछले 10 या उससे अधिक वर्षों से मलेरिया से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है तथापि इस वर्ष सितम्बर के महीने तक

उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर मलेरिया के पाजिटिव रोगियों की संख्या 30,21,864 है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ऐसे रोगियों की संख्या 30,98,666 थी। अतः इस वर्ष अब तक मलेरिया से पीड़ित हुए रोगियों की संख्या में लगभग 11 प्रतिशत की कमी हुई है। किन्तु हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, सिक्किलम केरल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी में मलेरिया से पीड़ित रोगियों की संख्या में हुई वृद्धि के बारे में बतलाया है जबकि अन्य राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में मलेरिया के रोगियों की संख्या में कमी बतलाई है।

(ग) सितम्बर, 1977 तक मलेरिया के 30,21,864 पाजिटिव रोगी बतलाए गए हैं और इनमें से 20 व्यक्तियों को मलेरिया के कारण ही मृत्यु होने की पुष्टि हुई है।

(घ) इस रोग पर नियन्त्रण पाने के लिए किए गए निरोधात्मक उपायों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मलेरिया के नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:--

1. पहली अप्रैल, 1977 से राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एक संशोधित कार्य योचना लागू की जा रही है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मलेरिया का उन्मूलन करना ही है जिसे वर्तमान से भी जारी रखने का विचार है।

2. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के मौजूदा यूनिटों को जिलों की भौगोलिक सीमाओं के अनुरूप पुर्नगिठत कर दिया गया है। जिला के कार्यक्रम के लिए जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मुख्य रूप से जिम्मेदार बनाया गया है।

3. अपेक्षित किस्म की कीटनाशी दवाइयां अधिक मात्रा में उपलब्ध स्रोतों के अन्तर्गत दी जा चुकी हैं/दी जा रही हैं।

4. ऐसे सभी देहाती क्षेत्रों में जहां एक हजार जनसंख्या के पीछे दो या दो से अधिक मलेरिया की घटनाएं हुई हैं, कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव किया गया है।

5. राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को मलेरिया रोधी औषधियां पर्याप्त मात्रा में दी गई ह। औषधि डिपो/औषधि वितरण केन्द्र/बुखार उपचार केन्द्र खोल दिए गए हैं। जहां से लोगों को मुफ्त मलेरिया-रोधी औषधियां असासानी से मिल सकती हैं। ऐसे कुछेक क्षेत्रों में जहां पर जीवियों पर क्लोरिक्विन प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुई है, वहां कुनीन जैसी अन्य मलेरिया-रोधी दवाइयां दी गई हैं।

6. शहरी मलेरिया क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लार्वा-रोधी कार्य बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पहले से ही 28 नगरों में कार्य चल रहा है और इनके अलावा 1977–78 के दौरान 38 और नगरों में भी इस योजना को आरम्भ कर दिया गया है।

7. रक्त लेपों के शीघ्र परीक्षण के लिए और पाजिटिव रोगियों का शीघ्र इलाज करने के लिए प्रयोगशाला सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है।

7—875LSS/77

8. फील्ड स्टाफ का सुपरवीजन तेज कर दिया गया है।

9. मलेरिया में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक अनुसन्धान करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

10. पी० फल्सीपरम के संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में गहन अभियान प्रारम्भ कर दिया गया है।

11. इस बीमारी के बारे में स्वास्थ्य-शिक्षा देने और इस पर काबू पाने के लिए पंचायतों, स्कूल-अध्यापकों, विद्यार्थियों, युवा संगठनों, चिकित्सकों आदि जैसे सार्वजनिक संगठनों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश के खनिज संसाधन

743. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में किन-किन खनिज संसाधनों का पता लगाया गया है; और

(ख) हिमाचल प्रदेश में छिपे सभी खनिज पदार्थों का सर्वेक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) हिमाचल प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान गौण खनिजों जैसे स्लेट, साधारण मिट्टी, रेत, कंकड़ और बिल्डिंग पत्थर के अलावा जैसे चट्टानी नमक, चूना पत्थर और बेराइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज निकाले गए।

(ख) हिमालय प्रदेश में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और राज्य उद्योग निदेशालय खनिजों के सर्वेक्षण और खोज का काम तेजी से कर रहा है। 1977–78 के फील्ड सीजन में भारतीय भू-सर्वेक्षण का शिमला जिले में सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, मण्डी जिले में खनिज मिट्टी, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी जिलों में स्लेट तथा लाहौल-स्पीति जिले के बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर के आस-पास एंटीमोनी––सीसा-जस्ता हेतु खोज कार्य करने का इरादा है।

सांविधिक त्रिपक्षीय निकायों का पुनर्गठन

744. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भविष्य निधि, न्यासी आदि जैसे सांविधिक त्रिपक्षीय निकायों का पुनर्गठन नहीं किया है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कांग्रेस सरकार ने इन समितियों का गठन राजनीतिक बातों के आधार पर किया था; और

(घ) इन राजनीतिक बातों को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) संबंधित पक्षों का व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक त्रिपक्षीय निकायों के पुनर्गठन का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मालिकों द्वारा उत्पीड़न बन्द करना

745. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के अनेक मालिकों ने आपात स्थिति के दौरान अपनाए जाने वाले उत्पीड़न को बन्द नहीं किया है; और

(ख) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के मालिकों द्वारा उत्पीड़न को बन्द करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने अपने अप्रैल 1977 के पत्र में, जो सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय नियोजक मन्त्रालयों/विभागों को भेजा गया कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए और उनसे अनुरोध किया कि वे उन कर्मचारियों को बहाल करायें जो आपात स्थिति की अवधि के दौरान अपने नियोजकों के अत्याचारों के कारण अपनी नौकरियां खो बैठे थे। राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों से प्राप्त हुए उत्तरों से यह पता चलता है कि ऐसे लगभग सभी कर्मचारियों को, जो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, भारत रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा नियमों के लागू किए जाने के कारण तथा प्रतिबन्धित संगठन के साथ साहचर्य के प्रति तत्कालीन सरकार के रवैये के कारण अपना रोजगार खो बैठे थे, सेवा में बहाल कर दिया गया है। बाद में यह सूचित किए जाने पर कि अभी भी कई कर्मचारियों को (विशेषकर निजी क्षेत्र में) सेवा में बहाल करना बाकी है, सरकार ने 4 नवम्बर, 1977 को राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय नियोजक संगठनों को फिर लिखा कि वे इस सम्बन्ध में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सम्बन्धित नियोजकों द्वारा शेष प्रभावित व्यक्तियों की बहाली सुनिश्चित करायें। केन्द्रीय श्रमिक संगठनों को भी यह सलाह दी गई है कि वे इस प्रकार के अनिर्णीत मामलों को सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ उठाएं।

उड़ीसा में स्पंज इस्पात संयंत्र की स्थापना

746. **श्री चित्त बसु** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में स्पंज इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने उक्त परियोजना में सहयोग की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सहयोग के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) मैसर्स इन्डस्ट्रीयल प्रोमोशन एण्ड इन्वैस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि०, (राज्य सरकार का उपक्रम) प्रतिवर्ष 300,000 टन स्पंज लोहे के उत्पादन की एक परियोजना को कार्यान्वित करने पर विचार कर रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए उनको 5–10–1977 को एक आशय-पत्र दिया गया था।

(ख) उपर्युक्त परियोजना के लिए टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा सहयोग के लिए की गई पेशकश का लाभ उठाने की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ठेके पर मजदूर

747. **श्री चित्त बसु** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न संगठित उद्योगों में इस समय कुल कितने मजदूर ठेके पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) देश में गैर संगठित उद्योगों में काम करने वाले ठेके के मजदूरों की अनुमानित संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार यह समझती है कि इस प्रणाली को समाप्त तथा विनियमित करने का विधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) और (ख) जब कि इस सम्बन्ध में पूर्ण और यथार्थ सूचना उपलब्ध नहीं है, मोटे तौर पर केन्द्रीय क्षेत्र के उद्योगों में ठेका श्रमिक के रूप में लगभग 10 लाख व्यक्ति नियोजित हैं।

(ग) और (घ) हालांकि सरकार का यह विचार नहीं है कि उक्त विधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ है, ठेका श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के कार्यकरण के सम्बन्ध में हुए अनुभव को मद्देनजर रखते हुए सरकार समय समय पर स्थिति की पुनरीक्षा करती है।

'औद्योगिक शान्ति' की घोषणा

748. **श्री चित्त बसु** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लगभग एक वर्ष के लिए 'औद्योगिक शान्ति' की घोषणा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो संगठित श्रमिक संघों की इस प्रस्ताव के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया क्या है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) मई, 1977 में आयोजित त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में केन्द्रीय श्रम मन्त्री ने कुछ समय तक औद्योगिक शान्ति

बनाए रखने की अपील की तथा सरकार औद्योगिक विवादों को निपटाने के तन्त्र और प्रक्रिया में परिवर्तन कर सके वे इस मामले को पुनः व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध कानून विषयक त्रिपक्षीय समिति में नियोजकों और कमचारियों के प्रतिनिधियों के ध्यान में लाएं और उन्होंने कहा कि यह अनिवार्य है कि सभी सम्बन्धित पक्षों को लगभग एक वर्ष की अवधि के लिए औद्योगिक शान्ति बनाए रखने के लिए सहमत होना चाहिए। सामान्यतः इस सुझाव का नियोजकों और कर्मचारियों दोनों द्वारा स्वागत किया गया था।

विदेशी डाक की चोरी

749. **श्री सौगत राय :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी डाक, विशषकर पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों के मामले में, की बड़े पमाने पर चोरी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो एसी चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद राय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मलेरिया उन्मलन औषधों के मूल्यों में वृद्धि

750. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य** और **परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया उन्मूलन औषधि के मूल्यों में हुई तीखी वृद्धि का देश में मलेरिया उन्मूलन पर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो मलेरिया के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) मलेरिया रोधी औषधियों के मूल्यों में वृद्धि होने से देश में मलेरिया के उन्मूलन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। डी०डी०टी०, बी० एच० सी० और मैलथियन जैसे कुछ कीटनाशकों के मूल्यों में वृद्धि होने से पिछले कुछ वर्षों के दौरान मलेरिया के नियंत्रण पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का एक विवरण संलग्न है।

लोक सभा में 17 नवम्बर, 1977 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 750 के ाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

मलेरिया के नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. पहली अप्रैल, 1977 से राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एक संशोधित कार्य योजना लागू की जा रही है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मलेरिया का उन्मूलन करना ही है जिसे वर्तमान में भी जारी रखने का विचार है।

2. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के मौजूदा यूनिटों को जिलों की भौगोलिक सीमाओं के अनुरूप पुनर्गठित कर दिया गया है। जिला के कार्यक्रम के लिए जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मुख्य रूप से जिम्मेदार बनाया गया है।

3. अपेक्षित किस्म की कीटनाशी दवाइयां अधिक मात्रा में उपलब्ध स्रोतों के अन्तर्गत दी जा चुकी हैं/दी जा रही हैं।

4. ऐसे सभी देहाती क्षेत्रों में जहां एक हजार जनसंख्या के पीछे दो या दो से अधिक मलेरिया की घटनाएं हुई हैं, कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव किया गया है।

5. राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को मलेरिया रोधी औषधियां पर्याप्त मात्रा में दी गई हैं। औषधि डिपो/औषधि वितरण केन्द्र/बुखार उपचार केन्द्र खोल दिए गए हैं; जहां से लोगों को मुफ्त मलेरिया-रोधी औषधियां आसानी से मिल सकती हैं। ऐसे कुछेक क्षेत्रों में जहां परजीवियों पर क्लोरोक्विन प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुई है, वहां कुनीन जैसी अन्य मलेरिया रोधी दवाइयां दी गई हैं।

6. शहरी मलेरिया क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लार्वा-रोधी कार्य बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पहले से ही 28 नगरों में कार्य चल रहा है और इनके अलावा 1977–78 के दौरान 38 और नगरों में भी इस योजना को आरम्भ कर दिया गया है।

7. रक्त लेपों के शीघ्र परीक्षण के लिए और पाजिटिव रोगियों का शीघ्र इलाज करने के लिए प्रयोगशाला सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है।

8. फील्ड स्टाफ का सुपरवीजन तेज कर दिया गया है।

9. मलेरिया में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक अनुसन्धान करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

10. पी० फाल्सीपरम के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में गहन अभियान प्रारम्भ कर दिया गया है।

11. इस बीमारी के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देने और इस पर काबू पाने के लिए पंचायतों, स्कूल-अध्यापकों, विद्यार्थियों, युवा संगठनों, चिकित्सकों आदि जैसे सार्वजनिक संगठनों का सहयोग करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा गठित मजदूर संघों के अध्ययन दलों का प्रतिवेदन

751. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा गठित मजदूर संघों के अध्ययन दलों ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ख) उक्त दलों द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन सिफारिशों पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) सम्भवतः अभिप्राय इस्पात उद्योग के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए सेल द्वारा गठित किए गए छः अध्ययन दलों से है जिनमें इस्पात कारखानों के प्रबन्धक तथा मजदूर संघों के प्रतिनिधि हैं। अध्ययन दलों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं।

(ख) रिपोर्टों के सारांश अनुलग्नक 1 से 6 में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखें गए। देखिए सं० एल० टी० 1081/77**]

(ग) इस समय स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड तथा सरकार द्वारा इन रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है।

श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ के अधिकारी के विरुद्ध कथित आरोप

752. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कुछ गम्भीर आरोपों की जांच कर रहा है;

(ख) ये आरोप किस प्रकार के हैं तथा अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

असंगठित कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करने के लिए त्रिपक्षीय बैठक

753. **श्री समर मुखर्जी**
श्री डी० डी० देसाई
श्री रामेश्वर पाटीदार
श्री सुभाष आहूजा
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत मई 1977 में असंगठित कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाने का आश्वासन दिया था ;

(ख) क्या सरकार ने यह बैठक बुलाई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क), (ख) और (ग) असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की समस्याओं पर 6-7 मई, 1977 को नई दिल्ली में हाल ही में हुए त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में विचार किया गया। सम्मेलन में आम राय यह थी कि इसमें अन्तर्ग्रस्त विभिन्न व्यापक विषयों को ध्यान में रखते हुए एक विशिष्ट सम्मेलन ग्रामीण श्रमिकों से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करने के लिए आयोजित किया जाना चाहिए। इसने यह भी निर्णय लिया कि विचार-विमर्श किए जाने वाले विषयों के स्वरूप तथा प्रस्तावित

सम्मेलन में भाग लेने वालों के बारे में राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों, श्रमिकों और नियोजकों के केन्द्रीय संगठनों आदि सहित सम्बन्धित पक्षों के परामर्श से निश्चय किया जाना चाहिए। इन से प्राप्त सुझावों की जांच की जा रही है और प्रस्तावित विशिष्ट सम्मेलन का शीघ्र आयोजन करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

केन्द्रीय उपक्रमों में 'शाप'/संयुक्त परिषदें

754. **श्री के० राममूर्ति : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी 134 केन्द्रीय विभागीय उपक्रमों/संस्थानों ने अपने एककों में शाप परिषदें/संयुक्त परिषदें गठित कर ली हैं जैसा कि श्रमिक भागीदार/संयुक्त समिति की योजना में सिफारिश की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उन केन्द्रीय उपक्रमों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं जिन्होंने ये परिषदें गठित की हैं; और

(ग) सभी सरकारी उपक्रमों में इस योजना को लागू करने के बारे में क्या उपाय किए गए हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) श्रम मन्त्रालय में अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लगभग सभी 545 पात्र एककों ने स्कीम को या तो लागू कर दिया है या लागू करने के लिए कार्यवाई आरम्भ कर दी है।

(ग) 6–7 मई, 1977 को हुई त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसरण में, प्रबन्ध और इक्वीटी में श्रमिकों की सहभागिता की स्कीम की व्यापक पुनरीक्षा करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया है।

गर्भ निरोधकों का आयात

755. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेली, झाग उत्पन्न करने वाली गोलियों, डायफ्राम और खाई जाने वाली गोलियों जैसे गर्भ निरोधकों का आयात किया जाता है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में किए गए आयात का मूल्य क्या है;

(ख) यदि नहीं; तो भारत में इन गर्भ निरोधकों के निर्माताओं के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) उनकी वार्षिक बिक्री का मूल्य क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जेली और झागदार गोलियों का उत्पादन अपने देश में ही किया जा रहा है और पिछले तीन वर्षों में इन वस्तुओं का कोई आयात नहीं किया गया है।

(ii) डायफ्रामों का उत्पादन देश में नहीं होता है। इनका आयात आवश्यकतानुसार किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पविार कल्याग विभाग ने इनका आयात नहीं किया है।

(iii) 1975–76 के दौरान जनसंख्या कार्यकलापों की संयुक्त राष्ट्र निधि के माध्यम से लगभग 14.36 लाख रुपये की गर्भ निरोधक गोलियां तथा लगभग 8.66 लाख रुपये का इन गोलियों के लिए कच्चा माल आयात किया गया। तत्पश्चात देश में ही मैसर्स आई० डी० पी० एल० तथा मैसर्स हैफकिन्स बायोफार्मास्यूटिकल्स, बम्बई द्वारा टिक्कियां बनाने की तकनीक का विकास किया गया तथा उपर्युक्त निधि की सहायता से 1976–77 के दौरान 6.54 लाख रुपये के मूल्य का कच्चा माल आयात किया गया।

(ख) इस समय निम्नलिखित कम्पनियां जेली और झागदार गोलियों के स्वीकृत बाण्ड तैयार कर रही हैं तथा मुख-सेव्य गर्भ निरोधक औषध से टिक्कियां बना रही हैं।

(i) जेली : मैसर्स एथनर लिमिटेड बम्बई।

(ii) झागदार गोलियां : मैसर्स स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता।

(iii) मुख-सेव्य गर्भ निरोधक औषध से टिक्कियां बनाना : मैसर्स आई० डी० पी० एल; नई दिल्ली (सरकारी उद्यम)।

मैसर्स हैफकिन बायोफार्मास्युटिकल्स, बम्बई।

(ग) वर्ष 1976–77 के दौरान राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों तथा अन्य संगठनों को निम्नलिखित कीमत की जेली, झागदार गोलियां, डायफ्राम तथा खाई जाने वाली गोलियों का स्टाक सप्लाई किया गया है:—

(i) जेली : 3.47 लाख रुपये।

(ii) झागदार गोलियां : 0.25 लाख रुपये

(iii) डायफ्राम : 0.01 लाख रुपये

(iv) खाई जाने वाली गोलियां : 8.67 लाख रुपये।

लद्दाख में गंधक और बोरक्स का भंडार

756. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख क्षेत्र में गन्धक और बोरक्स का कुल अनुमानित भंडार कितना है; और

(ख) क्या सरकार का इन भंडारों को शीघ्र खोज निकालने और वहां एक शोधन-शाला स्थापित करने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) लद्दाख जिले में सुहागा के 5,400 टन के भंडार होने का अनुमान है। इसके अलावा लगभग 1250 टन सुहागा प्रत्येक वर्ष जमीनी पपड़ी के रूप में जमा होता रहता है। पुगा घाटी में 8.65 से 25.45 प्रतिशत शुद्धता वाले लगभग 210,700 टन कच्चा गन्धक, होने का अनुमान है। इस क्षेत्र में शोधनशाला स्थापित करने या इन भंडारों की और अधिक खोज करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में रांगे के निक्षेप

757. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में भारी मात्रा में रांगे के निक्षेप पाये गए हैं ;

(ख) निक्षेपों की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ग) क्या निकट भविष्य में इन निक्षेपों के खनन का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित रांगा खानें सरकारी क्षेत्र में होंगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के कुछ भागों में कुछ किस्म के पैगमेटाइट के साथ टिन होने की पुष्टि हुई है । भंडारों का अनुमान लगाने के लिए भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण तथा मध्य प्रदेश सरकार के खनन और भूतत्व विभाग द्वारा व्यापक खोज का काम किया जा रहा है।

(ग) और (घ) इन भंडारों की खुदाई और दोहन के बारे में इस समय विचार करना जल्दबाजी होगी।

गैर सरकारी व्यापारियों द्वारा इस्पात की आपूर्ति के लिए दिए गये क्रयादेशों को टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित न किया जाना

758. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, गैर सरकारी व्यापारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के इस्पात उत्पादनों की आपूर्ति के लिए दिए गए क्रयादेशों को गत 5–6 वर्ष से पूरा नहीं कर रहे हैं यद्यपि उनके लिए प्रतिभूति की राशि जमा कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1–10–1977 को इन तीन एककों के पास कितनी राशि के क्रयादेश निलम्बित पड़े थे तथा सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए किए क्रयादेश अविलम्ब पूरे किए जायें क्या कदम उठाने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टेलीफोन विभाग के अधिकारियों को टेलीफोन कनेक्शन एक्सटेंशन देना

759. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन विभाग के किसी अधिकारी के निवास स्थान पर एक से अधिक टेलीफोन कनेक्शनों और एक्सटेंशनों के बारे में कोई सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो वह क्या है;

(ख) क्या उसके छुट्टी पर जाने, निलम्बित होने अथवा स्थानान्तरित किए जाने पर उस अधिकारी के निवास स्थान पर एक्सटेंशन या उसके बिना टेलीफोन रखने की अवधि निर्धारित करने के बारे में कोई आदेश दिया गया है और यदि हां, तो वह क्या है; और

(ग) क्या उन्हें पता है कि दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के बहुत से अधिकारियों के पास उनके निवास स्थानों पर एक से अधिक टेलीफोन कनेक्शन/एक्सटेंशन तथा अनेक टेलीफोन तार लगे हैं और यदि हां, तो क्या वह मामले की जांच कराएंगे और उन अधिकारियों के इन गलत तरीकों को रोकेंगे।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) आई० पी० टी० प्लान 101 के अन्तर्गत समानान्तर टेलीफोन दिया जाता है और कुछ शर्तों के अधीन अधिक से अधिक दो टेलीफोन समानान्तर जोड़े जा सकते हैं। आई० पी० टी० प्लान 102 के अन्तर्गत प्लग व साकेट व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है और अधिक से अधिक 4 साकेटों की अनुमति दी जाती है। आई० पी० टी० प्लान 103 के अन्तर्गत अतः संचार सुविधा के साथ आन्तरिक एक्सटेंशन दिए जाते हैं और अधिक से अधिक 2 एक्सटेंशनों की अनुमति दी जाती है। आई० पी० टी० प्लान 104 के अन्तर्गत संचार सुविधा के साथ बाहरी कनेक्शन दिए जाते हैं और केवल एक एक्सटेंशन की अनुमति दी जाती है। आई० पी० टी० प्लान 105 के अन्तर्गत अतः संचार सुविधा के बिना एक्सटेंशन दिया जाता है और केवल 1 एक्सटेंशन की अनुमति दी जाती है। ये सीमायें टेलीफोन विभाग के अधिकारी को दिए गए सरकारी कनेक्शन पर भी लागू होती हैं।

(ख) डाक तार विभाग के अधिकारियों के घरों में लगाए गए विभागीय टेलीफोन कनेक्शनों को निम्नलिखित मामलों में चालू रखने की अनुमति दी जाती है:—

(1) जब कोई अधिकारी छुट्टी पर जाता है और उसके उसी स्थान पर वापस आने की संभावना रहती है;

(2) जब कोई अधिकारी अस्थायी तबादले पर कोई स्थान छोड़ देता है; और

(3) जब किसी अधिकारी को प्रशिक्षण या किसी अन्य विभागीय कार्य के लिए किसी स्थान से दूर प्रतिनियुक्त किया जाता है।

यह सुविधा 6 महीने तक की अवधि के लिए दी जाती है।

(ग) इसकी जांच की जाती है और यदि डाक तार अधिकारियों के रिहायशी मकानों पर लगे विभागीय टेलीफोन कनेक्शनों पर मानक से इतर या अस्वीकृत सुविधाएं पाई जाती हैं तो उन्हें हटा दिया जाता है।

EXCHANGE OF TORN AND SOILED NOTES AT POST OFFICES

†760. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the Posts and Telegraphs Board is considering the question of exchanging the soiled and torn notes through the Post Offices; and

(b) if so, when a decision in this matter is likely to be taken ?

THE MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) and (b) Slightly soiled and slightly mutilated currency notes are being accepted by the post offices. There is no proposal for acceptance or exchange of torn currency notes by the post offices.

PAYMENT OF RS. 20,000 TO DURG CONGRESS COMMITTEE

761. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the Bhilai Steel Plant had paid a sum of Rs. 20,000 to the Durg Congress Committee for the eraction of dais etc. for a public meeting to be addressed by the then Prime Minister Smt. Indira Gandhi in March, 1977 and

(b) if so, whether the above sum has since been recovered and the basis on which such a huge amount was given to the Durg Congress Committee by the above Steel Plant and the action taken by the Government in this regard ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) and (b) It is not a fact that the Bhilai Steel Plant had paid at sum of Rs. 20,000 to Durg Congress Committee for arrangement of dais etc. for a public meeting to be addressed by the then Prime Minister Smt. Indira Gandhi in March, 1977. However, on a specific request from the Durg Administration, certain arrangements including raising of a rostrum railings, provisions of water tanker and the protection arrangements etc. were made in connection with the above public meeting of the then Prime Minister in March, 1977 in Bhilai. The above arrangements were made on the clear understanding that payments will be made.

Accordingly, a bill of Rs. 21,985 by way of charges for the above services was raised and sent to the District authorities for payment. The payment, has however not yet been made and the matter is being pursued by the Plant Management with the District authorities.

PROMOTION OF DRESSERS WORKING IN HOSPITALS AND CENTRAL HEALTH SERVICES CENTRES

762. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Central Government give promotion to the tenth class pass employees after they have put in five years service;

(b) whether it is a fact that dressers working in the hospitals and the Central Health Service Centres having the same qualifications have not been promoted to higher technical posts even after completing five years service; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No. Sir. There is no such rule.

(b) & (c) Promotion prospect of Dressers working in hospitals and Central Government Health Scheme dispensaries are dependent upon the availabiliy of posts in higher grades for which they may possess the requisite qualifications. Dressers who are permanent and have a minimum of 10 years service in that grade are eligible for appointment to the selection grade.

REQUIREMENT OF SPARE PARTS IN STEEL PLANTS

763. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether Government have appointed any team to ascertain the requirement of spare parts in the steel plants; and

(b) if so, the recommendations made by the team ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) and (b) No, Sir. However, Steel Authority of India Limited had appointed a Committee in April, 1973, to, inter alia, study the requirements of spares for the public sector steel plants. The Committee made the following recommendations to meet the requirements of spare parts :—

(i) Setting up of a Central Workshop for the manufacture of certain important, medium and heavy range of spares common to all steel plants.

(ii) Creation of additional facilities in the engineering shops of the steel plants.

(iii) Strong design and standardisation section attached to the Central Workshop.

Based on the above, a proposal for the setting up of a Central Workshop for the manufacture of medium heavy category of spare parts was formulated. However, in view of the large investment involved, and since capacity for the manufacture of spare parts already exists in the country, it has been decided not to pursue this proposal.

BLIND PERSONS IN INDIA

764. SHRI HUKAMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether according to the report of the World Health Organisation the largest number of blind persons are in India and the reasons for their blindness is stated to be their being barefooted; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH & FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No such report has come to the notice of the Government.

(b) Does not arise.

दिल्ली के इर्विन तथा पन्त अस्पतालों की नर्सों की हड़ताल

765. **श्री वयालार रवि :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के इर्विन तथा पंत अस्पतालों की नर्सों ने हाल ही में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) हड़ताल किन शर्तों पर वापिस ली गई थी और उन्हें दिए गए आश्वासनों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) गोविन्दबल्लभ पंत अस्पताल की एक स्टाफ नर्स 20-9-1977 की रात को आपरेशन थियेटर में मरी हुई पाई गई और नर्सिंग स्टाफ प्रारम्भिक जांचों से संतुष्ट नहीं था ।

(ग) कार्यकारी पार्षद चिकित्सा ने 23-9-77 को दिल्ली नर्स संघ क साथ बैठक की और उसके पश्चात ही हड़ताल समाप्त की गई थी । दिल्ली नर्स संघ के प्रतिनिधियों को दिये गये आश्वासनों के अनुसरण में दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित कार्यवाही की है :—

(1) नर्सों की काल ड्यूटी पद्धति को समाप्त किया गया है।

(2) जी० बी० पंत अस्पताल ने उप नर्सिग अधीक्षक की बदली कर दी गई है।

(3) इस अस्पताल से चिकित्सा अधीक्षक द्वारा दिल्ली संघ के प्रतिनिधियों के साथ मासिक बैठकें की जा रही हैं। ऐसी एक बैठक अक्तूबर, 1977 में पहले ही हो चुकी है ।

(4) नर्सों के होस्टल में रहने वाली नर्सों और अस्पताल में ड्यूटी दे रही नर्सों की सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय बरते गये हैं ।

डाक-तार बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन

766. **श्री वयालार रवि :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-तार विभाग की विभिन्न कर्मचारी एसोसियेशनों ने गैर-डाक-तार कैडर के व्यक्ति की डाक-तार बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) डाक-तार कर्मचारियों के दो महासंघों और तार इंजीनियरों के संघ ने डाक-तार बोर्ड के अध्यक्ष और संचार मंत्रालय के सचिव के रूप में गैर-डाक-तार पदाधिकारी के तैनाती के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है ।

संचार मंत्रालय के सचिव, महानिदेशक, डाक-तार और अध्यक्ष, डाक-तार बोर्ड भी हैं । निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सचिवों के पदों पर नियुक्तियां विभिन्न पदाधिकारियों, चाहे वे भारत सरकार में कार्य कर रहे हों, या राज्यों में, के दावों पर विचार कर की जाती है । संचार मंत्रालय के मौजूदा सचिव, महानिदेशक, डाक-तार तथा अध्यक्ष डाक-तार बोर्ड की नियुक्ति सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है ।

INDIANS GONE TO ARAB COUNTRIES FOR JOBS

767. SHRI DAULAT RAM SARAN : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the number of educated and uneducated Indians who have gone to each of the Arab countries in search of employment;

(b) whether Government are aware that five or six thousand rupees are being charged from uneducated persons for getting visa to send them to an Arab country for employment;

(c) whether a number of unauthorised offices have been set up in Delhi and Bombay for this purpose where receipts are issued under fictitous names;

(d) whether such persons go under ground after getting money;

(e) whether Government propose to make some arrangements for sending such job seeking persons abroad; and

(f) if so, the details thereto ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) Information regarding the number of educated and uneducated who have gone in search of employment to Arab countries is not available. The Ministry of Labour grants permission for deployment of Indian skilled, semi-skilled and unskilled workers for employment in Gulf countries through recruiting agents and Indian firms engaged in execution of projects on contract/sub-contract basis. The number of workers for whose deployment such permission has been issued is contained in the statements I & II attached.

[Placed in Library. *See* L. T. No. 1082/77]

(b), (c) & (d). Complaints have been received by the Government from time to time from various quarters about recruiting agents charging money, and about other malpractices.

(e) & (f). According to a policy decision taken by the Government in June, 1976, no firm, organisation or individual shall engage in the recruitment of skilled, semi-skilled and unskilled labour from India for deployment abroad unless registered and duly licensed for this purpose by the Ministry of Labour which has been designated as the Focal Point for this purpose. Foreign firms and organisations shall also not be allowed to make direct recruitment of skilled, semi-skilled and unskilled labour. However, they may appoint an Indian company/organisation registered with the Focal Point to act on their behalf for this purpose in accordance with the terms and conditions acceptable to the Focal Point. Indian firms/organisations engaged in consultancy/execution of work abroad will be allowed to directly recruit their genuine requirements of skilled, semi-skilled and unskilled workers for service abroad on the terms and conditions of employment to be approved by the Ministry of Labour.

उड़ीसा में खोले गये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और उप-डाकघर

769. **श्री बैरागी जेना :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च से अक्तूबर 1977 के दौरान उड़ीसा के बालासोर जिले में खोले गये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों उप-डाकघरों और शाखा डाकघरों की संख्या क्या ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : मार्च से अक्तूबर, 1977 की अवधि के दौरान उड़ीसा के बालसोर जिले में दो सार्वजनिक टैलीफोन घर और तीन विभागेतर शाखा डाकघर खोले गये हैं। इस अवधि के दौरान इस जिले में फिलहाल कोई उप डाकघर नहीं खोला गया।

हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड में हड़ताल

771. **श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के कर्मचारियों ने सितम्बर, 1977 में हड़ताल की; और

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के क्या कारण थे तथा उससे उत्पादन में कुल कितनी हानि हुई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) बोकारो में हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के कर्मचारियों ने 27 अगस्त, 1977 से लेकर 10 सितम्बर, 1977 तक हड़ताल की थी।

(ख) हड़ताल के मुख्य कारण कर्मचारियों की निम्नलिखित मांगें थीं :—

(1) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के कर्मचारियों के लिये भी वेतन का ढांचा इस्पात उद्योग के वेतन के ढांचें के नमूने पर होना चाहिये ;

(2) 27 अगस्त, 1977 को बोकारो में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए ;

(3) जिस दंडनायक ने गोली चलाने का हुक्म दिया था उसे निलम्बित किया जाए।

(4) बोकारो से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को हटाया जाए ; और

(5) गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों को रिहा किया जाए।

उपरोक्त हड़ताल के कारण हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन के आवर्त में कुल हानि 38 लाख रुपये हुई थी।

MANUFACTURE OF SPURIOUS QUININE TABLETS

772. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item published in 'Nav Bharat Times', dated the 5th October, 1977 under the caption 'Kunain ki goliyan Khariya mitti ki" (Quinine tablets manufactured from chalk); and

(b) if so, the action taken against the firms manufacturing spurious drugs ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Yes.

(b) A case has been registered with Delhi Police.

SETTING UP OF STEEL PLANT WITH THE ASSISTANCE OF RUSSIA

774. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether a steel plant is going to be set up in India in collaboration with Soviet Union in near future as reported in the "Nav Bharat Times" dated 21st September, 1977 under the caption "Roos ke Sahyog Se ispat ka Karkhana" (a steel plant in collaboration with Soviet Union); and

(b) if so, the extent of cooperation to be extended by Soviet Union in this steel plant and the terms and conditions in this regard and the time by which this plant will go into production ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) and (b) The setting up of an export oriented blast furnace complex in one of the port towns was mentioned to the Soviet technical delegation that visited our country in August-September, 1977, Secretary (Steel & Mines) also, in his recent visit to USSR had some exploratory talks with the Soviet officials mainly to elicit Soviet reaction to such a proposal. Depending on Soviet Government's response, further details will have to be worked out and proposal formulated. It is premature to visualise at this stage the final outcome.

SETTING UP CANCER INSTITUTIONS AND CURE CENTRES IN COUNTRY

775. SHRI O. P. TYAG : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether there is practically no arrangement in the country to carry out investigations on cancer;

(b) the number of cancer investigations centres proposed to be set up in the country; and

(c) the number of Centres among them Allopathic and Ayurvedic ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No, Sir.

(b) Under Cancer Research and Treatment Programme, three Regional Cancer Research Treatment Centres are being set up during the 5th Five Year Plan.

(c) All the three Centres are for Allopathic treatment.

STERILIZATION OF EMPLOYEES OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

776. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the number of gazetted and non-gazetted employees of his Ministry and the Department thereunder who underwent sterilization operation during the emergency; and

(b) whether Government propose to institute an enquiry into these operations to find out whether the employees underwent these operations voluntarily or otherwise ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) & (b) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha as soon as the same becomes available. The question of holding an enquiry will be considered after receipt of this inofrmation.

बेरोजगारों को रोजगार

777. **श्री के० टी० कोसलराम**
श्री माधवराव सिंधिया
श्री पदमचरण सामन्त सिंहेरा : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं और इनमें से शिक्षित बेरोजगार कितने हैं ;

(ख) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं ; और

(ग) बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये सरकार ने कौन-सी-योजनायें शुरू की हैं और चालू वित्त वर्ष में कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है ।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) उपलब्ध सूचना रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नौकरी चाहने वाली की संख्या से संबंधित है । 30-6-1977 को यह संख्या 104.06 लाख थी और इनसे में से 53.98 लाख व्यक्ति (मैट्रिक और उससे अधिक) शिक्षा प्राप्त थे ।

(ख) 1973 में आयोजित किए गए तदर्थ सर्वेक्षण के अनुसार, रोजगार कार्यलयों में पंजीकृत नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों में से लगभग 47 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों के पाए गए थे ।

(ग) सरकार का प्रस्ताव आगामी पंच वर्षीय योजना में रोजगारोन्मुख नीति अपनाने का है । क्षेत्रीय योजना पर पर्याप्त दबाव डालते हुए अन्यों अर्थात कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में सिंचाई व लघु और कुटीर उद्योग क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजित किए जाने की संभावना है ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को अपना ट्रोपोस्कैटर संचार संपर्क स्थापित करने की अनुमति

778. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को बंबई हाई तटदूर प्लेटफार्म और कर्नाली हिल में तट स्थित टर्मिनल के बीच अपना ट्रोपोस्कटर संचार संपक स्थापित करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) बम्बई हाई शोर प्लैटफार्म और शोर टर्मिनल के बीच संचार संपर्क के लिये एक उपयुक्त माध्यम,

8—875LSS/77

अर्थात् उपग्रह (सैटेलाइट) या ट्रोपोस्कैटर का चयन करने के कि संबंध में संचार मंत्रालय और तेल मंत्रालय के बीच विचार विमर्श अभी भी जारी है। इसलिये अभी अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

HAJ PILGRIMAGE

†779. SHRI RAMJI LAL SUMAN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the number of the pilgrims going for Haj pilgrimage every year is less than the number prescribed therefor; and

(b) whether the Haj pilgrims are allowed to take a very small sum of money and whether it is proposed to be increased ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) The number of pilgrims actually proceeding on Haj every year is generally almost equal to the number prescribed for that year. For example 16,940, 18,887, 17,205, 15,996 and 18,706 pilgrims proceeded for Haj in January 1974 December 1974, 1975, 1976 and 1977 as against the prescribed number of 17,000, 19,000, 17,000, 17,000 and 19,000 respectively. The short fall in 1976 was due to the sudden break down of two pilgrims ships during the Haj Season.

(b) The quota of foreign exchange allowed to Haj pilgrims is determined in accordance with the regulations of the Government of Saudi Arabia and the current cost of living in that country. The foreign exchange quota for sea pilgrims has been raised from SRLs. 1,100/- in 1974 to SRLs. 2,000/- in 1977. This amount is considered adequate to meet all normal expenditure on obligatory Haj charges as well as accommodation, food and other incidental expenses. There is no proposal at present to increase the foreign exchange quota but the subject will be carefully reviewed before 1978 Haj.

RAISING OF PAY SCALES OF EMPLOYEES WORKINGS IN RURAL POST OFFICES

*780. SHRI RAMJI LAL SUMAN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government propose to raise the pay scales of the employees working in the Post Offices in the rural areas;

(b) whether Government propose to open post offices throughout the country at specific distance; and

(c) whether telephones would be installed in the Post Offices of the rural areas ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) The wage structure of the Extra Departmental Agents is under review.

(b) While no specific distance is prescribed for opening of Post Offices in urban areas, Government has prescribed specific distance criteria for opening Post Offices in rural areas.

Post Offices are opened in a phased manner according to the departmental norms including distance criteria.

(c) Public Call officer Telephones will be installed progressively in the Post Offices of the rural areas, wherever these can be approved under the present liberalised policy.

IMPROVING WORKING OF TELEPHONE DEPARTMENT IN SITAPUR DISTRICT, (U.P.)

†781. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Telephone Department in Sitapur District (Uttar Pradesh) is not working smoothly;

(b) whether Government are taking any steps to improve the working thereof; and

(c) if so, the details thereof ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) No Sir. Telephone service in Sitapur District is working smoothly.

(b) & (c) Do not arise.

ALLOWANCE TO AGENTS OF P&T DEPARTMENT

*782. Will the Minister of COMMUNICATIONS SHRI HARGOVIND VERMA be pleased to state:

(a) whether Government have decided to raise the allowance of the agents of the Posts and Telegraphs Department; and

(b) if so, since when and the extent thereof?

Minister of STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) & (b) The question of revising the allowances of the Extra Departmental Agents is under consideration.

विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा स्थायी कर्मचारियों की संख्या कम करना

783. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात उनकी जानकारी में लाई गई है कि भारत में काम कर रही 'फाईजर, इण्टरनेशनल बिजनेश मशीन, और हिन्दुस्तान लीवर जैसी विदेशी बहु राष्ट्रीय निगमों ने एक सुव्यवस्थित और नियोजित ढंग से नैमतिक कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर अपने स्थायी कर्मचारियों की संख्या में कमी की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क) और (ख) : सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन में कुछ बहुराष्ट्रीय निगमों के विरुद्ध स्थायी कर्मचारियों को अन्याय पूर्ण ढंग से बर्खास्त करने तथा नैमितिक व ठेका श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करने का आरोप लगाया गया है। यह मामला वस्तुत: में राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है तथा इसे संबंधित राज्य सरकारों के ध्यान में ला दिया गया है।

बड़ी और मध्यम आकार की कम्पनियों द्वारा बोनस न दिये जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही

784. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के बोनस अध्यादेश के उपबन्धों के अनुसार कानूनी न्यूनतम बोनस कितनी बढ़ी और मध्यम आकार की कम्पनियों ने नहीं दिया है; और

(ख) उन कम्पनियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो वह क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है। अधिनियम की परिधि में आने वाले अधिकांश प्रतिष्ठानों के लिये 'समुचित सरकारें' राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें हैं।

(ख) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 19 बोनस अदा करने के लिये 8 महीनों की समयावधि की व्यवस्था करती है; 'समुचित सरकार' द्वारा समयावधि को बढ़ाया जा सकता है। अधिनियम में दोषी नियोजकों से निपटने के लिये भी उपबन्ध है।

इस्पात उद्योग के विस्तार सम्बन्धी शासकीय अध्ययन दल

785. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके द्वारा नियुक्त किए गए इस्पात उद्योग विस्तार संबंधी शासकीय अध्ययन दल ने गैर-सराकारी विदेशी पत्रों पूंजी निवेश का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन पर यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) इस्पात उद्योग के विस्तार के बारे में "सैल" द्वारा अप्रैल, 1977 में गठित किए गए अध्ययन दल ने, जिस में इस्पात कारखानों के प्रबन्धकों और मजदूर संघों के प्रतिनिधि थे, अपनी रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की है । रिपोर्ट में धन की व्यवस्था के बारे में की गई सिफारिशों में इस बात पर बल दिया गया है कि जहां तक संभव हो सके आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था देश से ही की जानी चाहिये । रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब बाहर से धन की व्यवस्था करना अपरिहार्य हो तो उसका प्रबन्ध राज्य स्तर पर एक सरकार से दूसरी सरकार के बीच किया जाना चाहिए ।

इस समय अध्ययन दल की रिपोर्ट पर स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड और सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में भ्रष्टाचार तथा पक्षपात

786. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या उन्हें भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद में अनियमितता, भ्रष्टाचार और पक्षपात की रिपोर्ट मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : क) जी हां ।

(ख) और (ग) कुछ समय पहले संसद सदस्यों के अध्ययन से एक बेनामी नोट की, जो स्पष्टतः परिषद के किसी असंतुष्ट कर्मचारी द्वारा लिखा गया था, प्रतियां प्राप्त हुई थीं । इसमें परिषद के कार्य मंबरती जा रही अनियमितताओं के बारे में आरोप लगाए गए थे । इस मामले की जांच करने के बाद ये आरोप निराधार पाए गए थे ।

बोकारो इस्पात संयंत्र में हड़ताल

787. **श्री रोबिन सेन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों ने सितम्बर, 1977 में हड़ताल की;

(ख) हड़ताल के क्या कारण थे; और

(ग) बोकारो की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) 21 सितम्बर, 1977 को बोकारो इस्पात कारखाने में एक दिन की हड़ताल हुई थी।

(ख) यह हड़ताल बोकारो स्टील एम्प्लायज प्रोग्रेसिव फ्रन्ट द्वारा दिए गए मांग पत्र को लेकर की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मांगें रखी गई थीं :—

1. यूनियन का चुनाव गुप्त मत पत्र द्वारा होना चाहिए ;

2. 12.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक बोनस दिया जाए;

3. प्रोत्साहन योजना लागू की जाए; और

4. जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है उन्हें बहाल किया जाए।

(ग) तब से लेकर निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. गुप्त-मत-पत्र द्वारा चुनाव कराने का प्रश्न शीघ्र निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है ;

2. वर्ष 1976-77 के लिए 8.33 प्रतिशत की दर से अनुग्रहपूर्वक अदायगी की गई है ;

3. 1-10-1977 से प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है ;

4. श्रम उप-आयुक्त द्वारा समझौता कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

अक्तूबर, 1977 के दौरान बोकारो इस्पात कारखाने में किसी श्रम-दिन की हानि नहीं हुई है। इस समय वहां श्रमिक स्थिति सामान्य है।

विदेशों में स्थित राजनयिक मिशनों में मद्यनिषेध नीति

788. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों की नई मद्य निषेध नीति का पालन करने के लिए हाल ही में अनुदेश जारी किये गये हैं, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या विदेशों में स्थित हमारे राजनयिक मिशनों द्वारा स्वागत समारोह आदि में आतिथ्य करते हुए शराब दिए जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क), (ख) और (ग) सरकारी कर्मचारियों के लिए, चाहे वे भारत में हों अथवा विदेश में, मादक पेय पदार्थ के सेवन पर नियंत्रण के संबंध में स्थायी निर्देश हैं। मादक पेय पदार्थों के सेवन के संबंध में भारत की मद्य निषेध नीति के संदर्भ में विदेश मंत्रालय ने निर्देश जारी किये हैं। राष्ट्र दिवस समारोहों के अवसर पर मादक पेय पदार्थों का सेवन निषिद्ध है।

दिल्ली में अस्पतालों की स्थापना

789. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों में रोगियों की बढ़ती हुई संख्या की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये वर्तमान सुविधाएं अपर्याप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टर रोगी का अनुपात क्या है; और विकसित देशों के अस्पतालों की तुलना में यह अनुपात कितना कम या अधिक है; और

(ग) क्या दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अधिक अस्पताल खोलने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) डाक्टर और रोगी के बीच अनुपात क बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । दिल्ली अस्पतालों में प्रत्येक 100 पलंगों के पीछे 11.9 डाक्टर नियुक्त हैं । दिल्ली के अस्पतालों में पलंग और जनसंख्या के बीच अनुपात प्रति 1000 लोगों के पीछे 3 पलंग है । भारत में और कुछ विकसित देशों में पलंग और जनसंख्या के बीच जो अनुपात है वह इस प्रकार है :—

भारत	:	4000 लोगों के पीछे 1 पलंग
कैनेडा	:	630 लोगों के पीछे 1 पलंग
अमेरिका	:	600 लोगों के पीछे 1 पलंग
जापान	:	860 लोगों के पीछे 1 पलंग
ब्रिटेन	:	760 लोगों के पीछे 1 पलंग
सोवियत संघ	:	390 लोगों के पीछे 1 पलंग

(ग) 500 पलंगों वाले दो अस्पताल हरिनगर और शाहदरा में से प्रत्येक स्थान पर एक-एक और दिल्ली के ग्रामीण/परिधिस्थ (पैरिफरल) क्षेत्रों में 100 पलंगों वाले सात अस्पताल खोलने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

सी० जी० एच० एस० डिस्पसरियों के लिए काम चलाऊ इमारतें

790. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अधिकतर सी० जी० एच० एस० डिस्पैन्सरियां काम चलाऊ इमारतों में हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ख) कितनी डिस्पैन्सरियां ठीक ढंग से बनी हुई इमारतों में हैं और कितनी काम चलाऊ अमारतों में हैं; और

(ग) प्रभावित डिस्पैन्सरियों के लिये समुचित इमारतों की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : हां। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के निर्माण के लिये जमीन का न मिलना और निर्माण कार्य के लिये धन की कमी का होना इसके मुख्य करण हैं।

(ख) मानक विशिष्टियों के अनुसार बनी इमारतों में औषधालयों की संख्या	21
सरकारी/किराये की काम चलाऊ इमारतों में औषधालयों की संख्या	41

(ग) इस दिशा में जो प्रयत्न किये जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) विभिन्न बस्तियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य एजेन्सियों से उपयुक्त भूमि खण्डों को प्राप्त करना ; और

(2) इस प्रयोजन के लिये पहले ही उपलब्ध भूमि खण्डों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों का निर्माण करने के लिये पर्याप्त धन जुटाना।

इंगलैंड की यात्रा करने वाले वास्तविक भारतीय पर्यटकों को तंग किया जाना

791. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंगलैंड की यात्रा करने वाले वास्तविक भारतीय पर्यटकों को तंग किये जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुयी हैं ;

(ख) क्या ब्रिटेन के मंत्री इन शिकायतों की जांच करने और ब्रिटेन में भारतीय पर्यटकों की यात्रा सम्बन्धी प्रक्रिया में सुधार करने के लिये हाल ही में भारत आये थे; और

(ग) क्या इस विषय पर ब्रिटिश सरकार से कोई वार्ता हुई है और यदि हां, तो उसके पुर्ण तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) विदेश मंत्रालय को हाल के महीनों में ऐसी कोई विशिष्ट शिकायतें नहीं मिली हैं।

(ख) ब्रिटिश विदेश कार्यालय से एक मंत्री ने अक्तूबर के प्रारम्भ में भारत की यात्रा की थी परन्तु यह यात्रा यू० के० जाने वाले भारतीय पर्यटकों की प्रक्रिया को सुचारू करने से किसी भी प्रकार संबंधिति नहीं थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, चिंगलेपुट में रोगी तथा डाक्टर

792. **श्री ओ० वी० अलगेशन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, (सी० एल० टी० एण्ड आर० आई०) चिंगलेपुट में रोगियों तथा डाक्टरों की संख्या क्या है ;

(ख) केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान में किसी वर्ष अधिक से अधिक कितने रोगियों का उपचार किया गया;

(ग) संस्थान के अनुसंधान कार्यकलाप क्या हैं ?

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस संस्थान द्वारा कितने अनुसंधान पत्र तैयार किए गये तथा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय फोरमों के समक्ष प्रस्तुत किये गये; और

(ङ) वर्तमान निदेशक कितने वर्षों से इस संस्थान में कार्य कर रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) वर्ष 1974, 1975, 1976 और 1977 के दौरान 30 सितम्बर, 1977 तक अस्पताल वार्डों, ओ० पी० डी० और मोबाईल क्लीनिकों में अलग-अलग जितने रोगियों का इलाज किया गया उनकी संख्या इस प्रकार है :—

	वार्ड	ओ० पी० डी०	मोबाइल क्लीनिक
1974 . . .	2,318	46,158	2,398
1975 . . .	1,465	32,636	2,320
1976 . . .	1,440	38,057	1,887
1977 (30 सितम्बर, 1977 तक) . . .	1,554	30,426	51

डाक्टरों के मंजूर किये पदों की संख्या और इस समय जितने डाक्टर कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :—

	1974	1975	1976	1977
मंजूर किए गए पदों की संख्या .	24	22	19	19
कार्य कर रहे डाक्टरों की संख्या .	14	15	14	15

(ख) 1974 में 50,874 रोगी।

(ग) इस संस्थान में जो अनुसंधान कार्य किया जाता है उसमें क्लीनिकल, सर्जिकल, प्रयोगशाला, और महामारी विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन शामिल है। इस संस्थान द्वारा 1974, 1975 और 1976 के तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में किये गये अध्ययनों की कुल संख्या 9 है।

(घ) इस संस्थान द्वारा तैयार, तथा प्रस्तुत किये गये शोध पत्रों की संख्या इस प्रकार है :—

	1974	1975	1976
प्रकाशित	7	15	15
पढ़े गये	8	8	11

(ङ) वर्तमान निदेशक 1967 से निदेशक के पद पर हैं और उन्होंने 1961 से 1967 तक प्रयोगशाला प्रभाग के अध्यक्ष के पद पर कार्य किया है।

NEW FAMILY WELFARE SCHEME

793. SHRI BRIJ RAJ SINGH :

SHRI D. B. CHANDRA GOWDA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the details of the new family welfare schemes of Government; and

(b) the programmes undertaken to encourage the people to keep their families small instead of exercising an element of compulsion thereon in this regard ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH & FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) & (b) The Family Welfare Programme is to be implemented on purely voluntary basis without any element of compulsion or coercion. The Government have reiterated their commitment to achieving a reduction in birth rate to a level of 30 per thousand by 1979 and 25 per thousand by 1984. The statement of policy announced on 29th June, 1977 clearly lays down that the Government is totally committed to Family Welfare Programme and will spare no efforts to motivate people to accept it voluntarily in their own interest and in the interest of their children as well as in the larger interest of the nation. The Government's approach will be eucational and wholly voluntary. All methods of contraception including voluntary sterilisation are to be promoted so that the acceptor may choose any method according to its suitability. The Central Govt. have also requested States/Union Territories and other agencies covered under Family Welfare Programme to give the highest importance to the programme and to ensure that those who wish to pot for voluntary sterilisation must be provided with necessary facilities. It has been particularly impressed upon the workers engaged in the programme that there should be no slackness in or indifference towards the implementation of the welfare programme. The trade union leaders/employees associations have been requested to assist the Govt. in promoting the acceptance of the idea of small family norm. Likewise, Members of State Legislatures and Members of Parliament have also been requested by the Minister for Health and Family Welfare to encourage acceptance of the small family ideal. The Community Health Workers Scheme launched this year to cover 777 Primary Health Centres also envisages the imparting of family welfare information to the rural people by these workers.

बड़े नगरों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची

794. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने बड़े नगरों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा सूची समाप्त करने के लिये गत कुछ महीनों में कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) (क) और (ख) : जी हां। सरकार ने देश के सभी स्थानों में जिनमें बड़े शहर भी शामिल हैं, टेलीफोन की मांग पूरी करने के लिये कदम उठाए हैं। चालू वर्ष के प्रारम्भ में अर्थात् 1-4-1977 को देश के 19 बड़े शहरों की प्रतीक्षा सूची में लगभग 1,52,000 अर्जियां दर्ज थीं। आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन स्थानों में करीब एक लाख नये टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे। इनमें से लगभग 33,000 कनेक्शन वर्ष पहले छह महीनों के दौरान दिए जा चुके हैं।

फरीदाबाद, बम्बई, पूना और मद्रास औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक

795. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या गत छ. महीनों में फरीदाबाद, बम्बई, पूना और मद्रास के औद्योगिक क्षेत्र व्यापक श्रमिक अशांति के शिकार रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या कारण हैं;

(ग) इस अशांति के कारणों को दूर करने के लिये क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार को इन क्षेत्रों में संगठित रूप से तोड़-फोड़ किए जाने का सन्देह है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क) से (घ) : सरकार को गत छः माह के दौरान फरीदाबाद, बम्बई, पूना और मद्रास के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक अशान्ति की रिपोर्टें मिली हैं। यह मामला वस्तुतः राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है।

बुरहानपुर ताप्ती मिल के कर्मचरियों को बोनस

796. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या एन० टी० सी० के एक उपक्रम बुरहानपुर ताप्ती मिल्स के कर्मचारियों को बोनस दिया गया है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : यह सूचित किया गया है कि बुरहानपुर-ताप्ती मिल्स के कर्मचारियों को 1976-77 का बोनस अदा कर दिया गया है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर में हानि

797. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "हिन्दुस्तान जिंक" उदयपुर में जिंक कैथोड और सैलीन में औसत शोधन अनुपात केवल 0.39 है जो कि साधारण कार्यकुशलता से 25 प्रतिशत कम है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान जिंक को जून, 1976 से फरवरी, 1977 तक सामान्य से कम कार्यकुशलता के कारण 40 लाख रुपये की हानि हुई है; और

(ग) हानि को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) (क) से (ग) : 1976-77 में जस्ता कैथोड और कैलसइन के बीच 0.50 के सामान्य प्राप्ति अनुपात की तुलना में 0.46 का औसत अनुपात रहा (0.39 प्रतिशत नहीं)। कम अनुपात में प्राप्ति मुख्यतः पुरानी बैच प्रक्षालन/शोधन प्रक्रिया के स्थान पर उन्नत स्थायी प्रक्रिया की स्थापना और विस्तारित प्रद्रावक के परीक्षण संचालन के फलस्वरूप हुई रुकावटों के कारण हुई।

2. कम प्राप्ति के कारण मूरकेक में (जो प्रक्षालन और शोधन का अवशेष होता है) जस्ते की मात्रा सामान्य से अधिक थी। 'मूरकेक' को जमा किया जा रहा है तथा जस्ता निकालने के लिये कम्पनी द्वारा इसे परिष्कृत किया जायेगा। जमा 'मूरकेक' से जस्ता निकालने के बारे में अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

3. देवरी के विस्तारित प्रद्रावक के संचालन को क्रमशः स्थिर किया जा रहा है तथा चालू वर्ष में प्राप्ति मात्रा में काफी सुधार हुआ है।

TELEX EXCHANGES IN SAURASHTRA

*798. SHRI DHARMASINGHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether new telex exchanges are to be set up in Dharoji, Junagarh and Veraval towns in Saurashtra region of Gujarat State;

(b) if so, the time by which they will start functioning and the number of telex telephones under each telex exchange;

(c) whether new telex exchanges are also proposed to be set up in other cities of Saurashtra region; and

(d) if so, the names thereof and when these exchanges will be set up and the number of telex telephones proposed to be provided under each telex exchange ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) Yes, Sir.

(b) All the three Telex Exchanges are planned to be commissioned in 1978-79, each with a capacity of 20 lines.

(c) & (d) There are no other proposals, at present, for new telex's in Saurashtra region.

MAIL SORTING OFFICE AT PORBANDAR

†799. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the reasons for delay to set up mail sorting office in Porbandar, an industrial town of Gujarat

(b) the time by which it will be set up; and

(c) the action taken so far in this regard ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) A sorting mail office at Porbandar could not be opened due to non-availability of suitable accommodation and some minor staff problem;

(b) As soon as a suitable building is available, the sorting office at Porbandar will be established.

(c) Orders have been issued to establish a sorting office at Porbandar. All-out efforts to procure a building for the said office are being made.

DEPOSITS OF COAL, COPPER ETC., In SAURASHTRA REGION OF GUJARAT

800. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of STEEL AND MINES be please to state.

(a) whether deposits of coal, copper, lime stone, zinc lead, alumina bauxite etc., are available in Osam, Alech-Barda, Girnar, Gir, Kutch, Saitrunjay etc., hills and other small hills in Saurashtra region of Gujarat State;

(b) whether Government have undertaken or propose to undertake survey in the Saurashtra region of Gujarat State for mineral deposits;

(c) If so, the details thereof; and

(d) the estimated quantity of these deposits likely to be found ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) Yes, Sir.

(b) The Geological Survey of India have investigated a number of mineral deposits in the Saurashtra Region and further investigations are being continued.

(c) & (d) As a result of the investigations, carried out so far, the reserves of various minerals estimated in various districts are given below :—

	Reserves (in million tonnes)
1. Bauxite	
Amreli	0·146
Bhavnagar	5
Jamnagar	16·21
	20·34 (bauxitic clay)
Junagadh	27·98
2. Bentonite	
Saurashtra Region .	12
3. Calcite	
Amreli .	0·059
Junagadh	0·029
4. Coal	
Saurashtra Region .	2·9
5. Limestone	
Amreli .	64·5
Bhavnagar	20
Jamnagar	5
Junagadh	30
6. Fire clay	
Surendranagar .	9·747
7. Gypsum .	
Jamnagar	0·175
8. Ochre	
Surendranagar .	·3
Rajkot . .	0·5

श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST SHRIMATI INDIRA GANDHI AND OTHERS

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। कल जब मैंने सदन का ध्यान इस ओर दिलाया कि विशेषाधिकार के सम्बन्ध में किसी एक दिन एक से अधिक प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता, तो आपने निर्णय दिया कि एक से अधिक प्रस्ताव पेश किया जा सकता बशर्ते कि अन्य प्रस्ताव अन्य सदस्यों द्वारा पेश किये जायें। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज की कार्यसूची में श्री मधु लिमये का प्रस्ताव छपा हुआ है जबकि श्री कंवर लाल गुप्त का प्रस्ताव नहीं है। आज की कार्यसूची में दोनों प्रस्ताव होने चाहिये थे। जो कल पेश किये गये थे। अतः दोनों प्रस्ताव सभा में आज आने चाहिये ताकि सभा जान सके कि ये दोनों प्रस्ताव क्या हैं। श्री स्टीफन का तर्क ठीक है कि सभा को यह पता होना चाहिये कि कल कौन से प्रस्ताव पेश किये गये ताकि आगे कार्यवाही की जा सके। श्री मधु लिमये का प्रस्ताव गृहीत किया गया है और उस पर प्रारम्भिक चर्चा हो चुकी है। आपने कहा था कि श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव भी इसी तरह का है। परन्तु आज की कार्यसूची में केवल श्री मधु लिमये का प्रस्ताव है, श्री कंवर लाल गुप्त का प्रस्ताव नहीं है। अतः कार्यालय द्वारा दी गई सूचना अपर्याप्त और अधूरी है क्योंकि हमारे पास श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा पेश

किया गया प्रस्ताव नहीं है । कृपया बुलेटिन और कल की कार्यवाही देखें जिसमें कहा गया है कि श्री कंवर लाल गुप्त ने भाग लिया और श्री मधु लिमये के प्रस्ताव का समर्थन किया। कल की कार्यवाही में यह नहीं कहा गया कि श्री कंवर लाल गुप्त संसद सदस्य ने कल इस विषय पर एक अन्य ऐसा ही प्रस्ताव पेश किया। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

SHRI GAURI SHANKAR RAI : If the motion moved by SHRI KANWAR LAL GUPTA is identical, his name should also be clubled.

अध्यक्ष महोदय : यह एक समान प्रस्ताव नहीं है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं चुनौती नहीं दे रहा ।

अध्यक्ष महोदय : आप की बात ठीक है । वे एक समान प्रस्ताव नहीं है। कार्यालय को श्री कंवर लाल गुप्त के प्रस्ताव को भी छापना था और यदि बुलेटिन में केवल यह कहा गया है कि उन्होंने इसका समर्थन किया तो यह सही नहीं है । प्रस्ताव की भाषा एक जैसी नहीं है। मैंने दो प्रस्तावों को पेश करने की अनुमति दी है, एक श्री मधु लिमये का और दूसरा श्री कंवर लाल गुप्त का। इसी आधार पर मैंने दो प्रस्तावों को पेश करने की अनुमति दी। ये दोनों अलग-अलग प्रस्ताव हैं। पता नहीं बुलेटिन में ऐसा क्यों छापा गया। मैं मामले की जांच करूंगा। वे एक समान नहीं हैं । हम दोनों प्रस्तावों पर एक-साथ चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मुझे आपका यह निर्णय स्वीकार्य है कि यद्यपि श्री गुप्त का प्रस्ताव आज की कार्यसूची में नहीं छपा है, तथापि हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं केवल आपके कल के निर्णय की पुष्टि चाहता हूं कि जब कभी किसी सदस्य को विशेषाधिकार का प्रस्ताव पेश करना हो, तो एक दिन में एक प्रस्ताव वाली आज तक की प्रथा के अनुसार चलना आवश्यक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा नहीं कहा था।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : यदि अधिक प्रस्ताव है तो उन्हें भी लिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : नियम को जिस प्रकार मैंने समझा है वह इस प्रकार है। इसमें एक सदस्य को केवल एक प्रस्ताव पेश करने की अनुमति है । इस सम्बन्ध में निर्णय दिया जा चुका है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : अब तो अलग-अगल सदस्य एक दिन में कई प्रस्ताव आपकी अनुमति से पेश कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री गौरी शंकर राय : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदुकी) : मैं आपका ध्यान नियम 226 और 344 की ओर आकर्षित करता हूं। सभा के सम्मुख पहले ही प्रस्ताव है और यह प्रस्ताव तो स्थानापन्न

प्रस्ताव है । इसे संशोधन नहीं कहा जा सकता । इसलिये सभा के सम्मुख पहले प्रस्ताव को निबटाये बिना इस नये प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जा सकता । दूसरे यह प्रस्ताव तो पहले प्रस्ताव को बिल्कुल निष्प्रभावी करता है । इसलिये इस पर अभी चर्चा नहीं की जा सकती ।

SHRI GAURI SHANKAR RAI (Gazipur) : Sir, according to Rule 226, we have two alternatives. It can either of referred to the Committee on Privileges or the moton may be disposed of in the House itself. If leave is granted under Rule 225, the House may consider it. The whole country knows the position and there is not much need of conducting any specific enquiry. There is no doubt that Shrimati Gandhi has committed the crime.

अध्यक्ष महोदय : आपका संशोधन ग्राह्य होने के बाद ही मैं उस बात पर आऊंगा । आप विषय के गुण-दोष का विवेचन मत करिये ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं आपका ध्यान नियम 226 की ओर दिलाना चाहता हूं । यह नया प्रस्ताव नहीं है और न ही पिछले प्रस्ताव को निष्प्रभावी बनाता है । यह उचित संशोधन है । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भारी अपराध किया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : संशोधन या स्थानापन्न प्रस्ताव सभा में तभी लाये जा सकते हैं जब अध्यक्ष महोदय की अनुमति प्राप्त हो । इसके लिये नियम 345 और 346 को भी नियम 226 के साथ पढ़ना होगा ।

श्री वसंत साठे (अकोला) : नियम 226 में एक विकल्प यह है कि सभा स्वयं मामले पर विचार कर निर्णय ले सकती है । श्री राय का यही प्रस्ताव है । लेकिन श्री मधु लिमये के प्रस्ताव में मामले की विशेषाधिकार समिति को सौंपने की बात कही गई है । आप दोनों बातें कैसे कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को निष्प्रभावी बनाती हैं । हमें श्री लिमये के प्रस्ताव पर, जो पहले पेश हुआ है, विचार करना चाहिये । आप जो भी करें उसे विधि अनुसार ही किया जाना उचित है ।

DR. BALDEV PRAKASH (Amritsar) : Sir, Rule 226 is very clear. The House may choose either of the two alternatives. The House has to follow one course after considering both the motions. I do not think that there is any contradiction.

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी (जूनागढ़) : नियम 226 स्पष्ट है । एक बार अनुमति मिल जाये तो मामले पर सभा या तो खुद विचार कर सकती है या उसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है । आज इन दोनों के लिये सभा के समक्ष प्रस्ताव है । सभा कोई भी निर्णय लेने के लिय सक्षम है । उसके सामने कोई प्रस्ताव अवश्य होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी मदद की जरूरत है । नियम 226 के अधीन सभा चाहे तो इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकती है और चाहे तो स्वयं उस पर चर्चा की जा सकती है । यदि श्री राय का प्रस्ताव श्री मधु लिमये के प्रस्ताव में संशोधन है तो उस पर चर्चा की अनुमति दी जा सकती है । लेकिन उनका प्रस्ताव तो स्थानापन्न प्रस्ताव लगता है । क्या नियम 226 के अन्तर्गत इसके लिये अनुमति दी जा सकती है ?

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी : इस नियम के आरम्भ में किये गये उल्लेख के अनुसार सभा दोनों में से कोई भी प्रक्रिया अपना सकती है । लेकिन यह नितान्त आवश्यक है कि सभा के समक्ष

प्रस्ताव हो। श्री राय का प्रस्ताव संशोधन का प्रस्ताव है या नहीं यह बात इतना महत्व नहीं रखती।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने विशेष रूप से इसे एक स्थानापन्न प्रस्ताव कहा है।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी : लेकिन सदस्य महोदय ने यह भी कहा है कि आप इसे अलग प्रस्ताव भी मान सकते हैं। कठिनाई तो संशोधन शब्द के प्रयोग के कारण है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उनका प्रस्ताव नियमानुकूल है। सभा को यह निर्णय करना है कि क्या मामले पर यहीं और अभी निर्णय लिया जाये **(व्यवधान)**। सबसे पहले हम इसी बात पर विचार करें। यदि सभा चाहे कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये तो ऐसा किया जा सकता है। यदि माना जाये कि अपराध इतना गम्भीर है कि उस पर बाद में विचार नहीं किया जा सकता तो यहीं विचार कर लिया जाये। **(व्यवधान)**। दूसरे सभा को निर्णय यह भी करना है कि श्री राय का प्रस्ताव संशोधन प्रस्ताव है या नहीं क्योंकि प्रथम प्रक्रम में स्थानापन्न प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। दोनों ही स्थितियों में श्री राय के प्रस्ताव पर ही पहले विचार किया जाना है। उसके बारे में ही सभा में पहले मतदान कराया जाये। तकनीकी दृष्टि से स्थिति यही है।

सभा के समक्ष कुछ बातें हैं जिस से सभा के सामने अपराध स्पष्ट हो जाता है। यह तो एक बात हुई। दूसरी स्थिति यह है कि स्वाभाविक न्याय का पक्ष लेते हुए, जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है, उसे भी अपनी बात कहने का अवसर दिया जाये। मैं तो सभा को निर्णय लेने में मदद करना चाहता हूं।

श्री जे० रामेश्वर राव (महबूबनगर) : वास्तव में सभा के समक्ष एक ही प्रस्ताव है। वह प्रस्ताव श्री लिमये का है। सभा के सामने संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं। मुख्य प्रस्ताव यही है कि मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : अब हमने जिस विषय पर विचार करना है वह यह है कि क्या श्री गौरी शंकर राय का प्रस्ताव संशोधन है या एक बिल्कुल अलग प्रस्ताव है।

श्री जे० रामेश्वर राव : यदि मूल प्रस्ताव में कहा गया होता कि सभा मामले पर खुद विचार करे तो अलग बात थी लेकिन उसमें तो प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को सौंपने की बात है। अतः किसी दूसरे प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : किसी भी सदस्य को विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिये अनुमति से पूर्व उसको संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुमति दी जाती है। श्री मधु लिमये ने कल सभा में वह वक्तव्य तो दिया था। नियम 226 में जिन दो विकल्पों का उल्लेख है, उनमें से कौन सा अपनाया जाये, इसके बारे में निर्णय भी सभा को ही करना है।

नियम 344 के अनुसार श्री गौरी शंकर राय का प्रस्ताव संशोधन प्रस्ताव है क्योंकि उसका विषय भी वही है। श्री लिमये के प्रस्ताव में निर्णय लेने की बात है और श्री राय के प्रस्ताव में भी विशिष्ट रूप से उसका उल्लेख है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (आगरा) : एक ही विषय पर दो चर्चाएं नहीं हो सकतीं। इसलिये श्री राय का प्रस्ताव बिल्कुल नियमानुकूल है।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : क्या आप नियम 186 को भी देखेंगे।

श्री बी० शंकरानंद (चिकोडी) : क्या विशेषाधिकार समिति के सदस्य भी इस चर्चा में भाग ले सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : श्री जेठमलानी, आपको इसमें भाग न लेने की ही सलाह दी जाती है।

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) : प्रश्न और प्रस्ताव में अंतर है। आप नियम 226 देखिये। इस सम्बन्ध में नियम 186 भी देखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि नियम 226 के अधीन किसी अन्य सदस्य को प्रस्ताव में संशोधन पेश करने की अनुमति है। मैं नहीं कह सकता कि सभा विचार करके निर्णय ले ले।

श्री निर्मल चन्द्र जैन : क्या नियम 186 के अधीन इसे प्रस्ताव माना जायेगा? उसमें कहा गया है कि इस से विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा नहीं होगा। इसलिये यदि विशेषाधिकार भंग होने का प्रश्न पैदा होता है तो इस पर और भी प्रस्ताव आ सकते हैं। कल आपने कहा था कि प्रश्न सभा के सामने हैं। उस प्रश्न पर श्री मधु लिमये ने एक प्रस्ताव रखा था। अतः सभा इस प्रश्न पर विचार कर रही है। अतः श्री राय पहले प्रस्ताव के साथ इस प्रस्ताव को रख सकते हैं।

श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा (चिकमगलूर) : माननीय सदस्य श्री मधु लिमये का प्रस्ताव मूल रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रस्ताव को तोड़ा-मरोड़ा नहीं जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में क्या कर सकता हूं। नियम 226 के अनुसार इस बारे में कोई भी निर्णय करना सभा पर निर्भर करता है।

श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा : श्री मधु लिमये के प्रस्ताव द्वारा सभा को विशेषाधिकार के इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला नियम 226 के अधीन सभा के विचाराधीन है। मैं क्या कर सकता हूं।

श्री वयालार रवि : श्री मधु लिमये ने विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा है। यह स्पष्ट है कि प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिये। जो छः महीने के अंदर अपना प्रतिवेदन दे। सभा के सामने एक विशेष प्रस्ताव है। यदि ऐसा है तो इसके स्थान पर दूसरा प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : इस सारे प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति में विचार हो सकता है। यदि श्री गौरी शंकर राय अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहें तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाये।

श्री मधु लिमये (बांका) : यह एक साधारण सी बात है । दो प्रस्तावों पर एक ही समय चर्चा नहीं हो सकती । यदि श्री राय का संशोधन एक पृथक प्रस्ताव नहीं है तो यह व्यवस्था के अनुसार नहीं है । आप इस पर शीघ्र निर्णय लें ।

CHOUDHARY BALBIR SINGH (Hoshiarpur): This is not an indepenent motion You cannot treat it as a separate motion or amendment.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में बहुत सुन चुका हूं । इसके बारे में अपना निर्णय बाद में दूंगा ।

श्री अमृत नहाटा (पाली) : नियम 225 की व्याख्या गलत की गयी है । सभा में विशेषाधिकार सम्बन्धी जो भी प्रस्ताव आता है तो सभा के निर्णय के चार विकल्प होते हैं । जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण विकल्प यही है कि इसे यह निर्णय करना ही कि वह इस पर स्वयं विचार करे अथवा विशेषाधिकार समिति को सौंपे । लेकिन हर दशा में प्रस्ताव का होना जरूरी होता है ।

अतः श्री राय का प्रस्ताव व्यवस्था के अनुसार है और सभा इस प्रस्ताव पर निर्णय ले सकती है ।

SHRI RAM NARESH KUSHWAHI (Salempur): The privilege motion of Shri Madhu Limaye may be referred to the Privilege Committee.

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : यूं ही हम इस प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं त्योंही यह अधिक से अधिक पेचिदा होता जा रहा है ।

मेरा सुझाव यह है कि हम श्री गौरी शंकर राय को कहें कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें । श्री लिमये का प्रस्ताव सभा के सामने रखा जाये ।

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): Sir, I rise on a point of order. You kindly refer Shri Limaye's motion to the Privileges Committee. The notice for this was given long back. It is already delayed.

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : मैं एक प्रस्ताव पहले ही आपको भेज चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप नहीं भेज सकते । आपको नोटिस देना होगा ।

श्री जी० एम० बनतवाला : बिना पेश किये ही आप इस पर निर्णय दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री जी० एम० बनतवाला : प्रस्ताव पेश करना मेरा अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा आप अपना प्रस्ताव पेश करें ।

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इस प्रस्ताव तथा प्रतिस्थापन्न प्रस्ताव सम्बन्धी सारी चर्चा बिना चर्चा के ही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाये ।"

SHRI UGRASEN (Deoria) : How is he speaking without your permission. May I know the rules under which he is speaking.

अध्यक्ष महोदय : नियम 340 के अधीन प्रस्ताव पेश किया जा सकता है ।

9—875LSS/77

अब मैं प्रस्ताव को मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि इस प्रस्ताव तथा प्रतिस्थापन्न प्रस्ताव सम्बन्धी सारी चर्चा बिना चर्चा के ही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

SHRI GAURI SHANKAR RAI (Ghazipur): I would like to say a word regarding the reasons for my amendment. I would take only ten minutes.

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को कल उठाया जायेगा।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म. प० तक के लिये स्थगित हुई

The House then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बज कर चार मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये

MR. DEPUTY SPEAKER in the chair.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मजदूरी संदाय (खान) संशोधन नियम, 1977 संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मजदूरी संदाय (खान) संशोधन नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां नि० 1383 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 1063/77]

भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 10 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां नि० 1185 में प्रकाशित हुए थे। एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 1064/77]

विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों तथा वचनों पर की गयी कार्यवाही सम्बन्धी विवरण

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग सई) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विवरण संख्या 38	सातवां सत्र, 1969	चौथी लोक सभा
(2) विवरण संख्या 39	दूसरा सत्र, 1971	पाचवीं लोक सभा.
(3) विवरण संख्या 20	छठा सत्र, 1972	
(4) विवरण संख्या 26	सातवां सत्र, 1973	
(5) विवरण संख्या 22	नौवां सत्र, 1973	
(6) विवरण संख्या 26	तेरहवां सत्र, 1975	
(7) विवरण संख्या 9	पन्द्रहवां सत्र, 1976	
(8) विवरण संख्या 9	सोलहवां सत्र, 1976	पाचवीं लोक सभा
(9) विवरण संख्या 6	सत्रहवां सत्र, 1976	
(10) विवरण संख्या 3	पहला सत्र, 1977	
(11) विवरण संख्या 2	दूसरा सत्र, 1977	छठी लोक सभा
(12) विवरण संख्या 3	दूसरा सत्र, 1977	
(13) विवरण संख्या 4	दूसरा सत्र, 1977	

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 1065/77]

भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम 1977

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : मैं श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई की ओर से भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप धारा (5) के अन्तर्गत, भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनाक 3 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1165 में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 1066/77]

कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम कृपाल सिन्हा) : (1) मैं कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान बोनस (संशोधन) स्कीम, 1977 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1231 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राजस्थान कोयला खान बोनस (संशोधन) स्कीम, 1977 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1232 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 1067/77]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) स्कीम, 1977

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनाक 17 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1229 में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 1068/77]

(3) कर्मकारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 सितम्बर 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा सां० नि० 1234 में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 1069/77]

(4) (एक) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1975-76 के लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 1070/77]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

गांधी स्मृति के एक गाइड श्री दामोदरन पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्त्ताओं द्वारा किया गया हमला ।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"गांधी स्मृति के एक गाइड श्री दामोदरन के गांधी जी की हत्या के सम्बन्ध में तथ्य बताने पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर किये गये हमले तथा मारपीट के समाचार और भविष्य में स्मृति के गाइडों और कर्मचारियों पर ऐसे हमलो की आशंका"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : समाचार पत्रों की रिपोर्ट के माध्यम से सरकार का ध्यान गांधी स्मृति पर 9 और 31 अक्तूबर, 1977 को हुई कुछ घटनाओं के बारे में आकर्षित किया गया है । विपक्ष के नेता ने भी इस विषय पर 4 नवम्बर, 1977 को गृह मंत्री को लिखा था । इन रिपोर्टों के परिणाम स्वरूप दिल्ली प्रशासन से इस विषय में एक रिपोर्ट भेजने के लिये कहा गया था । दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनके द्वारा इन घटनाओं की जाँच पड़ताल अभी तक पूरी नहीं हुई है । प्रधान मंत्री भी एक वक्तव्य 14 नवम्बर को इस विषय में दे चुके हैं और निर्माण तथा आवास मंत्री ने भी उसी दिन इस विषय पर एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर दिया है ।

2. प्रधान मंत्री 8 अक्तूबर की शाम को गांधी स्मृति पर गये थे और कुछ व्यक्तियों द्वारा उन्हें सूचित किया गया था कि श्री दामोदरन नायर नामक एक गाइड यह आरोप लगा

रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या के लिये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिम्मेवार था। प्रधान मंत्री ने गाइड से कहा कि यह बात सही नहीं है और उसे ऐसा नहीं कहना चाहिये।

3. 9 अक्तूबर को तथा कथित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता श्री आर० सी० महाजन और श्री दामोदरन नायर के बीच हाथापाई हुयी जब श्री महाजन गांधी स्मृति गये थे। उस में दोनों व्यक्तियों को कुछ खरोंचे आयी। सूचित किये जाने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और उसने उन के बयान लिये। उनकी डाक्टरी परीक्षा से पता चला कि उन्हें मामूली चोटें आयी हैं। पुलिस को दिये गये बयानों के अनुसार झगड़ा तब शुरू हुआ जब श्री महाजन ने श्री नायर के इस कथन पर आपत्ति की कि महात्मा गांधी को हत्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता गौडसे द्वारा की गयी थी। चूंकि कोई प्रज्ञेय अपराध नहीं किया गया था अतः पुलिस ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की और एहतियाती के रूप में वहां एक सिपाही तैनात कर दिया गया। श्री नायर के पिछल आचरण पर विचार करते हुए इस घटना के बाद उन का तबादला पुस्तकालय में कर दिया गया।

4. 31 अक्तूबर को दोपहर बाद प्रो० एन० जे० भट्ट के नेतृत्व में गुजरात के छात्रों का एक दल गांधी स्मृति देखने आया। श्री दामोदरन नायर, जो पुस्तकालय में अपने तबादले के बावजूद भी एक गाइड का काम कर रहे थे, और उनके बीच फिर कहा सुनी हुयी। सूचित किये जाने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शांति स्थापित की। श्री नायर और दर्शकों के बयान दर्ज किए गए। किन्तु श्री नायर ने अपनी डाक्टरी परीक्षा कराने से इकार कर दिया क्योंकि उनके शरीर पर कोई प्रत्यक्ष चोट नहीं आई थी। श्री नायर के अनुसार, झगड़ा उनके इस बयान से उत्पन्न हुआ कि नात्थु राम गौडसे महात्मा गांधी की हत्या के लिये जिम्मेदार था और वह पूना में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक कार्यकर्ता रहा था। दूसरी ओर प्रो० एन० जे० भट्ट और अन्य ने पुलिस को बताया है कि श्री नायर ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में कुछ अप्रिय बातें कहीं। चूंकि कोई प्रज्ञेय अपराध नहीं बनता था। अतः पुलिस द्वारा आगे कोई कार्यवाई नहीं की गयी।

5. दिल्ली प्रशासन ने किसी अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये गांधी स्मृति पर सुरक्षा के एहतियाती उपाय कड़े कर दिए हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह मामला किसी छोटे हमले का न होकर एक राष्ट्रीय महत्व का है। गृह मंत्री के वक्तव्य से प्रतीत होता है कि श्री दामोदरन नायर पर 9 तथा 31 तारीख को हमला हुआ। वक्तव्य के अनुसार 9 तारीख को झगड़ा तब शुरू हुआ जब श्री नायर ने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक कार्यकर्ता श्री नाथुराम गौडसे ने की थी। 31 तारीख को भी झगड़ा इसी बात को लेकर हुआ था। यह बात स्पष्ट है कि श्री नायर ने कहा कि हत्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने नहीं की बल्कि यह कि गौडसे ने हत्या की और गौडसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता थे। इसी बात को लेकर श्री नायर पर हमला किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गाईड का यह बताना कर्तव्य नहीं है कि गांधी जी की हत्या किसने की ? श्री नायर पर क्या दोष लगाया जा सकता है ?

जस्टिस भौंसले की पुस्तक के अनुसार श्री गौडसे 22 वर्ष की आयु में ही संघ में आ गये थे और लगभग जीवन पर्यन्त उसी से सम्बद्ध रहे। श्री प्यारे लाल की पुस्तक में भी बार-बार इसी का जिक्र आया है । ऐसी स्थिति में क्या श्री नायर उन्हीं बातों को नहीं बता सकते थे जिनका जिक्र अनेक पुस्तकों में भी हुआ है ? यह एक ऐतिहासिक तथ्य है।

मैं पूछता हूं कि श्री नायर ने कौन सी गल्ती की थी ? उसे वहां से क्यों स्थानान्तरित किया गया ? यह कैसा न्याय है ?

अब देश का राजनैतिक वातावरण बदल गया है। अब ऐसी धारणा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रशासन को नियन्त्रित करता है । आज "महात्मा गांधी अमर रहे" का नारा लगाने वाले नहीं बल्कि "नाथूराम गौडसे अमर रहे" का नारा लगाने वाले को संरक्षण मिलता है। श्री नायर को वहां से क्यों स्थानान्तरित किया गया।

महाजन नामक जिस व्यक्ति ने श्री नायर को पीटा, कहा जाता है कि वह जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। क्या यह समाचार अखबार में आया है ?

महात्मा गांधी की जहां हत्या हुई, उस स्थान पर सच बोलने वाले का जीवन सुरक्षित नहीं है। क्या गाईड प्रधान मंत्री की आत्मकथा को पढ़कर संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता ? सरकार की नीति क्या है ?

श्री धनिक लाल मंडल : प्रधान मंत्री 8 तारीख को जब वहां गये तो लोगों ने उन्हें बताया कि श्री नायर यह आरोप लगा रहे हैं कि नाथूराम गौडसे, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता थे, ने महात्मा गांधी की हत्या की।

श्री सी० एम० स्टीफन : मंत्री महोदय प्रधान मंत्री को भी इस विवाद में घसीटना चाहते हैं **(व्यवधान)**

श्री धनिक लाल मंडल : प्रधान मंत्री ने श्री नायर को कहा कि यह गलत है।

श्री सी० एम० स्टीफन : गलत क्या है ?

श्री धनिक लाल मंडल : वह कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता श्री नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी।

श्री धनिक लाल मंडल : गांधी स्मृति की रक्षा के लिये एक सिपाही वहां पर तैनात किया गया था ताकि शान्ति बनी रहे। अतः सरकार की असफलता का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : प्रधान मंत्री ने पिछले दिन, सभा में कहा था कि दामोदरन नायर ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने महात्मा गांधी की हत्या की थी । उन्होंने कहा : जो कुछ मैंने किताब में कहा है वह यह नहीं है। परन्तु अब मंत्री महोदय ने अपने लिखित वक्तव्य के विरुद्ध यह स्वीकार किया है कि दामोदरन नायर यह कह रहा था कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गौडसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य था। इस वक्तव्य में और मोरारजी भाई ने जो अपनी पुस्तक में कहा है उसमें क्या अन्तर है ? पुस्तक में उन्होंने कहा : "नाथूराम गौडसे हत्या के लिये उत्तरदायी है। वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता थे।"

बाला साहेब देवरस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है । क्या उन्होंने इस बात का पता लगाया है कि श्री नायर झूठ बोल रहे थे। गोपाल गौडसे के अनुसार फांसी के दिन भी नाथूराम के होठों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रार्थना थी । इसका अर्थ यह हुआ कि वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कर्तव्यपरायण तथा निष्ठावान सदस्य था । श्री दामोदरन नायर को सच्चाई कहने के कारण अनावश्यक रूप से तंग किया जा रहा है । गृह मंत्री के विरुद्ध मेरा यह आरोप है ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): On a point of Order, Sir. The Calling Attention Motion is about the assault of Shri Damodaran Nair and failure to protect him. From where the issue whether Nathuram Godse was a worker of R.S.S. or not came? Are we here to discuss the ideology and working of R.S.S.? I want a ruling on this.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें विषय पर सीमित रहने के लिये कहा है।

श्री वसन्त साठे : मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। श्री बल्लभभाई पटेल और श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बीच हुए पत्र व्यवहार के कुछ उद्धरण इस प्रकार हैं :—

> "मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं कि हिन्दू महासभा का गांधी जी हत्या षडयन्त्र में कोई हाथ नहीं है, परन्तु इसके साथसाथ हम इस तथ्य से आखें नहीं मूंद सकते कि महा सभा के बहुत से सदस्यों ने इस हत्या पर खुशियां मनाई और मिठाई बांटी ।"

यही बात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर भी लागू होती है। मेरी आखिरी बात यह है कि एक इश्तहार छपा है जिसमें महात्मा गांधी को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य दिखाया गया है । जो संघ के झंडे को सलामी दे रहे हैं। और हेग्डे लेखक को शाबाशी दे रहे हैं। क्या यह बात शोभनीय है? क्या आप श्री दामोदरन नायर को सच बोलने के लिये दण्डित करना चाहते हैं? इस सम्बन्ध में मैं गृह मंत्री का उत्तर चाहता हूं ।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (MR. CHARAN SINGH) : Shri Damodaran Nair seems to be an over-enthusiastic person. Everybody knows who has killed Mahatma Gandhi. But it appears that Shri Damodaran Nair used to volunteer informations on his own to the visitors that Nathuram Godse murdered Mahatma Gandhi and that he was an R.S.S. worker. Why should he say so when it is a disputed matter whether Nathuram Godse was an R.S.S. worker or not? Moreover, the guide is supposed to be a public servant and it is not proper on his part to enter into any political controversy.

It is not clear as to who started the scuffle or who attacked first. Even the scuffle was minor and in spite of the request by the police, Shri Damodaran Nair did not wish to go to the hospital.

Nathuram Godse might have been a member of the R.S.S. at one time but it is an admitted fact that when he had murdered Mahatma Gandhi, he was not a member of the R.S.S. Shri Damodaran Nair wanted to prove by his talk to the visitors that since Godse was once a member of the R.S.S. and when he had murdered Mahatma Gandhi then also he was a member of the R.S.S., therefore, it is the R.S.S. which had murdered Mahatma Gandhi. This is wrong and this kind of thing can lead to trouble. Even though Shri Nair was recently transferred to the library, he was present when some visitors from Gujarat had come. That was not his duty. All this shows that his intention was to indulge in anti-R.S.S. propaganda.

As for Government's responsibility, it will be seen that there is no lapse on the part of the Government in regard to this incident.

श्री हितेन्द्र देसाई (गोधरा) : मेरे विचार में यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। मुझे खेद है कि गृह मंत्री ने गाइड का दोष बताया है और गांधी स्मृति के प्रशासन का कोई दोष नहीं बताया है। मुझे पता चला है कि वह वहां पर दो वर्ष से गाइड के रूप में काम कर रहे हैं और जब भी दर्शक वहां आते हैं वह यही कहते आये हैं। लोग पूछते हैं महात्मा गांधी की हत्या कैसे हुई ? इसके लिये एक गाइड का क्या उत्तर हो सकता है ? यदि वह केवल यह कहता है कि नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की तो लोग पूछते हैं कि वह कौन था। क्या यह कहना कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता था, उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता ? इसमें गलत क्या है ? इस पर गृह मंत्री को विचार करना चाहिये।

प्रधान मंत्री ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि हत्यारा नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता था। गाइड भी केवल वही दोहरा रहा था जो प्रधान मंत्री ने अपनी आत्मकथा में लिखा है।

दिनांक 14 नवम्बर, के मेरे अतारांकित प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कहा गया है कि 9 अक्तूबर, 1977 के गांधी स्मृति पर जाने वाले एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता और गाइड श्री दामोदरन नायर के बीच उस समय गरमागरमी हो गई जब श्री नायर ने महात्मागांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता बताया था। यदि वह गलती पर था तो बुलाकर उसे सच्चाई क्या है, बताई जानी चाहिये थी। परन्तु ऐसा करने के बजाय उसकी बदली कर दी गई। उसका दोष क्या था।

31 अक्तूबर, को गुजरात से 40 छात्र, जो संघ के सदस्य थे, गांधी स्मृत्ति गये। वहां पर चार बसें थीं। यदि वे गांधी जी को श्रद्धांजली अर्पित करना चाहते थे तो उन सभी को वहां पर जाना चाहिये था। परन्तु कुछ ही वहां गये और शेष बसों में ही बैठे रहे। जो वहां गये वे गाइड से झगड़ने लगे कि वह ऐसा क्यों कहता है। गृह मंत्री को यह स्वीकार करना चाहिये था कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। गाइड ठीक कह रहा था। अंतः उसे संरक्षण मिलना चाहिये था। यह पहला अवसर नहीं कि गाइड ने ऐसा कहा हो। वह आरम्भ से ऐसा कहता आ रहा है।

यह कहना ठीक नहीं कि गांधीस्मृत्ति से सरकार को कोई वास्ता नहीं है। वास्तव में गांधी स्मृति निर्माण और आवास मंत्रालय के अन्तर्गत आती है। प्रधान मंत्री स्मृत्ति के प्रेसीडेन्ट हैं और निर्माण और आवास मंत्री वाइस प्रेसीडेन्ट हैं। यह केवल कानून और व्यवस्था का ही प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न गांधी स्मृत्ति को संरक्षण प्रदान करने में मंत्रालय की असफलता के बारे में हैं।

SHRI CHARAN SINGH: I want to assure the hon. Member that Janata Party Government will never promulgate emergency in the country because they have taken oath not to curb the freedom of individual. Gandhi Smiriti is not a government institution. Mr. Desai has said that Godse was a member of R.S.S. and he was responsible for the murder of Mahatma Gandhi. But he was not a member of R.S.S. when he murdered Gandhiji. Godse had stated in the court that once he was a member of R.S.S. but had left it long ago. The High Court had also upheld that he was not a member of R.S.S. at the time of committing murder but was a member of Hindu Maha Sabha. His statement in the court was :"I have worked for several years in R.S.S. and subsequently joined the Hindu Maha Sabha."

श्री वसन्त साठे : उसने यह कहीं नहीं कहा कि उसने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को छोड़ दिया था। वह सभा को, आपको झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं।

SHRI CHARAN SINGH: During the Congress regime, Sardar Patel and the Congress Government was of the view that R.S.S. was involved in the murder of Mahatma Gandhi. But after the enquiry it was found that the people of R.S.S. had no hand in his murder. (interruption) At every moment you are interrupting——(interruption).

As for Government's responsibility, it will be seen that there is no lapse on the part of the Government in regard to this incident.

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

कार्यवाही सारांश

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर): मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति की 27 नवम्बर, और 30 दिसम्बर, 1976 तथा 1 सितम्बर, 1977 को हुई बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

पहला प्रतिवेदन

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर): मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन पेश करता हूं ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

16वां प्रतिवेदन

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की): मैं भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष, 1974-75 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) में सम्मिलित पांचवे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सम्बन्धी पैराग्राफ 32 पर लोक लेखा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

रेल अभिसमय समिति

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

पहला प्रतिवेदन

श्री पी० के० देव (कालाहांडी): मैं वर्ष 1977-78 और 1978-79 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य आनुषंगिक विषय पर रेल अभिसमय समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बधी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

तीसरा प्रतिवेदन

डा० बापू कालदते (औरंगाबाद) मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

छठा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :--

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से, जो 16 नवम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से, जो 16 नवम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

THE MOTION WAS ADOPTED

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(i) तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के बारे में दो केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा राज्य सरकारों के बारे में दिए गए वक्तव्य

श्री ओ० वी० अलगेशन (अर्कोनम) : केन्द्र-राज्य सम्बन्ध नाजुक संतुलन की स्थिति में है। और इनमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि तमिलनाडु में इस समय कानून और व्यवस्था की स्थिति नाजुक दौर में हैं, और जब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वहां का दौरा किया तो वहां की स्थिति को कुछ चढ़ा बढ़ाकर पेश किया। श्रीमती इन्दिरा गांधी की तमिलनाडु यात्रा के सम्बन्ध में द्रमुक पार्टी काले झंडों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहती थी। इसलिए अणा-द्रमुक सरकार ने द्रमुक पार्टी के नेताओं की बातों पर विश्वास करके मडुराई, तिरुचिरापल्ली तथा मद्रास में यह प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी। किन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी के समर्थकों पर घातक हमला किया गया। जब ऐसी स्थिति आ गई तो प्रदर्शन करने की अनुमति वापस ले ली गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री एम० जी० रामचन्द्रन से मिले और कहा कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री जैसे साधारण आदमी से

मिलना ठीक नहीं है । आश्चर्य की बात है कि मंत्री जी को मुख्य मंत्री को भूतपूर्व प्रधान मंत्री जैसे व्यक्ति को साधारण व्यक्ति कहकर उनसे मिलने के लिए इन्कार करना चाहिए । सभा को इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या यह राज्य की कानून और व्यवस्था में सीधे रूप से हस्तक्षेप नहीं है ? यह मामला पूरी तरह राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है ।

इसके अतिरिक्त, दूसरे केन्द्रीय मंत्री अर्थात उद्योग मंत्री फिर उसके बाद वहां गए । इन सब गतिविधियों तथा हिंसात्मक प्रदर्शनों के फलस्वरूप राज्य सरकार ने कुछ कार्यवाही की और श्री करुणानिधि सहित कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया । इन नेताओं को गिरफ्तार किए जाने की केन्द्रीय उद्योग मंत्री ने राज्य सरकार की आलोचना की । किन्तु वह राज्य की कानून और व्यवस्था के मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सके । इन दो केन्द्रीय मंत्रियों का आचरण बहुत ही गैर-संवैधानिक, गैर-कानूनी तथा राज्य सरकार के लोगों के विपरीत है । प्रधान मंत्री को अपने मंत्रियों में अनुशासन लाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की बातें पुनः न हों ।

(ii) **ग्रीन्डलेज बैंक का कार्यकरण**

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुछ समय पूर्व से ग्रीन्डलेज बैंक लिमिटेड नामक विदेशी बैंक जो कि भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के लाइसेंस के अन्तर्गत काम कर रहा है ऐसी गतिविधियां कर रहा है जो कि जनता के हितों के विरुद्ध हैं । इस बैंक ने मनमाने ढंग से सेविंग बैंक अकाउन्टस में जमा धनराशि की न्यूनतम राशि बढ़ाई है । यहां छोटी-छोटी राशि जमा करने वालों को सभी सुविधाएं देने से इन्कार कर रहा है । यह केवल बड़ी-बड़ी धनराशियों को जमा करने वालों को ही सुविधाएं दे रहा है ताकि अधिकाधिक लाभ कमाया जा सके । साथ ही यह बड़े-बड़े व्यापारियों तथा एकाधिकार गृहों के लिए वित्तीय सलाहकार के रूप में काम कर रहा है । हाल ही में इस बैंक ने खाता धारियों से परामर्श किये बिना अपनी मर्जी से खातों को एक शाखा से दूसरी शाखा में अन्तरित करने का निर्णय किया है । इससे जमाकर्ताओं में गंभीर असंतोष है । गत 2 या 3 वर्षों से इस बैंक में कोई भी रिक्त पद नहीं भरा गया है । ऐसी आशंका है कि कुछ वर्षों में इस बैंक में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या वर्तमान संख्या से आधी हो जायेगी ।

अतः भारतीय रिजर्व बैंक के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वह इस मामले में शीघ्रता से हस्तक्षेप करे । बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35क के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों को निदेश जारी कर सकता है । यह उचित समय है कि इस मामले में कार्यवाही की जाये । श्रम मंत्री को भी इस मामले की ओर ध्यान देना चाहिए ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के बीसवें इक्कीसवें और बाईसवें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

तथा

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये सेवाओं में आरक्षित पदों पर उनकी नियुक्ति के बारे में चर्चा—जारी

MOTION RE: TWENTIETH, TWENTY FIRST AND TWENTY SECOND REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

AND

DISCUSSION RE: EMPLOYMENT OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN SERVICES AGAINST RESERVED QUOTA—Contd.

SHRI KACHRU LAL HEMRAJ JAIN (Balaghat) : There are 60 per cent Harijans and Adivasis in Madhya Pradesh. Every member elected from there knows their con-

dition. For the last 8 months we have been talking about the doings of the previous Government.

[श्री एम० सत्यनारायन राव पीठासीन हुए
Shri M. Satyanarain Rao in the Chair.]

There are about 7 millions of Bidi workers who are Harijans and Adivasis and nothing has been done during the last 30 years to improve their economic condition. The distribution of lands among the landless Harijan Adivasis is simply a mockery, because the land that has been distributed is not cultivable. If they are to be given any lands, those lands should be first made cultivable and then these lands should be given to them.

The wages that are being given to landless Harijan rural labourers in Madhya Pradesh are too low and the present Government should take steps to see that they are not denied a fair wage.

The Commissioners and high officers who have been appointed so far to look after the welfare of Harijan Adivasis belong to Superior Castes. Government should appoint Harijan officers on those posts.

A sound policy should be framed to bring about the welfare of Bidi workers. The contract system should be abolished. If Government do not take steps in time to improve this situation, the discontent among them may take an explosive turn. It is not known what measures Government have taken to remove their indebtness.

Those Harijans who have adopted Budhism should also be given all the facilities that are extended to Scheduled Castes people. Government should pay special attention to it.

SHRI RAM LAL RAHI (Misrikh) : The Minister deserves congratulations for initiating a discussion on the reports of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But it appears that this discussion has been taken up in a very cavalier manner. The present Government has not been able to make any improvement in the policy and the attitude towards Scheduled Castes people and therefore, measures should be taken to create an atmosphere that will inspire confidence among them. Nothing has been done to impart higher education to the youths belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Government should, therefore, take steps to reserve some seats in Colleges and Universities for those candidates. Directions should be issued to State Governments that Ashram type schools should be started for the boys and girls of these backward classes and their entire expenditure should be borne by Government.

The number of Harijans in defence services is very insignificant. Harijans are not being admitted to Sainik Schools. Therefore, some reservations of seats must be provided for them in Sainik Schools. The present Government should take steps to promote adequate representation for them in Sainik Schools.

In regard to allotment of lands to Harijans, Government should adopt a progressive attitude. Government should see that the work of alloting lands to them does not get slackened. Then, irrigational facilities should be provided for them on a priority basis.

Government should also take measures to restore those lands to scheduled Castes people which has been cautioned and taken over by landlords against the settlement of debts advanced to them. Their loans and debts should be written off and they should be given proprietary rights over those lands.

There is acute housing problem in backward classes. The housing arrangements made by Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh Governments in this respect are praiseworthy. But no such arrangements have been made in Uttar Pradesh. The adequate housing arrangements must be made for Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. It is generally seen that Safai Karmachari live in jhonparies near lavatories. They should be shifted from there.

No doubt bonded labour system has been abolished but Harijans are still forced to undergo bonded labour in various parts of the country. Government should take steps to ensure complete abolition of bonded labour in the country. Otherwise atrocities will continue to be committed on Harijans. Stringent action should be taken against the

guilty persons. If we fail to protect the weaker sections of the society and to meet their requirements, we will also be defeated by the people. We should establish a society free from exploitation and bring real socialism in the country. We will have to provide relief to back ward classes.

A centre for imparting prior training to Scheduled Castes people for appearing in competitive examinations for higher services which was set up at Lucknow is not working effectively. Government should take measures to see that it works effectively and it is not turned into a show-piece only. We will have to implement what we say.

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमुगोआ): अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों में पूरे तथ्य नहीं दिये गये हैं। उनमें उन घटनाओं का जिक्र नहीं है जो जनता पार्टी के समय में हुई हैं। मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य ने हाल ही में चण्डीगढ़ में कहा कि जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद हरिजनों की दशा में और भी गिरावट आई है। इस प्रकार इन प्रतिवेदनों में यह नहीं दिखाया गया है कि स्थिति कितनी अधिक खराब हो गई है। हरिजन हिन्दु धर्म से धर्म परिवर्तन कर बौद्ध, इस्लाम और ईसाई धर्म स्वीकार करते जा रहे हैं। परन्तु इससे भी उनकी आर्थिक या सामाजिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। हरिजनों में हरिजनों के साथ भेद-भाव करने का कोई कारण नहीं है। धर्म के नाम पर भेदभाव हमारी धर्म निरपेक्षता की भावना और संविधान पर एक कलंक है। नव-बौद्धों को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता न देने और उन्हें वही सुविधाएं न देने का कोई कारण नहीं है। धर्म के नाम पर भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। यह देश की धर्म निरपेक्षता की भावना के विरुद्ध है।

महाराष्ट्र में कुछ सुविधाएं प्राप्त करने के लिये नव-बौद्धों को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। अब उन्हें पिछड़े वर्ग के रूप में माना जाता है और उन्हें वे सभी सुविधाएं प्राप्त हैं जो अनुसूचित जातियों को प्राप्त हैं। धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। ये लाभ इस्लाम और ईसाई धर्म के कमजोर वर्गों को भी मिलने चाहिये। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने हिन्दु हरिजनों को प्राप्त सभी लाभ ईसाई हरिजनों को दिये हैं। इससे 11 लाख लोगों को लाभ होगा। केन्द्रीय सरकार भी ऐसा करे। बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को रोकने के लिये सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। देश का धर्मनिरपेक्ष रूप बनाये रखने के लिये हिन्दु ईसाइयों को प्राप्त सभी लाभ नव-बौद्धों को भी दिये जाने चाहियें। सरकार जाति-उन्मूलन के बारे में मात्र मौखिक सहानुभूति दिखा रही है और जाति प्रथा को बढ़ावा दे रही है। अतः इससे पूर्व कि बौद्ध लोग हिंसा अपनाएं, उन्हें वे सभी लाभ प्रदान किये जाने चाहिएं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : स्वतंत्रता के पिछले 30 वर्षों में देश से इस कलंक को हटाने की दिशा में हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। गत 30 वर्षों में हम केवल इक्का-दुक्का कदम ही उठा पाये हैं जब तक इस समस्या की जड़ समाप्त नहीं की जाती तब तक यहां-वहां किये गये प्रयत्नों से काम नहीं चलेगा।

यह बड़े दुःख की बात है कि हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आयुक्त के वर्ष 1970-71, 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के प्रतिवेदनों पर अब चर्चा कर रहे हैं। परन्तु फिर भी 1977 में इन प्रतिवेदनों पर चर्चा किये जाने का श्रेय जनता पार्टी को जाता है। संसद में हम गत 4 या 5 वर्षों में और बातों पर तो चर्चा करते रहे परन्तु इन प्रतिवेदनों पर चर्चा नहीं कर पाये। यह दुःख की बात है। हमें इस समस्या को जड़ से मिटाना है।

पिछले सात या आठ वर्षों में हरिजनों पर अभूतपूर्व अत्याचार हुए हैं। यह शर्म की बात है कि देश में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी आदि की नागरिकताएं बराबर चल रही हैं। इससे हम सभी प्रभावित हैं। यह एक राष्ट्रीय समस्या है जिसे इस दृष्टि से हल किया जाना चाहिए।

अत्याचारों के अलावा हरिजनों, गिरीजनों और पिछड़ी जातियों की दशा शोचनीय है। हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो न अनुसूचित जातियों के हैं और न ही अनुसूचित जनजातियों के हैं परन्तु फिर भी पिछड़े हुए हैं। उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों के नाम से जाना जाता है। उनकी दशा बहुत खराब है। वे केवल बीमारी, भूख और मृत्यु से ही परिचित हैं। वे जीवित नरक में रह रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 30 वर्षों से हम यह सब कुछ सहन करते आ रहे और हमारे आस-पास क्या हो रहा है उससे हम सर्वथा अनभिज्ञ हो गये हैं।

कई गावों में हरिजन कुओं से पानी नहीं भर सकते। केवल स्थानों आरक्षणों से काम नहीं चलेगा। आरक्षणों से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति अपने भाइयों को अपने वर्ग को भुला देते हैं। इसलिए हमें आरक्षणों द्वारा एक नये वर्ग की स्थापना नहीं करनी चाहिए। हमारा उद्देश्य सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध करना होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि सरकार एक विशेष आयोग की स्थापना करे जिसमें सभी वर्गों के लोग हों। तथा जो सरकार के समक्ष इन समस्याओं के बारे में ठोस प्रस्ताव रखें।

आज न केवल स्वर्ण हिन्दु ही अपितु जागृत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोग जो अधिकाधिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, भी चेतावनी दे रहे हैं। यदि उनकी समस्या का समाधान न किया गया तो संसदीय व्यवस्था से उनकी आस्था उठ जायेगी। उस स्थिति से बचने के लिए हमें ऐसा आन्दोलन चलाना चाहिए जिसे श्री जय प्रकाश जी ने सम्पूर्ण क्रान्ति का नाम दिया है। यदि हम अनुसूचित जातियों, जनजातियों अथवा सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए लाखों लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमें ऐसी क्रान्ति लानी चाहिए।

हमारी कठिनाई यह है कि गृह मंत्रालय, पुलिस में सभी स्तरों पर स्वर्ण हिन्दू हैं, जो नीतियों को क्रियान्वित नहीं करने देते। भारत के ग्रामों में स्वर्ण हिन्दू हरिजनों को अनुसूचित रूप से दबाते हैं।

डा० अम्बेडकर तथा श्री जवाहरलाल नेहरु ने जिन उद्देश्यों से संविधान में आरक्षणों की व्यवस्था की थी वे पूरे हो गए हैं। अधिक प्रतिनिधित्व तो ठीक है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रवेश में तथा नौकरियों में इन वर्गों की सहायता के लिए आरक्षण दिया गया है ताकि पिछड़े वर्ग के लोग पीछे न रह जायें। परन्तु तकनीकी नौकरियों में यह रियायत नहीं दी जानी चाहिए ऐसा करने से अयोग्यता, असुरक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा तथा साथ ही सम्पत्ति और जीवन के लिए भी खतरा पैदा हो जायेगा। इस मामले में हरिजनों और गिरिजनों को तकनीकी शिक्षा की अतिरिक्त सुविधाएं दी जानी चाहिएं ताकि उनकी कमी पूरी हो जाये।

हरिजनों और गिरिजनों को साहस करके शिक्षा द्वारा अपनी हीन भावना का उन्मूलन करना चाहिए। उन्हें बौद्धिक रूप से सशक्त होना चाहिए, न कि हिंसात्मक रूप से उन्हें अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए और यदि एक बार ऐसा हो जाता है तो इस पर जनता की राय तैयार की जायेगी जिससे इन मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाया जा सके।

हरिजनों तथा गिरिजनों की आर्थिक दशा, आरक्षण, रोजगार आदि की समस्या की ओर ध्यान दिया जाये और शैक्षणिक तथा आर्थिक कल्याण सम्बन्धी उपायों द्वारा उन्हें दूर किया जाए। अगले वर्षों या आने वाले एक दो दशकों में सरकार को इन लोगों की दशा सुधारने के लिए अधिकाधिक धन की व्यवस्था करनी होगी। केवल तभी हम इस गंभीर समस्या को दूर कर सकते हैं।

निस्सन्देह आज के भारत में सरकार की भूमिका ठोस और व्यापक है। किन्तु यदि सरकार की ऐसी भूमिका है तो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रही स्वैच्छा ऐजेन्सियों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इन ऐजेन्सियों को लोगों को समझाना है तथा सामाजिक सुधार करने हैं।

हमें लोगों को अन्तर्जातीय विवाह, अन्तर्क्षेत्रीय विवाह तथा अन्तर्धर्म विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि ऐसा हो जाये तो इससे हमारे में नया भारतीयपन आ जायेगा।

हमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं की जड़ तक पहुंचना हैं, हमें इस समस्या का समाधान प्रभावी ईमानदारी से करना चाहिए।

SHRI L. L. KAPUR (Purnea) : The reports of Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the previous years are being considered so late. The reports are for 1971-72, 1972-73 and 1973-74. It shows that during 1971 to 1977 the reports of the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes could not be discussed in the Parliament. Since 1954, when the Commission was constituted it has sent over 4000 recommendations. I would like to know as to how many recommendations have been implemented. We became free in 1947 but this freedom was confined to cities alone. The villagers could not enjoy the fruits of freedom.

The population of down trodden persons in our country is 22 per cent. Kaka Kalelker submitted two reports in 1953 and 1955. The recommendations made therein have not been implemented as yet. Ninety per cent of Indian people live below poverty line. They are being exploited economically and socially.

Mahatma Gandhi mentioned about the evils of untouchables, poverty and ignorance. Even after lapse of 30 years the condition remains the same. Even today the people are burnt alive and their houses are put on fire. I want to warn the Government and also to call upon people to come forward against exploitation. Politically we adopted the principle of one man one vote, but economically and socially we are far from equality. If this state of affairs continues for long then our political democracy would also be in danger. Cases of murders occur everyday. The law and order situation is deteriorating. The exploiters are enjoying and the exploited ones are suffering.

On October 12th and 13th one Harijan was burnt alive in Motihari village of Begusarai District. Similarly one labourer was killed on 6th November, 1977 in Bhojpur District of Bihar. The Home Minister should get details of all such incidents. The Bihar Chief Minister and Shri Ramanand Tewari M.P. have given statements in this regard.

The Janata Government should see as to how economic and social exploitation could end.

These disputes take place due to four reasons. Mostly the disputes occur due to land. In our country 90 per cent people are poor and 10 per cent are rich.

The Home Stead Land Act should be implemented seriously. The Tenancy Act is continuing since British regime. We should enact new laws aiming at social justice. The police personnel and the magistrates represent the group of exploiters. They form part of the 10 per cent rich. The same element is there in policy making bodies.

Evidence Acts, Cr.P.C. and I.P.C. are very old. Suitable changes should be made in them so that Harijans are not unnecessarily harassed. These people should be associated at policy making level in the Government.

SHRI MAHI LAL (Bijnor) : I congratulate the hon. Home Minister for his decision to appoint a Commission to look into the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

[श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए ।]

SHRI DHIRENDRA NATH BASU *in the Chair.*

The Commission should not be constituted with administrators or Judges as they would not represent the feelings of the people. Persons who believe in Gandhian ideology and classless society should be appointed as members of the Commission. Persons like Shri Kaka Kalelkar should be appointed Chairman of the Commission.

The reports of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission has not come up before the house since 1971. If that trend continues we cannot solve the problems that pose a challenge to the nation.

The Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be given adequate powers to discharge its duties its duties. It should have the power to recommend penal action against certain people and to recommend awards to deserving people for their good work.

The Government should tell as to how many recommendations have been made by the Commission and how many have been implemented so far and how many are yet to be implemented. A time bound programme should be drawn for the implementation committee for unimplemented recommendations.

An evaluation committee consisting of members from both the Houses of the Parliament should be formed to see as to what has been done to tackle the problems of Harijans and what remains to be done. This committee should submit its report within a year.

A number of laws and orders have been passed to improve the lot of Harijans. But these people are still suffering many handicaps. The real fault lies with the implementation of these laws and orders. Effective steps should be taken to implement the provisions of these laws.

So far as land reforms are concerned Uttar Pradesh is behind only from States West Bengal and Kerala. The State has enacted progressive legislations. The credit for this is due to the present Home Minister at the centre. Consolidation of landholdings took place in Uttar Pradesh in 1952. In the matter of land consolidation in U.P special care was taken of Harijans. They were allotted land near the villages.

So far as reservation of posts for Harijans is concerned it is not being observed in Lok Sabha Secretariat; and the Central Government. What to talk of State Governments. The Hon. Minister should see that quota of reservation are adhered to. Certain senior Congress leaders obtained stay orders in order to escape land curing Act.

Shri N. D. TIWARI, former Chief Minister of U.P. decided not to distribute rural land. The land released through ceiling was not allowed to be allotted to the people.

We cannot solve this problem without land revolution and without conferring ownership rights on tillers.

The contracts of railway canteens previously given to the Scheduled Castes are now being given to the caste Hindus.

Instructions should be issued to the State Governments that the central grants should be utilised for the purpose it is allocated. You should check the State Governments and see that they do not misuse the grants.

You have to utilise the grants given for the welfare of weaker section and also change the pattern of its utilisation cottage indstries have to be set up in the rural areas. Harijans should get loans for dairy and wells. The loans given to them for construction of houses is very inadequate.

I suggest that a Committee of Members of Parliament should be formed to look into the welfare of Harijans. It should also be ensured that the funds allocated to the States are utilised for the purpose for which the same are sanctioned.

The Government should give due consideration to the inclusion of Bodhs in the list of Scheduled Tribes. You should accept their demand.

It is good that women wing of police has been set up in U.P. I had suggested the same in 1958-59.

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : उड़ीसा के कोरापुट तथा कालाहोटी जिलों में 'भटरा' नाम की जनजाति है। किन्तु 'भटरा' जनजाति को सूची में गलत रूप में 'मटडारु' लिखा हुआ है। इसलिये उन लोगों को वे विशेषाधिकार तथा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो कि अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को प्राप्त हैं। अक्षरों की यह गलती दूर की जानी चाहिये और उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना चाहिये।

केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिये 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत आरक्षण हैं। किन्तु वास्तविक रूप से उनकी प्रतिशतता बहुत कम है। यहां तक की तीसरी तथा चौथी श्रेणी में $7\frac{1}{5}$ प्रतिशत की बजाय तीसरी श्रेणी में 2.33 प्रतिशत तथा चौथी श्रेणी में 4.25 प्रतिशत ही है। नियुक्त करने वाले अधिकारी प्रायः यह कह देते हैं कि प्रत्याशी उपलब्ध नहीं हैं और उन पदों पर अन्य लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है इस सम्बंध में क्षेत्रीय आरक्षण होना चाहिये।

पहली तथा दूसरी श्रेणी में पदों के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 355 में कहा गया है। कि साथ ही साथ प्रशासन की क्षमता को बनाये रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के दावों पर भी विचार किया जायेगा। अधिकारी यह तर्क दे रहे हैं कि जो लोग साक्षातकार के लिए आये हैं वे इन पदों पर नियुक्त करने के लिये उपयुक्त नहीं हैं। सरकार के स्थायी आदेशों में यह स्पष्ट किया हुआ है कि 'क्षमता के अनुकूल' का अर्थ यह है कि उन्हें 5 अंकों की रियायत दी जायेगी। यह पर्याप्त नहीं है। जब तक सरकार अधिक रियायत नहीं देती तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उन सभी लोगों को स्वीकार नहीं करतील जिन्होंने कोई डिग्री ली हो या स्नातकोत्तर परीक्षा पास की हो, तब तक प्रथम तथा दूसरी श्रेणी के आरक्षित स्थानों को नहीं भरा जा सकता।

जनजाति क्षेत्रों के विकास हेतु सरकार को समेकित जनजाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी संस्थाओं के कार्यकरण में तेजी लानी चाहिए ताकि इन लोगों का शोषण कम से कम किया जा सके।

जनजाति क्षेत्र विकास परियोजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि कानन और व्यवस्था तथा विकास को एक साथ नहीं जोड़ दिया जाता। गृह मंत्री को उड़ीसा राज्य सरकार को आदेश देने चाहिये कि वे इस तरह के प्रशासनिक ढांचे में परिर्वतन करें।

FATHER ANTHONY MURMU (Rajmahal) : This report of the Commissioner is very good in reading but a total failure in so far as its implementation is concerned. When we go around our constituency, we find that there is great disparity and poverty. Even after 30 years of independence, we see that our Harijans and tribals are being exploited. Their lands are being taken away and they are not being given proper education. That is why these people remained backward in every area. If we want these people to come up, it is very necessary that they are paid properly both for their produce as well as for labour. This will go a long way in removing their poverty.

There are clashes between the mahajans and the tribals which sometimes culminated in firings by the former. Since the tribals had no firearms they were killed. Therefore, it is necessary that mahajans are not allowed to keep firearms.

In so far as the question of regional languages is concerned, it is necessary that tribal langauges are encouraged.) Those languages should be used in courts because the tribals can not follow law in any other language. It is also necessary that the officers posted in tribal areas learn their language. Only then those people will be able to get justice.

The report reveals that in the matter of employment, the tribals lagged behind the other sections of the people. It is because the percentage of education is very little. If we want to improve the lot of those people, their more attention will have to be paid in this regard. The Members of Parliament should get facilities of transport so that they could go round their constituencies. They should not only be provided with a vehicle but also a driver. They should also get clerical assistance and postage facilities.

श्री सी० एन० विश्वनाथन (तिरुपत्तूर) : सभा में कम उपस्थिति से लगता है कि सदस्यों को इस प्रस्ताव में कोई रुचि नहीं हैं। देशवासी देख रहे हैं कि यह सरकार तथा यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए क्या कर रही है।

सभापति महोदय : श्री विश्वनाथन को अपना भाषण जारी रखने के लिये आगे अवसर दिया जायेगा।

तत्पश्चात लोकसभा शुक्रवार 18 नवम्बर 1977/27 कार्तिक 1899 (शक) के ग्यारह बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, November 18, 1977/ *Kartika* 27, 1899/(*Saka*).

875LSS/77—200—23-1-78—GIPF.